पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
www.jalshakti-ddws.gov.in

Dry
Waste
सूखा
कचरा
Wet
Waste
गीला
कचरा

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

जल शक्ति मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

क्र.सं.		अध्याय	पृष्ठ संख्या
		संक्षिप्ताक्षर	
1.		**विभाग के बारे में**	**1**
	1.1	विज़न	1
	1.2	महत्वपूर्ण योजनाएं	1
	1.2.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम–(जी))	1
	1.2.2	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	1
	1.3	योजनाओं के उद्देश्य	2
2.		**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम–(जी))**	**3**
	2.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम–(जी))	3
	2.2	पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियां	16
	2.3	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)	17
	2.4	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी)	18
	2.5	अंतर मंत्रालय और अंतर क्षेत्र सहयोग	29
	2.6	एसबीएम (जी) का अन्य स्कीमों के साथ तालमेल	35
	2.7	दिव्यांगजनों के लाभार्थ शुरू की गई गतिविधियां	37
	2.8	एसबीएम (जी) के तहत निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई)	39
	2.9	मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	40
3.		**जल जीवन मिशन (जेजेएम)**	**42**
		मुख्य विशेषताएं 2025	42
	3.1	पृष्ठभूमि	47
	3.2	जल जीवन मिशन की प्रमुख विशेषताएं	48
	3.3	संस्थागत तंत्र	56
	3.4	वार्षिक कार्य योजना	67
	3.5	क्रियान्वित प्रमुख पहलें	70
	3.6	जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहल	79
	3.7	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ाव	82
4.		**एनआईसी द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाएं/कार्यक्रम/आईएमआईएस/गतिविधियां**	**111**
5.		**प्रशासन**	**118**
	5.1	संगठनात्मक संरचना	118
	5.2	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण	118
	5.3	सतर्कता एवं आरटीआई/शिकायत निवारण	119
	5.4	वर्ष 2024–25 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में की गई प्रगति	121
	5.5	संगठनात्मक चार्ट	123

6.	**अनुबंध – I से VIII**	**124**
अनुबंध–I	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों (नियमित) की स्थिति (10.01.2025 की स्थिति के अनुसार)	124
अनुबंध–II	खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित गांवों की राज्य/संघ राज्य–वार स्थिति (31.12.2024 तक)	125
अनुबंध–III	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) से कवर किए गए गांवों की संख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार स्थिति (31.12.2024 तक)	126
अनुबंध–IV	वर्ष 2023–24 के दौरान एसबीएम (जी) के तहत वास्तविक प्रगति	127
अनुबंध–V	वर्ष 2024–25 के दौरान एसबीएम (जी) के तहत वास्तविक प्रगति	128
अनुबंध–VI	वर्ष 2023–24 के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जारी निधियों की स्थिति (31.03.2024 तक)	129
अनुबंध–VII	वर्ष 2024–25 के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जारी निधियों की स्थिति (31.12.2024 तक)	130
अनुबंध–VIII	वर्ष 2024–25 के दौरान कुल एससी/एसटी आईएचएचएल उपलब्धियां (31.12.2024 तक)	131

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरडब्ल्यूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एएसएचए	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
एईएस	गंभीर एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम
बीपी	ब्लॉक पंचायत
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केन्द्र
बीडब्लयूएम	बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन
सीसीडीयू	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भू–जल बोर्ड
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीआरएसपी	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीबीओ	समुदाय– आधारित संगठन
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
डीएपी	जिला कार्य योजना
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीडीपी	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डीपीएपी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईसीबीआई	बाह्य क्षमता निर्माण पहल
ईपीसी	इंजीनियरी, अधिप्राप्ति एवं निर्माण
एफएचटीसी	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
एफएसएम	मल कचरा प्रबंधन

एफटीके	क्षेत्रीय (फील्ड) जाँच किट
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीए	भू–जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी
जीडब्ल्यूएम	गंदला जल प्रबंधन
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचजीएम	हाडड्रो–भू–आकृति विज्ञान मानचित्र
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचएच	श्रवण दिव्यांगता
आईएपी	समेकित कार्य योजना
आईआरसी	अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र
आईसीडीडब्ल्यूक्यू	अंतर्राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केन्द्र
आईआईटीएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूएमपी	समेकित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	जापानी एनसेफेलाइटिस
जेजेएम	जल जीवन मिशन
केआरसी	मुख्य संसाधन केन्द्र
एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
एलडब्ल्यूई	वामपंथ उग्रवाद
एलएसके	एकमुश्त टर्न–की
एम एंड ई	निगरानी एवं मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना
एमपीआर	मासिक प्रगति रिपोर्ट

एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडीजी	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमआईएस	निगरानी सूचना प्रणाली
एमसीडी	अल्पसंख्यक बहुल जिले
एमवीएस	बहु–ग्राम योजना
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एमएचएम	मासिक धर्म संबंधी साफ–सफाई प्रबंधन
एनबीए	निर्मल भारत अभियान
एनईईआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
एनईएस	पूर्वोत्तर राज्य
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनजीपी	निर्मल ग्राम पुरस्कार
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनजेजेएम	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएससी	राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एनडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय जल नीति
ओ एंड एम	संचालन एवं अनुरक्षण
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएण्डएम	संगठन एवं प्रबंधन
ओएच	आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग

पीसी	उत्पादन केंद्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीडब्ल्यूएम	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन
पीडब्ल्यूएमयू	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड डीएसी	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
आरएसएम	ग्रामीण स्वच्छता केंद्र
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप–योजना
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसएलडब्ल्यूएम	ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन
एसएपी	राज्य कार्य योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
टीएससी	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीएपी	ग्राम कार्य योजना
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
डब्ल्यूएसएच	जल, स्वच्छता और साफ–सफाई
डब्ल्यूक्यूएमआईएस	जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली
डब्ल्यूक्यूएमएस	जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण
डब्ल्यूएसपी	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
डब्ल्यूएसएसओ	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
जीपी	जिला पंचायत

1. विभाग के बारे में

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) तथा ग्रामीण पेय जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के संपूर्ण नीति–निर्माण, आयोजना, वित्तपोषण और समन्वयन हेतु एक नोडल मंत्रालय है।

1.1 विजन

ओडीएफ स्थिति हासिल करने के बाद, भारत सरकार ने दिनांक 19 फरवरी 2020 को एसबीएम (जी) को चरण–II के रूप में वर्ष 2024–25 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति के स्थायित्व तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन एसएलडब्ल्यूएम सहित खुले मे शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वहनीय सेवा प्रदानगी प्रभारों पर नियमित और दीर्घावधिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूत उपलब्ध है जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

1.2 प्रमुख योजनाएं

1.2.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

दिनांक 2 अक्तूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और सुरक्षित साफ–सफाई पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) की शुरूआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019–20 तक देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 2 अक्तूबर, 2019 तक देश के सभी गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया।

ओडीएफ स्थिति हासिल करने के बाद, भारत सरकार ने ओडीएफ स्थिति के स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ तथा (ओडीएफ) प्लस गांवों के सृजन के उद्देश्य से सभी गांवों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत कवर करने के लिए वर्ष 2025–26 तक कार्यक्रम के चरण–II के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) को जारी रखने का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है।

1.2.2 जल जीवन मिशन

प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2019 को घोषित जल जीवन मिशन (जेजेएम), सभी ग्रामीण परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों, जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं (आदिवासी आवासीय छात्रावासों) सार्वजनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप–केंद्रों, देखभाल केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि में वर्ष 2024 तक नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त दबाव के साथ, निर्धारित गुणवत्ता वाली सुनिश्चित नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वयनाधीन है। मिशन जन स्वास्थ्य में सुधार के साथ–साथ महिलाओं को भारी वजन ढोकर दूर से पानी भरकर लाने के सदियों पुराने कठिन श्रम से मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत, सभी को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 'कोई भी वंचित न रहे'। वर्ष 2019 में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। इस प्रकार, वर्ष 2024 तक 83% ग्रामीण परिवारों को नल

जल आपूर्ति प्रदान की जानी थी। इसके अलावा, मौजूदा नल जल कनेक्शनों को भी जेजेएम के अनुरूप बनाया जाना था।

यह मिशन 3.60 लाख करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय के साथ भारत सरकार के सबसे बड़े सामुदायिक बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। इससे विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा, रोजगार के अवसरों का सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में सहायता मिलेगी। तथापि, जेजेएम 'केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण' के बारे में नहीं है, बल्कि यह 'हर घर में सुनिश्चित जल सेवा प्रदान करने' पर केंद्रित है। यह गांवों में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के बारे में है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'टैंकर' या 'ट्रेन' आदि की तैनाती के माध्यम से पानी की आपातकालीन व्यवस्था करने से बचा जा सके। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी हितधारकों को शामिल करके और स्थानीय जल उपयोगिताओं का निर्माण करके, इसे 'जन आंदोलन' – लोगों के पानी संबंधी आंदोलन में बदलकर, 'पानी के प्रबंधन कार्य से हर किसी को जोड़ने' का आशय रखता है।

जेजेएम को बाटम–अप अवधारणा का अनुसरण करते हुए विकेन्द्रीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां स्थानीय ग्राम समुदाय प्रणालियों के मालिक हैं और उन्हें गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण की प्रमुख जिम्मेदारी निभाने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। सुनिश्चित सेवा सुपुर्दगी के लिए, वित्तीय स्थिरता सहित जल स्त्रोतों और जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सर्वोपरि है। यह संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप है जो स्थानीय स्व–सरकारों को अधिकार प्रदान करता है। 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करके, जेजेएम छह साल पहले ही भारत के एसडीजी–6 लक्ष्य को हासिल कर लेगा और इस प्रकार, अन्य विकासशील देशों के लिए भारत एक आदर्श बन सकता है।

जमीनी स्तर पर जेजेएम का वास्तविक कार्यान्वयन 25 दिसंबर, 2019 को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश जारी करने के साथ शुरू हुआ। केवल पांच वर्षों में, लगभग 12.19 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 22.01.2025 तक, देश के 15.43 करोड़ (80%) परिवारों को उनके घरों में नल जल आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

1.3 उद्देश्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के व्यापक उद्देश्य हैं:

- गांवों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों और जिलों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोई भी शौचालय सुविधा से वंचित न रहे और सभी लोग शौचालय का उपयोग करें।
- यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए गांवों में एसएलडब्ल्यूएम की व्यवस्था हो।
- स्वच्छता व्यवहार और कचरा प्रबंधन के संबंध में ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता पैदा करना।

जल जीवन मिशन के व्यापक उद्देश्य हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना;
- गुणवत्ता–प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और मरूभूमि क्षेत्रों में स्थित गांवों, आकांक्षी जिलों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) वाले गांवों आदि में नल जल कनेक्शन की व्यवस्था को प्राथमिकता देना;
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना;
- नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना;
- स्थानीय समुदाय में नकद, दान और/ अथवा मज़दूरी और स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) के द्वारा स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना;
- जलापूर्ति प्रणाली अर्थात् जल स्रोत, जलापूर्ति अवसंरचना और नियमित प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में सहायता देना;
- इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को सशक्त बनाना और उनका इस तरह विकास करना ताकि निर्माण, प्लम्बिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जलाशय संरक्षण, प्रचालन एवं अनुरक्षण आदि का अल्पकालिक और दीर्घकालिक रख–रखाव किया जा सके; और
- सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं और उनके महत्व के संबंध में जागरूकता लाना और इसमें हितधारकों को शामिल करना ताकि जल प्रबंधन सबकी जिम्मेदारी बन सके।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [(एसबीएम-(जी)]

2.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम–(जी)]

2.1.1 परिचय

एसबीएम(जी) की शुरूआत दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति हासिल करना था। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्यान स्वच्छता और साफ–सफाई की आदतों के प्रति लोगों के बीच व्यवहार में बदलाव लाना था ताकि वे सुरक्षित एवं साफ–सफाई प्रथाओं को अपना सकें।

दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहारवादी परिवर्तन कार्यक्रम कहे जाने वाले एसबीएम (जी) ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों के साथ मिलकर स्वयं को जन आंदोलन में बदल दिया है। इस कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2014–15 से 2019–20 की अवधि के दौरान 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, देश के सभी गांवों ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया था।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ लक्ष्य हासिल करने के बाद, भारत सरकार ने एसबीएम (जी) को इसके चरण–II के रूप में वर्ष 2024–25 तक जारी रखने का अनुमोदन किया है। यह कार्यक्रम, ओडीएफ स्थिति के स्थायित्व पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ तथा प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखाई देने वाले, ओडीएफ प्लस गांवों के सृजन के उद्देश्य से सभी गांवों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत कवर करने के लिए वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी नए निर्मित परिवारों को कवर करने का भी है ताकि कोई भी शौचालय सुविधा से वंचित न रहे। इस कार्यक्रम को 2025–26 तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2025–26 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य है।

एसबीएम (जी) चरण–II को वित्तपोषण के अलग–अलग आयामों और केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल के एक आदर्श मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि ओडीएफ प्लस गांवों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता सुविधाओं को परिपूर्ण किया जा सके। डीडीडब्ल्यूएस और संबंधित राज्य के हिस्से से बजटीय आवंटन के अलावा, शेष निधियां विशेष रूप से एसएलडब्ल्यूएम के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी।

पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल अनुदान की 60% राशि (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति बनाए रखने और (ख) पेयजल की सतत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए 1,42,084 करोड़ रुपये (जल और स्वच्छता प्रत्येक के लिए 71,042 करोड़ रुपये) के सशर्त अनुदान के रूप में सिफारिश की। तथापि, यदि किसी आरएलबी ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से पूर्ण कर दिया हो तो वह धन का दूसरी श्रेणी के लिए उपयोग कर सकता है।

सफलता की कहानी-1

कॉमिक फॉर चेंज: मध्य प्रदेश में स्वच्छता जागरूकता में रचनात्मक प्रगति

भारत के दिल में, मध्य प्रदेश ने "कॉमिक फॉर चेंज" नामक एक अनूठी पहल के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक अभिनव यात्रा शुरू की है। भोपाल जिले में राज्य एसबीएमजी टीम और यूनिसेफ के बीच यह सहयोगात्मक प्रयास स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कॉमिक्स की शक्ति का उपयोग करता है। पृष्ठभूमि और कार्यान्वयनः एसबीएमजी–II के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता देखी है, ओडीएफ प्लस गांवों के लिए अपने लक्ष्य का 90% हासिल किया है। इन उपलब्धियों को बनाए रखने में सामाजिक व्यवहार संचार के महत्व को पहचानते हुए, "कॉमिक फॉर चेंज" का जन्म हुआ। इस पहल में एक प्रबंधन कॉलेज की लड़कियों को मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित करना शामिल था, जिन्होंने तब ग्रामीण स्तर पर विशेष रूप से निपानिया सूखा ग्राम पंचायत में इंटरवेंशन का नेतृत्व किया। "कॉमिक्स फॉर चेंज" (सी4सी) अभियान बंडुरा के सामाजिक शिक्षण मॉडल पर आधारित है, जो सकारात्मक व्यवहारों को देखने और उनकी नकल करने के प्रभाव पर जोर देता है। तीन दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से, छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों सहित हितधारक, कॉमिक्स बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो स्थानीय आबादी द्वारा बनाए गए स्वच्छता और सफाई के मुद्दों का समाधान करते हैं। यह विधि ओडीएफ प्लस गांवों (एसएलडब्ल्यूएम), जलवायु परिवर्तन (जल संरक्षण), और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए एक सुलभ और आकर्षक तरीका साबित हुई। अभियान ने 150 से अधिक छात्रों को मास्टर ट्रेनर के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, जिन्होंने फिर पांच गांवों के लगभग 700 स्कूली बच्चों के लिए कार्यशालाओं की सुविधा प्रदान की। इन कार्यशालाओं ने न केवल प्रतिभागियों को विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर शिक्षित किया, बल्कि उन्हें प्रभावशाली कॉमिक्स बनाने के कौशल से भी लैस किया। परिणामी कॉमिक्स, स्थानीय कथाओं और हास्य से भरी, पूरे समुदाय में प्रदर्शित की गई, चर्चाओं को जन्म दिया, और महत्वपूर्ण स्वच्छता मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई।

2.1.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण–II के तहत प्रावधान

एसबीएम (ग्रामीण) चरण–II के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:–

- ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों में जैवक्षरणीय कचरे और गैर–जैवक्षरणीय कचरे का संग्रहण और पृथक्करण शामिल है। गोबरधन के अंतर्गत पारिवारिक और सामुदायिक स्तर के कंपोस्ट खाद के गड्ढों और बायो–गैस संयंत्रों के माध्यम से जैवक्षरणीय कचरे का प्रबंधन और निपटान किया जाना है। गैर–जैवक्षरणीय कचरे के प्रबंधन के लिए, ग्राम स्तर पर भंडारण इकाइयों और ब्लॉक स्तर पर सामग्री संग्रहण (रिकवरी) केंद्र/प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) की परिकल्पना की गई है।
- तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत, गंदले जल प्रबंधन का कार्य पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर सोख्ता गड्ढों, कचरा स्थिरीकरण तालाबों, डीईडब्ल्यूएटीएस आदि के माध्यम से किया जाना है।
- इस कार्यक्रम में मलीय गाद के ऑफसाइट शोधन के लिए जिला स्तर पर मलीय गाद प्रबंधन की भी परिकल्पना की गई है।
- नए पात्र परिवारों (सभी बीपीएल परिवारों और चिह्नित किए गए एपीएल परिवारों जैसे एससी/एसटी परिवारों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों, होम्सटैड वाले भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों) को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) की एक इकाई के निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) का निर्माण आवश्यकता के आधार पर किया जाना है ताकि उन परिवारों की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिनके पास स्थान की कमी के कारण अथवा अस्थायी/प्रवासी आबादी के लिए व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं, अथवा उन स्थानों पर किया जाना है जहां आमतौर पर लोगों का बड़ा जमावड़ा होता है, ताकि गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखा जा सके। सीएससी के निर्माण के लिए, प्रमुख एससी/एसटी बसावटों, गांव के सबसे गरीब और/या प्रवासी मजदूरों/अस्थायी आबादी आदि के आने वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण आबादी के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार और कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर आईईसी कार्यकलापों को जारी रखा जा रहा है। ओडीएफ प्लस गांवों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं और फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण भी किया जा रहा है।

एसबीएम(जी) चरण–II के तहत घटक–वार निधियन मानदंड निम्नानुसार हैं:

<table>
<tr><th colspan="2">घटक</th><th colspan="3">वित्तीय सहायता</th></tr>
<tr><td colspan="2">सभी बीपीएल और पात्र एपीएल परिवारों को आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन</td><td colspan="3">12,000/– रुपए</td></tr>
<tr><td rowspan="4">एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां</td><td rowspan="4">ग्राम स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां</td><td></td><td>5000 तक आबादी वाले गांव</td><td>5000 से अधिक आबादी वाले गांव</td></tr>
<tr><td>ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)</td><td>60 रुपये प्रति व्यक्ति</td><td>45 रुपये प्रति व्यक्ति</td></tr>
<tr><td>गंदला जल प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम)</td><td>280 रुपये प्रति व्यक्ति (सामुदायिक सोख्ता गड्ढों/लीच गड्ढों के माध्यम से गंदला जल प्रबंधन के लिए)</td><td>660 रुपये प्रति व्यक्ति (कचरा स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि आदि जैसी बड़ी प्रणालियों के माध्यम से गंदला प्रबंधन के लिए)</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी: तथापि, छोटे गांव ठोस कचरा और गंदला जल प्रबंधन के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की वित्तपोषण सहायता के लिए पात्र होंगे।</td></tr>
</table>

		जिला/ब्लॉक स्तरीय एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियां	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक)	16 लाख रुपये प्रति इकाई
			मलीय गाद प्रबंधन	230 रुपये प्रति व्यक्ति
			गोबर–धन परियोजनाएं	50 लाख रुपये प्रति जिला
सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)		3 लाख रुपये प्रति सीएससी		
आईईसी और क्षमता निर्माण		कार्यक्रम घटकों के लिए कुल निधियन का 5%		
प्रशासनिक व्यय		कार्यक्रम घटकों के लिए कुल निधियन का 1%		

टिप्पणी:

(क) ग्राम स्तरीय सामुदायिक गतिविधियों अर्थात एसएलडब्ल्यूएम और सीएससी के लिए, उपर्युक्त निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों की 30% राशि का ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग के अपने अनुदानों के साथ तालमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से वहन किया जाएगा।

(ख) किसी गांव में ठोस कचरा प्रबंधन घटक, के अंतर्गत बचत यदि कोई हो, का उपयोग उसी गांव में गंदला जल प्रबंधन के लिए किया जा सकता है और इसी प्रकार गांव में गंदला प्रबंधन घटक के अंतर्गत बचत, यदि कोई हो, का उपयोग उसी गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

(ग) पीडब्ल्यूएमयू की स्थापना के लिए ब्लॉक के लिए निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, का उपयोग यदि आवश्यक हो, तो दूसरे ब्लॉक में किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर, पीडब्लूएमयू को ऐसे ब्लॉकों की समग्र निधि उपलब्धता के भीतर एक से अधिक ब्लॉक के लिए क्लस्टर मोड में स्थापित किया जा सकता है

(घ) गोबरधन के लिए एक जिले के लिए निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, का यदि आवश्यक हो तो दूसरे जिले में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर, ऐसे जिलों की समग्र निधि उपलब्धता के भीतर एक से अधिक जिलों के लिए गोबरधन इकाइयों को क्लस्टर मोड में शुरू किया जा सकता है।

(ङ) इनमें से किसी भी घटक के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों, ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त आयोग अनुदान, एमपीलैड/एमएलएएलएडी स्कीमों, एसबीएम (जी) के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों, व्यवसाय मॉडलों के माध्यम से राजस्व सृजन आदि से पूरा किया जा सकता है।

ओडीएफप्लस की श्रेणियां

ओडीएफ प्लस की स्थिति को तीन श्रेणियों में दर्ज किया जा रहा है अर्थात्

- ओडीएफ प्लस – **Aspiring-उदीयमान,**
- ओडीएफ प्लस – **Rising-उज्जवल,** और
- ओडीएफ प्लस – **Model-उत्कृष्ट.**

प्रत्येक गांव के लिए ओडीएफ प्लस – **Model-उत्कृष्ट** का दर्जा शीघ्रातिशीघ्र हासिल करने का लक्ष्य है।

ओडीएफ प्लस गांवों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानदंड

ओडीएफ प्लस – Aspiring-उदीयमान	ओडीएफ प्लस – Rising-उज्जवल	ओडीएफ प्लस – Model-उत्कृष्ट
(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यशील शौचालय सुविधा तक पहुँच हो (ii) गांव में सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों/पंचायत घर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय के साथ एक कार्यशील शौचालय तक पहुँच हो (iii) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन अथवा तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।	(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यशील शौचालय सुविधा तक पहुँच हो (ii) गांव में सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों/पंचायत घर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय के साथ एक कार्यशील शौचालय तक पहुँच हो (iii) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों (iv) गांव में तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों।	(i) गांव में सभी परिवारों की एक कार्यशील शौचालय सुविधा तक पहुँच हो (ii) गांव में सभी स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों/पंचायत घर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग शौचालय के साथ एक कार्यशील शौचालय तक पहुँच हो (iii) गांव में सभी सार्वजनिक स्थलों में न्यूनतम गंदगी, न्यूनतम रुका हुआ पानी देखा जाता हो तथा सार्वजनिक स्थलों में प्लास्टिक का कोई भी कचरा जमा न हो (iv) गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों। (v) गांव में तरल कचरा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं हों। (vi) गांव में दीवारों पर पेंटिंग/बिल बोर्डों आदि के माध्यम से ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश मुख्य रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

2.1.4 ओडीएफ प्लस घोषित गांवः

ओडीएफ प्लस गांव "एक ऐसा गांव है जो अपनी खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करता है और प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ है"। एसबीएम (जी) के चरण–II के तहत लक्ष्य वर्ष 2025–26 में सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित करना है।

दिनांक 31.12.2024 तक स्वयं को ओडीएफ प्लस घोषित करने वाले गांवों की संख्या निम्नानुसार हैः–

कुल गांव	ओडीएफ प्लस गांव			कुल ओडीएफ प्लस गांव
	उदीयमान	उज्ज्वल	उत्कृष्ट	
5,86,656	1,41,681	11,314	4,08,686	5,61,681

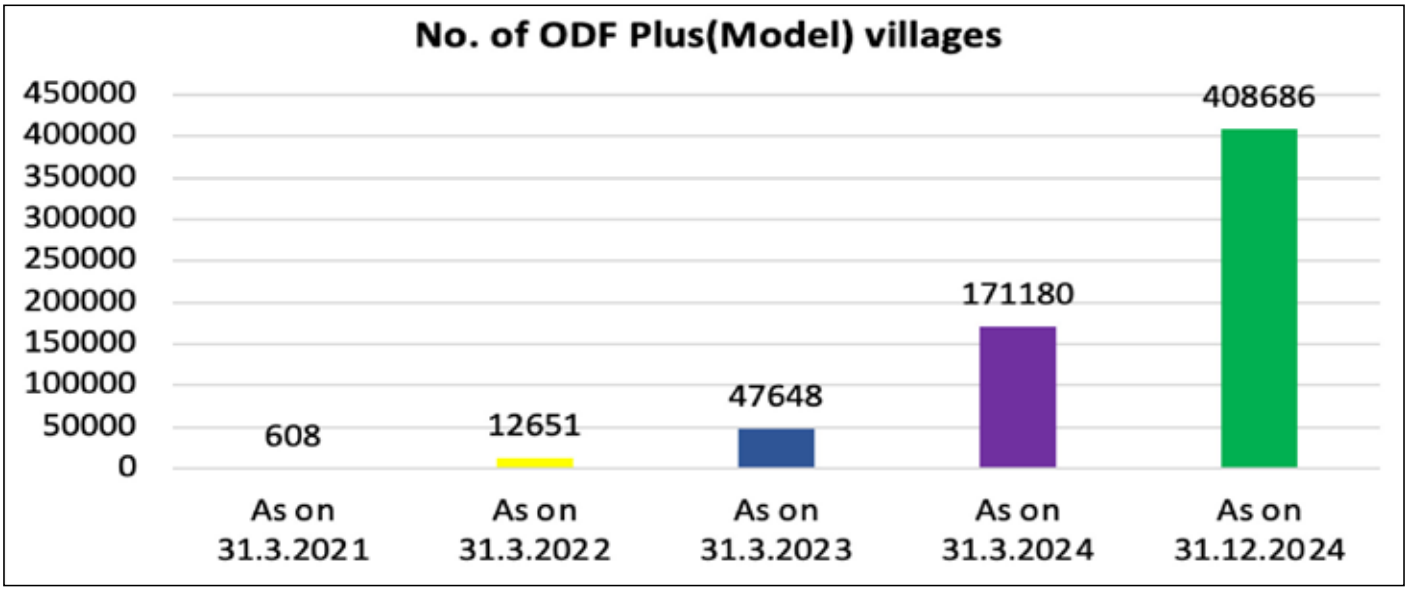

स्रोतः एसबीएम(जी) का आईएमआईएस राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–I में है।

2.1.5 ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत प्रगतिः दिनांक 31.12.2024 तक सूचित की गई प्रगति की स्थिति निम्नानुसार हैः–

ठोस कचरा प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या	तरल कचरा प्रबंधन से कवर किए गए गांवों की संख्या
4,79,541	5,15,254

स्रोतः एसबीएम(जी) का आईएमआईएस राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–II में है।

2.1.6 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण में प्रगति

वर्ष 2023–24 और 2024–25 (दिसंबर 2024 तक) में एसबीएम (जी) के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) के निर्माण की वार्षिक वास्तविक प्रगति निम्नानुसार हैः

वर्ष	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)
2023-24	38,99,743	17,682
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	25,87,665	12,564

स्रोतः एसबीएम(जी) का आईएमआईएस राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–III और IV में है।

जनवरी–मार्च 2025 की अवधि के दौरान आईएचएचएल का निर्माण होने की उम्मीदः 10 लाख

2.1.7 वार्षिक वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटित	उपयोग
2023-24	7,000.00	6,802.58
2024-25 (दिसंबर 2024 तक)	7,192.00	2,035.50

वर्ष 2023–24 और 2024–25 (दिनांक 31.12.2024 तक) के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार जारी राशि की स्थिति अनुबंध–V और अनुबंध–VI में है।

2.1.8 गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन)

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले जैवक्षरणीय कचरे को बायोगैस और बायो–स्लरी में बदलने में सहयोग करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत वर्ष 2018 में गोबरधन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करेगा और मवेशियों के गोबर और कृषि अपशिष्ट सहित ठोस कचरे को बायोगैस और जैव–घोल में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा उत्पन्न करेगा जिससे ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- गांवों की स्वच्छता में सुधार लाना और संवाहनीय रोगों की घटनाओं को कम करना
- ग्रामीण जैव–कचरे का कुशल शोधन और निपटान
- कच्चे तेल के आयातों पर निर्भरता कम करना
- रोजगार सृजन
- जैविक कचरे से अतिरिक्त ग्रामीण आय के स्रोत प्रदान करना
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना

जैव–घोल का उत्पादन जो जैविक खेती को बढ़ावा देगा, मृदा स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और फसल उत्पादन में वृद्धि करेगा।

एसबीएम (जी) चरण–II के अंतर्गत, गोबरधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति जिला 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। गांवों/ब्लॉकों/जिलों में सामुदायिक मॉडल वाले बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। जिलों को प्राथमिकता से गौशालाओं/सब्जी मंडियों/संस्थानों/धार्मिक स्थलों आदि के पास परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि परियोजनाओं को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के साथ–साथ व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने के लिए जैविक कचरे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। 15वें वित्त आयोग के अनुदानों अथवा अन्य स्रोतों के सामंजस्य से और अधिक गोबरधन इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। गोबरधन के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर रिपोर्ट की गई प्रगति के अनुसार, दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार, गोबरधन के तहत 877 कार्यशील संयंत्रों सहित 955 सामुदायिक और क्लस्टर बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

गोबरधनः भारत सरकार की "कचरे से कंचन" पहल का उद्देश्य कचरे को धन और ऊर्जा में परिवर्तित करना है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग एक सक्षम वातावरण बनाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस पहल के कार्यान्वयन के लिए "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मवेशियों के गोबर, कृषि–अवशिष्ट और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस/सीबीजी और जैविक खाद में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। डीडीडब्ल्यूएस गोबरधन के तहत, सभी हितधारक मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग है।

सफलता की कहानी-2

जिम्मेदार पर्यटन में केरल की छलांग: स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम

जब पर्यटन की बात आती है तो केरल हमेशा से अग्रणी रहा है, और अब राज्य ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर) प्रणाली के साथ जिम्मेदार पर्यटन में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। डीडीडब्ल्यूएस और पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी में यह पहल, आतिथ्य सुविधाओं में स्वच्छता मानकों के महत्व पर जोर देती है। केरल में अग्र सक्रिय दृष्टिकोण के साथ उपयोगकर्ता अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिससे आतिथ्य सुविधाओं के लिए उनके स्वच्छता मानकों का आकलन करना आसान हो जाता है। इस मंच के माध्यम से, पंजीकृत उपयोगकर्ता एसजीएलआर प्रणाली के अनुपालन को चिह्नित करते हुए स्व–मूल्यांकन कर सकते हैं। यह सरलीकृत प्रक्रिया सुविधाओं को आसानी से मापने की अनुमति देती है कि वे स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में कहां पर हैं। पहले चरण में, केरल में कुल 425 आतिथ्य सुविधाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत 680 स्व–मूल्यांकन में से एसजीएलआर अर्जित किया। इनमें से, 96 सुविधाएं प्रारंभिक स्व–मूल्यांकन पास नहीं करती थीं, और 159 प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहीं क्योंकि वे 100 अंकों के न्यूनतम आवश्यक स्कोर को पूरा नहीं करते थे। हालांकि, सत्यापन चरण में 67 सुविधाओं ने प्रतिष्ठित 5–लीफ रेटिंग हासिल की, अन्य ने 3 अथवा 1 लीफ रेटिंग हासिल की, जो अनुपालन के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।

जो बात केरल को सबसे अलग करती है, वह है मानकों को पूरा नहीं करने वालों को बराबरी पर लाने की उसकी प्रतिबद्धता है। राज्य 255 संस्थानों को कम से कम एकल–लीफ रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने स्वच्छता मानकों में सुधार करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सभी बोर्डों में स्वच्छता में सुधार के लिए केरल का समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आतिथ्य सुविधा पीछे न छूटे। स्व–मूल्यांकन और स्वच्छता के लिए इस अभिनव दृष्टिकोण के साथ, केरल न केवल भारत में पर्यटन दर बढ़ा रहा है, बल्कि भविष्य के लिए मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है जहां स्वच्छता राज्य के आतिथ्य अनुभव का एक मुख्य हिस्सा है। यह पहल जिम्मेदार पर्यटन और एक स्वच्छ, उज्ज्वल भविष्य की दिशा में केरल की जारी यात्रा का साक्ष्य है।

2.1.9 जनवरी 2024–दिसंबर 2024 के दौरान एसबीएम (जी) में की गई महत्वपूर्ण पहल/गतिविधियां

(क) डीडीडब्ल्यूएस द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में एसबीएम (जी) की महिला चेंज मेकर्स को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक घटना का उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और प्रगति को बढ़ावा देना था। इन विचार–विमर्शों ने स्वच्छता क्षेत्र में महिला चेंज मेकरों की उपलब्धियों का स्मरण किया और व्यावहारिक आदान–प्रदान का अवसर प्रदान किया जो भविष्य की नीति दिशाओं को प्रभावित कर सकता है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर के साथ एक जीवंत संवाद में देश भर की 475 से अधिक महिलाओं को एक साथ लाया गया। महिला स्वच्छाग्रहियों ने दिनांक 26 जनवरी, 2024 को कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखी।

(ख) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक

राजस्थान में एसबीएम (जी) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन पर संयुक्त समीक्षा बैठक दिनांक 7 फरवरी 2024 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री, जल शक्ति और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से की थी।

(ग) लाइट हाउस इनिशिएटिव्स (एलएचआई) चरण–I की रिपोर्ट जारी करना।

दिनांक 13 फरवरी 2024 को, डीडीडब्ल्यूएस के सचिव ने लाइट हाउस पहल (एलएचआई) चरण–1 की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर श्री सीबी कुमार, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, जेजेएम, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक–एसबीएम (जी), श्री समीर कुमार–डीडीडब्ल्यूएस में आर्थिक सलाहकार, सुश्री नैना लाल किदवई, अध्यक्ष, आईएससी की अध्यक्ष, सुश्री नताशा पटेल, सीईओ– एससी, राज्य मिशन निदेशक और कॉर्पोरेट भागीदार उपस्थित थे। इस अवसर पर पहल के चरण 2 की घोषणा को बहुत व्यापक दायरे और नए कॉर्पोरेट्स की भागीदारी के साथ भी चिह्नित किया गया।

(घ) जेजेएम और एसबीएम (जी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जेजेएम और एसबीएम (जी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 16–17 फरवरी 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया था जिसमें 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री स्वतंत्र देव सिंह, माननीय जल संसाधन उत्तर प्रदेश, माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला, गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र, सुश्री विनी महाजन, सचिव, भारत सरकार, डीडीडब्ल्यूएस और श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति थी। मुख्य सचिव/एसीएस/प्रधान सचिवों/सचिवों/मिशन निदेशकों/मुख्य इंजीनियर/मुख्य अभियंता और चुनिंदा डीएम/डीसी ने सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियों, सामने आई चुनौतियों और भावी समाधानों पर विचार–विमर्श किया। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन किया गया:

(i) स्वच्छता क्रॉनिकल्स

(ii) स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर)

(iii) तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों पर संग्रह:

(ङ) ध्यान केंद्रित किए गए 17 राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और एसबीएम (जी) के मिशन निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक

ग्रामीण स्वच्छता के एसीएस/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव और 17 ध्यान केंद्रित राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के एसबीएम (जी) के मिशन निदेशकों के साथ एक बैठक दिनांक 12.3.2024 को सुबह 11 बजे सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में विडीयो कॉफ्रेंस के माध्यम से एसबीएम (जी) के चरण–II की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा समय–सीमा के भीतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/टिप्पणियां/जानकारी प्रदान की गई।

(च) 17 अन्य राज्यों के एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और एसबीएम–जी के मिशन निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक

ग्रामीण स्वच्छता के एसीएस/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव और अन्य 17 राज्यों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा के मिशन निदेशकों एसबीएम (जी) के साथ एक बैठक दिनांक 12.3.2024 को दोपहर 3 बजे सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से एसबीएम (जी) के चरण–II की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित की गई। कार्यक्रम के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा समय–सीमा के भीतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/टिप्पणियां/जानकारी प्रदान की गई।

(छ) ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी अपर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा एसबीएम–जी के मिशन निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक

हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पुदुचेरी, सिक्किम, झारखंड, नागालैंड, गुजरात, लद्दाख, केरल, लक्षद्वीप, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, कर्नाटक, दादरा और नगर हवेली, जम्मू–कश्मीर और आंध्र प्रदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव/प्रभारी सचिव और एसबीएम (जी) के साथ बैठक दिनांक 2 मई 2024 से 21 मई, 2024 तक सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में एसबीएम (जी) के चरण–II की प्रगति की समीक्षा के लिए वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा समय–सीमा के भीतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/टिप्पणियां/जानकारी प्रदान की गई।

(ज) अंतर–मंत्रालयी बैठकें

अंतर–मंत्रालयी बैठकें डीडीडब्ल्यूएस और 5 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अंतर–मंत्रालयी समन्वय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सचिव डीडीडब्ल्यूएस सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव, डीडीडब्ल्यूएस, भारत सरकार और मंत्रालयों/विभागों के सचिव ने की:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	तिथि
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय	10.5.2024
2	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	16.5.2024
3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	22.5.2024
4	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	24.5.2024
5	आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय	03.6.2024

(झ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी), पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), और गैर–नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अधिकारियों के साथ बैठक दिनांक 3 जून, 2024 को सचिव (डीडीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंतोदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का एजेंडा बिटुमिनस सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग के लिए निर्देशों को अंतिम रूप देना था।

(ञ) राज्यों में जेजेएम और एसबीएम (जी) के प्रभारी माननीय मंत्रियों/सलाहकारों के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री की समीक्षा बैठकः

माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी आर पाटिल ने निम्नलिखित राज्यों में जेजेएम और एसबीएम (जी) के प्रभारी माननीय मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की और पंडित डीडी अंत्योदय भवन/श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में तारीखों का उल्लेख किया। सचिव (डीडब्ल्यूएस), अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, जेजेएम, संयुक्त सचिव और एसबीएम (जी) के मिशन निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

क्र.सं.	राज्य	तिथि
1	उत्तराखंड	09.07.2024
2	महाराष्ट्र	11.07.2024
3	जम्मू और कश्मीर	11.07.2024
4	तेलंगाना	22.07.2024
5	नागालैंड	24.07.2024
6	हिमाचल प्रदेश	03.12.2024
7	राजस्थान	03.12.2024
8	उत्तर प्रदेश	10.12.2024
9	बिहार	10.12.2024
10	पंजाब	10.12.2024
11	मध्य प्रदेश	10.12.2024

एचएमओजेएस की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की समीक्षा बैठक

(ट) राज्यों में माननीय मुख्य मंत्रियों के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री की समीक्षा बैठक

माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी आर पाटिल ने निम्नलिखित राज्यों में यथा उल्लिखित तारीखों में माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी मंजिल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन/श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष में समीक्षा बैठक की। सचिव (डीडब्ल्यूएस), अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, जेजेएम, संयुक्त सचिव और एसबीएम (जी) के मिशन निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

क्र.सं.	राज्य	तिथि
1	मेघालय	16.07.2024
2	ओडिशा	16.07.2024
3	आंध्र प्रदेश	22.07.2024
4	राजस्थान	24.07.2024

(ठ) एसबीएम (जी) और जेजेएम के कार्यान्वयन पर संयुक्त समीक्षा बैठक:

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), भारत सरकार के सचिव और निम्नलिखित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

क्र.सं.	राज्य	तिथि
1	पश्चिम बंगाल	03.02.2024
2	उत्तराखंड	14.02.2024
3	असम	21.02.2024
4	मेघालय	22.02.2024
5	पंजाब	05.07.2024
6	हरियाणा	05.07.2024

(ड) सीबीजी ऑपरेटरों के साथ समीक्षा बैठक:

सीबीजी ऑपरेटरों के साथ माननीय जल शक्ति मंत्री की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2024 को सम्मेलन कक्ष, चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अन्य प्रतिभागियों में डीडीडब्ल्यूएस के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, हितधारक मंत्रालय/विभाग और सीबीजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ढ) डीएम/डीसी/सीईओ जेडपी के साथ समीक्षा बैठक:

एसबीएम (जी) के तहत ओडीएफ प्लस (मॉडल) उपलब्धि की समीक्षा करने के लिए बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के 54 डीएम/डीसी/सीईओ जिला परिषद के साथ दिनांक 21 अगस्त, 2024 को विडीयो कॉफ्रेंस के माध्यम से सचिव, डीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए जिले को आवश्यक सलाह/सुझाव दिए गए थे।

(ण) एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और एसबीएम (जी) के मिशन निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक:

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (हरियाणा और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) में एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशक–एसबीएम (जी) के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 27 सितंबर, 2024 को सचिव, डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली की अध्यक्षता में विडीयो कॉफ्रेंस के माध्यम से चौथी मंजिल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करना था।

(त) ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और एसबीएम (जी) के एसीएस/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव और एसबीएम (जी) के मिशन निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक:

ग्रामीण स्वच्छता के एसीएस/प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव और 12 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मिशन निदेशकों

(एसबीएम–जी) के साथ बैठक दिनांक 25.11.2024 को शाम 4.00 बजे सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सचिव, डीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से एसबीएम (जी) के चरण–II की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यक्रम के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन तथा समय–सीमा के भीतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए राज्यों को आवश्यक सलाह/सुझाव/टिप्पणियां/जानकारी प्रदान की गई।

(थ) पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठकः

पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक दिनांक 12 नवंबर, 2024 को गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री, जल शक्ति ने की। पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया। सचिव (डीडब्ल्यूएस) और जेएस और एमडी, एसबीएम (जी) ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता और जल के प्रभारी अपर मुख्य सचिवों/सचिवों ने भी भाग लिया। अधिकारियों/सलाहकारों की टीमों ने क्षेत्र से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दिनांक 10 और 11 नवंबर, 2024 को असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम के कुछ गांवों का भी दौरा किया।

(द) क्षेत्रीय कार्यशालाः

दिनांक 20–21 दिसंबर, 2024 को गंजम, ओडिशा में डीडीडब्ल्यूएस, ओडिशा राज्य सरकार, जिला परिषद–गंजम, पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) द्वारा एचडीएफसी बैंक और कोर के सहयोग से दिनांक 20–21 दिसंबर, 2024 को गंजम, ओडिशा में 'ड्राई एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी पर क्षेत्रीय कार्यशाला' शीर्षक से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एसबीएम (जी), ईपीआर, चक्रिय अर्थव्यवस्था और अन्य के कवरेज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल के कार्यान्वयन के आधार पर विभिन्न पैनल चर्चा और विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला में कुल मिलाकर 150 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया।

गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा बैठक

(ध) हितधारक परामर्श:

एसबीएम 3.0 के लिए हितधारक परामर्श दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को अक्षय ऊर्जा भवन, प्रगति विहार, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह बैठक सचिव, डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में जेएस एंड एमडी, एसबीएम (जी) और अन्य डीडीडब्ल्यूएस अधिकारी उपस्थित थे। 44 से अधिक एसीएस/प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव और मिशन निदेशक, एसबीएम (जी) और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। राज्यों ने एसबीएम 3.0 के लिए सुझाव/जानकारी प्रदान की गई।

(न) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ बैठक:

माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कौशल विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10 दिसंबर 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एसबीएम (जी) को 30 लाख से अधिक स्वच्छता कर्मचारियों के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध किया गया है जो वर्तमान में ग्रामीण स्वच्छता कार्यालय और रखरखाव में शामिल हैं। इस संबंध में ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्रों में प्रायोगिक कौशल परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

2.2. पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियां

2.2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य निष्पादन

प्रत्येक वर्ष बजट का 10% पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है ताकि उन्हें कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जा सके। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रः राज्य हिस्से का वित्तपोषण पैटर्न 90:10 है।

वर्ष 2024–25 के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 719.2 करोड़ रुपये (7192.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन का 10%) आरक्षित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2023–24 और वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024) के दौरान वित्तीय और वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

2.2.2 (क) वर्ष 2023–24 के दौरान वित्तीय स्थिति:

वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य–वार जारी निधि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	जारी
1	अरुणाचल प्रदेश	15.81
2	असम	389.77
3	मणिपुर	0.00
4	मेघालय	20.81
5	मिजोरम	5.00
6	नागालैंड	31.07
7	सिक्किम	6.66
8	त्रिपुरा	35.79
	कुल	**504.91**

2.2.2 (ख) वर्ष 2024–25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान

पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2024–25 (31.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य–वार जारी निधि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	जारी
1	अरुणाचल प्रदेश	3.71
2	असम	21.26
3	मणिपुर	0.00
4	मेघालय	0.00
5	मिजोरम	4.42
6	नागालैंड	6.90
7	सिक्किम	3.70
8	त्रिपुरा	18.80
	कुल	**58.79**

2.2.2 (ग) ओडीएफ प्लस घोषित गांवः

दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक खुद को ओडीएफ प्लस घोषित करने वाले गांवों की राज्य–वार संख्या इस प्रकार हैः

राज्य	कुल गांव	ओडीएफ प्लस गांव – उदीयमान	ओडीएफ प्लस गांव –उज्ज्वल	ओडीएफ प्लस गांव – उत्कृष्ट	कुल ओडीएफ प्लस गांव
अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,223	884	830	4,937
असम	25,518	4,701	1,370	19,252	25,323
मणिपुर	2,549	41	1	26	68
मेघालय	6,465	4,712	317	392	5,421
मिजोरम	637	2	1	568	571
नागालैंड	1,425	339	40	435	814
सिक्किम	400	0	0	400	400
त्रिपुरा	765	57	17	629	703
कुल	**42,892**	**13,075**	**2,630**	**22,532**	**38,237**

2.2.2 (घ) एसएलडब्ल्यूएम के तहत प्रगतिः

दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार एसएलडब्ल्यूएम के साथ राज्य–वार, कवर किए गए गांव निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से परिपूर्ण गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से परिपूर्ण गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,310	3,739
2	असम	25,518	21,267	24,989
3	मणिपुर	2,549	29	112
4	मेघालय	6,465	843	5,373
5	मिजोरम	637	581	578
6	नागालैंड	1,425	553	760
7	सिक्किम	400	400	400
8	त्रिपुरा	765	727	750
कुल		**42,892**	**27,710**	**36,701**

स्रोतः एसबीएम (जी) का आईएमआईएस

2.3 अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)

2.3.1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण–I का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल करना था। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित पूरी ग्रामीण आबादी के लिए शौचालयों की सुविधा का प्रावधान शामिल था। ओडीएफ की स्थिति हासिल करने के बाद, भारत सरकार ने 19 फरवरी 2020 को वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक, एसबीएम(जी) के चरण–II का अनुमोदन किया जिसमें ओडीएफ स्थिरता और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) सहित ओडीएफ प्लस गांवों के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए

कि कोई भी शौचालय सुविधा से वंचित न रहे, नव निर्मित परिवारों को भी कवर करना है। चरण–II के तहत, वर्ष 2024–25 तक सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य है। एसबीएम (जी) के तहत, सभी एससी एवं एसटी परिवारों को आईएचएचएल के निर्माण के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी एसबीएम (जी) के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सीएससी के निर्माण के लिए एससी एवं एसटी बसावटें बहुल स्थानों (सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण हेतु) को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

एसबीएम (जी) के तहत, प्रत्येक वर्ष के लिए बजट आबंटन का क्रमशः 22% तथा 10% अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित किया जाता है।

वर्ष 2024–25 के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 1,354.9 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 615.9 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसंबर, 2024 तक इसमें से एससीएसपी के तहत 477.73 करोड़ रुपए और टीएसपी के तहत, 208.30 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए गए थे।

एसबीएम (जी) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में हासिल प्रगति की निगरानी डीडीडब्ल्यूएस द्वारा अनुरक्षित ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से भी की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मार्च, दिसंबर 2024 तक एसबीएम (जी) की ऑनलाइन आईएमआईएस पर दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024–25 के दौरान निर्मित कुल 25.87 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से, 3.55 लाख (13.72%) आईएचएचएल अनुसूचित जाति परिवारों के लिए और 1.51 लाख (5.85%) आईएचएचएल अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए हैं। राज्य–वार विवरण अनुबंध–VII में दिया गया है। एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियां, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित पूरे समुदाय के लिए हैं।

2.4 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

2.4.1 पृष्ठभूमि

इस वर्ष की सरकारी वार्षिक रिपोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) चरण–II के तहत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) नामक अध्याय को एक कार्यनीतिक आधारशिला के रूप में सामने लाया गया है। सटीकता और बुद्धिमत्ता पर ध्यान देने के साथ, यह खंड जन जागरूकता के जटिल परिदृश्य के बारे में बताता है, व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आईईसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। जन आंदोलन (लोगों का आंदोलन) की भावना युक्त यह दृष्टिकोण पारंपरिक सीमाओं को पार कर गया, एसबीएम चरण–I के तहत हासिल किए गए कार्यक्रमपरक लाभों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए 360–डिग्री संचार दृष्टिकोण अपनाया गया है और हम चरण–II के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं।

एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, डीडीडब्ल्यूएस ने नए परिवारों और वंचित लोगों के लिए स्वच्छता कवरेज में अंतराल को भरने के लिए विभिन्न अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त, इसने सामुदायिक भागीदारी, स्वामित्व और समझ को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिनव अभियान भी चलाए।

2.4.2 राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा 24 जून 2024 को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल और श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विकास भागीदार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान का उद्देश्य दो माह की अवधि में व्यापक, बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है।

इस पहल में योगदान करते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने 01 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में "सुरक्षित जल और स्वच्छता", "स्वच्छ गांव, शुद्ध जल–बेहतर कल" पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान जागरूकता का प्रसार करने और गांव तथा पंचायत स्तर पर सुरक्षित पानी और स्वच्छता व्यवहारों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Swachh Gaon, Shudh Jal- Behtar Kal

2.4.3 भारत जल सप्ताह 2024

भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) 2024 का 8वां संस्करण 17–20 सितंबर, 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित, इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम ने स्वयं को जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल और राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी की उपस्थिति में किया।

आईडब्ल्यूडब्ल्यू 2024 प्रदर्शनी इस आयोजन का केंद्र बिंदु थी। इसमें स्वच्छ सुजल गांव को एक मॉडल गांव को प्रदर्शित किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए भारत के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीन दिवसीय आयोजित इस प्रदर्शनी ने देश भर में स्थायी जल प्रबंधन और स्वच्छता प्रयासों में महत्वपूर्ण गहन जानकारी को प्रस्तुत करते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने नवाचारों और सर्वोत्तम व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

राष्ट्रीय जल सुरक्षित संवाद सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाश सम्मेलन के तीसरे सत्र में एसबीएम (जी) के तहत जीडब्ल्यूएम पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों ने भाग लिया और नीतिगत मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वाटरएड इंडिया ने विनियामकीय व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत और जीडब्ल्यूएम की आवश्यकता के बारे में बताया। राज्यों के मिशन निदेशकों ने भी अपने–अपने राज्यों में लागू की जा रही सर्वोत्तम परिपाटियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। यूनिसेफ ने जीडब्लूएम के लिए जलवायु और आपदा प्रतिरोधी योजना पर भी प्रस्तुति दी।

2.4.4 नियोजन और सहयोग

स्वच्छता ही सेवा 2024 में बिल गेट्स, अजय बंगा–विश्व बैंक के अध्यक्ष, धर्म गुरु–श्री श्री रविशंकर, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक–डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस, एडीबी अध्यक्ष मासत्सुगु असकावा और रतन टाटा–पूर्व अध्यक्ष, टाटा संस जैसे वैश्विक स्तर की हस्तियों के बधाई संदेशों/वीडियो बाइट्स के साथ 175 से अधिक सेलिब्रिटियों ने भागीदारी की, जिससे इस आयोजन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इन प्रभावशाली हस्तियों ने मिशन को जारी रखने और लाखों नागरिकों को स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के महत्व का उल्लेख किया।

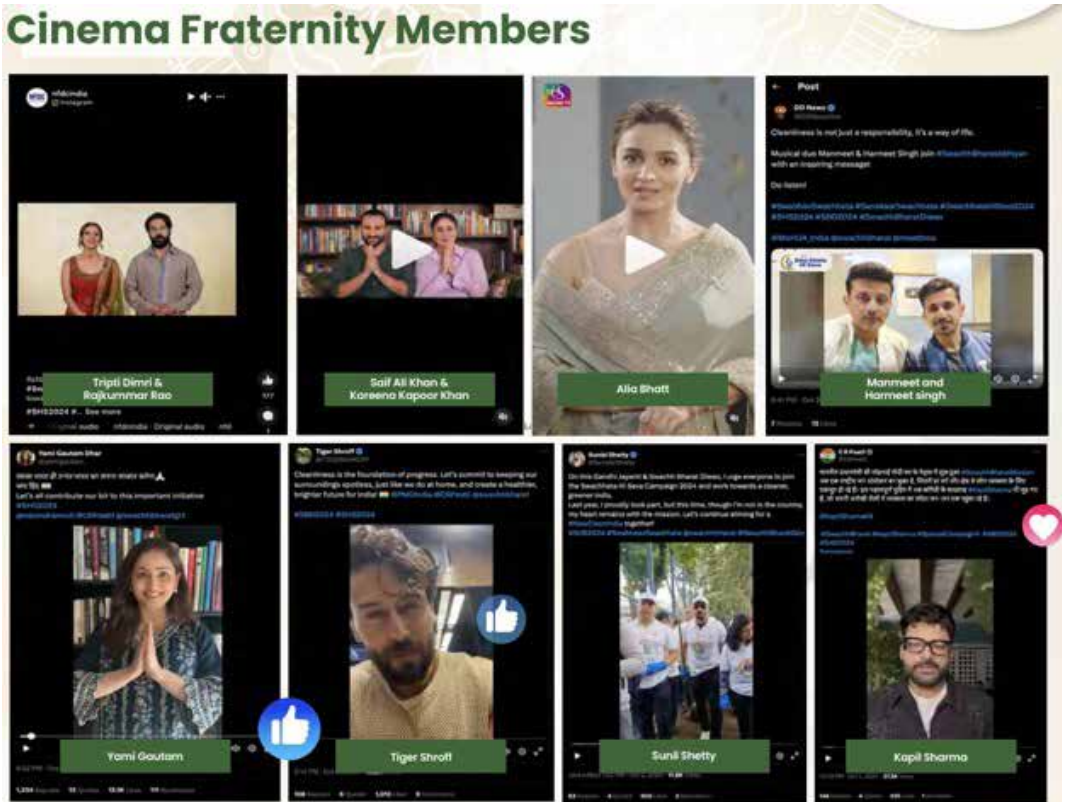

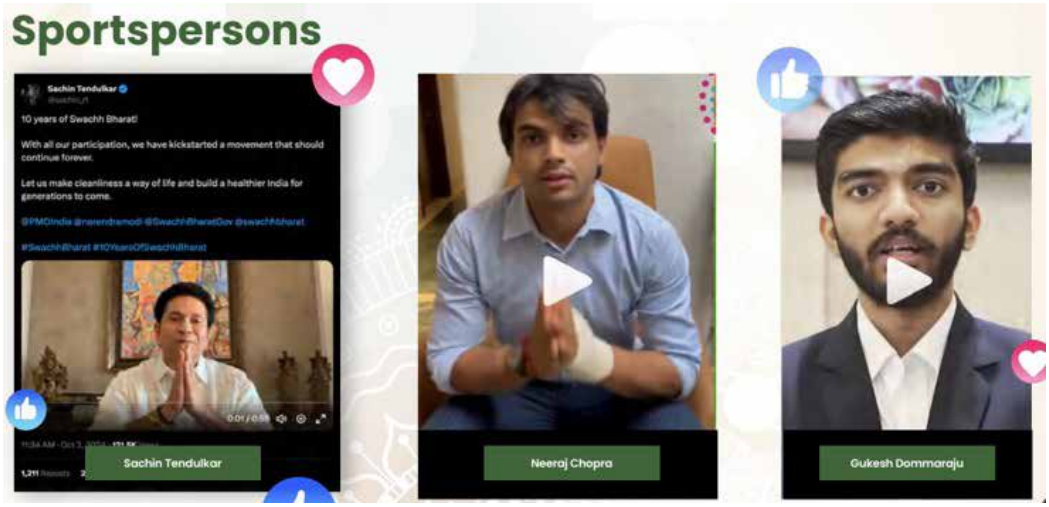

महाराष्ट्र में 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में पीएस डब्ल्यूएसएसडी महाराष्ट्र और संयुक्त सचिव तथा एमडी, एसबीएम (जी) भारत सरकार की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में, ज़ेडएसबीपी महाराष्ट्र के ब्रांड एंबेसडर श्री स्वप्निल जोशी तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्री मल्हार कलाम्बे और श्री रिपुदमन बेवली ने स्वच्छ भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए कार्यशाला में भाग लिया।

2.4.5 नेशनल विज़निंग वर्कशॉप

डीडीडब्ल्यूएस ने दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक परिवर्तनकारी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और वॉश में स्थायी सामुदायिक नियोजन के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु विशेषज्ञों और नेताओं को एक साथ लाया गया। एसबीएम (जी) के दस वर्षों और जेजेएम के पांच वर्षों को चिह्नित करने वाली इस राष्ट्रीय विज़न कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ भविष्य की कार्यनीतियों को संरेखित करना है।

कार्यशाला में भावी कार्यनीतियों को परिष्कृत करते हुए प्रगति का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रभावी सामुदायिक नियोजन पर गहन जोर दिया गया। अधिकारियों ने भारत के वॉश परिदृश्य को आकार देने और एसबीएम तथा जेजेएम को व्यापक विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में श्रीमती विनी महाजन की महत्वपूर्ण भूमिका को अभिस्वीकृत किया।

2.4.6 हमारा शौचालयः हमारा सम्मान

डीडीडब्ल्यूएस–एसबीएम (जी) ने राष्ट्रव्यापी अभियान "हमारा शौचालयः हमारा सम्मान" (एचएसएचएस) 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर शुरू किया। इसका समापन मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर 2024 को हुआ। इसमें स्वच्छता, मानवाधिकारों और गरिमा के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर दिया गया। यह अभियान स्वच्छ, स्वस्थ समुदायों के लिए व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने हेतु भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एचएसएचएस अभियान ने एसबीएम कार्यक्रम में किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखने और निर्माण करने हेतु समय पर कार्य करने की आवश्यकता के रूप में कार्य किया। कमज़ोर समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं पर भलीभांति ध्यान देने के साथ, यह पहल रेखांकित करती है कि शौचालय मात्र बुनियादी ढांचे नहीं हैं, वे अभियान के आदर्श वाक्य "शौचालय संवारें, जीवन निखारें" के अनुरूप गरिमा, समानता और जन स्वास्थ्य के लिए मूल जरूरत हैं। 3 सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान, एचएसएचएस अभियान के तहत देश भर में 50,500 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 38 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अभियान ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें 1.54 लाख से अधिक सीएससी का मूल्यांकन और कार्यशीलता संबंधी सुधार, 70% से अधिक मौजूदा सुविधाओं को कवर करना, 3.35 लाख से अधिक आईएचएचएस स्वीकृतियों को मंजूरी देना और 600 से अधिक डीडब्ल्यूएसएम बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

2.4.7 स्वच्छ सुजल गांव सोशल मीडिया प्रवर्धन अभियान

'स्वच्छ सुजल गांव' बनने की दिशा में सभी गांवों की प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में डीडीडब्ल्यूएस कार्यरत है, जो ग्रामीण भारत में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑनलाइन सहबद्धता की सुविधा प्रदान करने और 'स्वच्छ सुजल गांव' पहल के प्रभाव का विस्तार करने के लिए हर घर जल और ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापित से संबंधित ज़मीनी कार्यों को सुदृढ़ और संवर्धित किया जा रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय सफलताओं, प्रमुख घटनाओं और आपके दर्शकों को प्रेरित करने वाली किन्हीं भी अनूठी कहानियों को प्रतिबिंबित करने के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके पोस्ट करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। इन दैनिक पोस्टों का उद्देश्य आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में "स्वच्छ सुजल गांव" पहल के तहत ऐसी उपलब्धियों, गतिविधियों और सर्वोत्तम

परिपाटियों को प्रकटित करना है, जो स्थानीय समुदायों, पंचायतों और जिला अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं। इससे साझा उद्देश्य की भावना सृजित करने और अन्य क्षेत्रों को सफल मॉडल का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और/या आधिकारिक एसडब्ल्यूएसएम हैंडल पर इसे दैनिक रूप से प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी पोस्ट में उन गांवों की जानकारी होनी चाहिए जो हर घर जल प्रमाणित और ओडीएफ प्लस मॉडल सत्यापित गांव हैं।

2.4.8 सामाजिक मीडिया दृश्यता

वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय संचार चैनल डिजिटल मीडिया है और एसबीएम–जी चरण II इसका विधिवत उपयोग करता है। सभी लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अर्थात X (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग नवीनतम कार्यक्रम शुभारंभ, अभियानों, उपलब्धियों, घटनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में, एसबीएम–जी की सोशल मीडिया फॉलोइंग निम्नानुसार है:

- X (पूर्व में ट्विटर) – करीब 5.6 लाख
- फेसबुक – 2.2 लाख से अधिक
- इंस्टाग्राम – 8.7 हजार से ज्यादा
- यूट्यूब – करीब 26 हजार

एसबीएम (जी) राष्ट्रीय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की घटनाओं तथा गतिविधियों के समाचार और कहानियों को **स्वच्छता समाचार** नामक मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित करता है तथा वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर आवधिक **एसबीएम (जी) ब्लॉग** प्रकाशित करता है ताकि एसबीएम (जी) की नवीनतम जानकारी का प्रसार ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले अत्यधिक लोगों तक किया जा सके।

डीडीडब्ल्यूएस ने MyGov के सहयोग से, स्वच्छ भारत मिशन की परिवर्तनकारी यात्रा को व्यापक बनाने के लिए इस वर्ष नौ प्रतियोगिताओं और अभियानों का आयोजन किया तथा राष्ट्रीय विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को व्यापक स्तर पर प्रकटित किया।

1. स्वच्छता क्विज
2. एसबीएमजी फेज–II क्विज
3. 7 दिवसीय स्वच्छता चुनौती
4. स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर रील प्रतियोगिता
5. स्वच्छता हास्य कहानी प्रतियोगिता
6. स्वच्छ भारतः परिवर्तन की 10 वर्ष की यात्रा के लिए लेख लेखन प्रतियोगिता
7. हमारा शौचालय हमारा सम्मान – फोटोग्राफी प्रतियोगिता
8. स्वच्छता की गूंज – नारा लेखन प्रतियोगिता
9. स्वच्छ भारत की आवाज – ए जिंगल मेकिंग प्रतियोगिता

2.4.9 स्वच्छता ही सेवा 2024

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) का आह्वान पहली बार 2017 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। उसके बाद हर वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा मनाया जाता है। एसएचएस 2024 के विषय 'स्वाभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' का उद्देश्य 'संपूर्ण समाज दृष्टिकोण' के तहत तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत में स्वच्छता के लिए सामूहिक कार्रवाई और नागरिक भागीदारी की भावना को फिर से जगाना है:

- स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ (सीटीयू) – लक्ष्य इकाइयों के समयबद्ध परिवर्तन पर लक्षित श्रमदान गतिविधियाँ और सामान्य स्वच्छता।
- स्वच्छता में जन भागीदारी – जन भागीदारी, जागरूकता और संस्तुति को बढ़ावा देना।
- सफाई मित्र सुरक्षा शिविर – निवारक स्वास्थ्य जांच आयोजित करना और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना।

कर्टेन राइज़र इवेंट:

इस कार्यक्रम में श्री मनोहर लाल, माननीय केंद्रीय मंत्री, आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्रालय, श्री सीआर पाटिल, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, श्री तोखन साहू, माननीय राज्य मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा डीडीडब्ल्यूएस, एमओएचयूए, एमओआरडी और एमओपीआर के सचिव सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शहरी विकास, स्वच्छता, पीआर और आरडी के राज्य मंत्रियों और सचिवों के साथ–साथ मिशन निदेशकों, जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों ने कर्टेन राइज़र में भौतिक/ऑनलाइन मोड में भाग लिया। इस कार्यक्रम में आगामी एसएचएस अभियान पर एक प्रेस वार्ता और एक ब्रीफिंग शामिल थी, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भागीदारों, कॉर्पोरेट्स और नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया जो इस राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की रीढ़ हैं।

कार्यक्रम का समापन स्वच्छता प्रतिज्ञा के साथ हुआ, जिसमें स्वच्छता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ।

एसएचएस 2024 पखवाड़े की गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं:

इस वर्ष एसएचएस 2024 का आयोजन 17 सितंबर से अक्टूबर 2024 तक किया गया था, एसएचएस के दौरान, पखवाड़े अभियान में माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अलावा 42 केंद्रीय मंत्रियों, 10 राज्यपालों, 20 मुख्यमंत्रियों, 149 सांसदों, 188 राज्य मंत्रियों, 933 विधायक/एमएलसी और 747 जिलों और 3481 ब्लॉकों ने भागीदारी की। इसके साथ ही 1.46 लाख ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया

और 11000 से अधिक गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया।

- **स्वच्छता लक्ष्य इकाइयाँ**
  सम्पन्न कार्यक्रम 5,12,779
  जन भागीदारी 2,69,34,430
- **सफाई मित्र सुरक्षा शिविर**
  सम्पन्न कार्यक्रम 1,31,788
  लाभांवित स्वास्थ्य कार्मिक 34,07,661
- **स्वच्छता में जन भागीदारी**
  सम्पन्न कार्यक्रम 14,79,944
  जन भागीदारी 21,40,76,108

हैशटैग #10YearsOfSwachhBharat, #SBD2024 और #SHS2024 भारत में X प्लेटफॉर्म पर सुबह 9:15 बजे ट्रेंड कर रहे थे और 5 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बने रहे। अभियान अवधि के दौरान, राज्य और राष्ट्रीय चैनलों में मीडिया में 2000 से अधिक लेख प्रकाशित किए गए थे।

2.4.10 स्वच्छ भारत दिवस 2024

माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने 1 अक्टूबर, 2024 को स्वच्छ भारत दिवस 2024 पर कर्टेन राइज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से 2 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:00 बजे से 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' का एक घंटा शुरू करने का अनुरोध किया।

एसएचएस 2024 की शुरूआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती 2024 पर हुई, जो एसबीएम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, जो देश के स्वच्छता परिदृश्य को बदलने की 10 वर्षों की यात्रा को यादगार बनाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता की प्रतिष्ठा में वृद्धि से देश में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आया है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन द्वारा सोच में लाए गए बदलाव का उल्लेख किया और सफाई कार्य में शामिल लोगों का उदाहरण दिया, जिन्हें पहले हेय की दृष्टि से देखा जाता था। *''सफाईकर्मियों को जब सम्मान मिला तो उन्हें भी देश बदलने में अपनी भूमिका पर गर्व महसूस हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों का गौरव बढ़ाया है''*, प्रधानमंत्री ने सफाई मित्रों के गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की। श्री मोदी ने सेप्टिक टैंकों में मैनुअल प्रवेश के कारण होने वाली समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया और बताया कि सरकार इस संबंध में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा, *"हम पेशेवरों और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।''*

पिछले दशक में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, *"हमने स्वच्छ भारत के इन दस वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन हमारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सच्चा बदलाव तब आता है, जब हर नागरिक स्वच्छता को अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी मानता है।"* प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक की निरंतर भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि *"स्वच्छता का मिशन एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि एक आजीवन का अनुष्ठान है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की सोच होनी चाहिए और यह हर दिन की जानी चाहिए।"* उन्होंने भावी पीढ़ी के बच्चों से आह्वान किया कि वे तब तक न रुकें जब तक कि भारत वास्तव में स्वच्छ न हो जाए।

स्वच्छ भारत मिशन की 10 वर्ष की यात्रा की सफलता को यादगार बनाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने उपलब्धियों और सफलताओं को दर्शाने के लिए एक वीडियो लॉन्च किया।

कार्यक्रम के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और भारत के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया:

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने पर केंद्रित 1,332 करोड़ रुपये की 15 गोबरधन सीबीजी संयंत्र परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास किया गया। विशेष रूप से, 6 उद्घाटन किए गए सीबीजी संयंत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) द्वारा स्थापित किए गए हैं, जबकि उनमें से 4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के लाभार्थी भी हैं। यह "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण के माध्यम से गोबरधन के संचालन में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- शहरी जल और सीवेज प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए 6825 करोड़ रुपये मूल्य की अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 109 परियोजनाएं शुरू की गईं।
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा बेसिन में जल गुणवत्ता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई ₹1555 करोड़ की 10 नई परियोजनाओं का अनावरण किया।

निष्कर्ष:

यद्यपि हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, पर पूर्ण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन की इच्छाशक्ति मजबूत बनी हुई है। नागरिकों की भागीदारी सर्वोपरि है क्योंकि एसबीएम चरण II का प्रत्येक पहलू घर से शुरू होता है। चूंकि देश स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए नए और अभिनव तरीके खोजता है, अतः यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल तभी तक हासिल किया जा सकता है जब तक स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी बनी रहे।

2.5 अंतर मंत्रालय और अंतर–क्षेत्र सहयोग

2.5.1 स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को शामिल करने के दृष्टिकोण से प्रेरित था। स्वच्छता पखवाड़ा, केंद्रीय मंत्रालयों के कैलेंडर का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसमें स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से 15 दिन समर्पित किए गए हैं। इसका उद्देश्य इसे इसके वास्तविक रूप में हर किसी की जिम्मेदारी बनाना था। कैलेंडर वर्ष 2023 स्वच्छता पखवाड़े का लगातार 8वां वर्ष था। मंत्रालयों और विभागों ने स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयास को प्रसारित करने के लिए अभिनव स्वच्छता अभियानों और कार्यक्रमों के साथ स्वयं को जोड़ा है।

सभी हितधारकों की उत्साहजनक भागीदारी के साथ स्वच्छता पखवाड़ा अभियान प्रतीकात्मकता से कई मील आगे निकल गया है और अपनी शुरूआत से ही वास्तविक प्रभावशाली गतिविधियों में लगा हुआ है। स्वच्छता पखवाड़े की निगरानी एक ऑनलाइन समर्पित पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

स्वच्छता पखवाड़ा के उद्देश्य/प्रधानमंत्री का मार्गदर्शनः–

1. स्वच्छ भारत मिशन की गति को वर्ष भर जारी रखना
2. स्वच्छता गतिविधियों को मंत्रालय के नियमित कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करना
3. अभिनव, सारभूत तथा स्थिर रखे जाने योग्य पहलें: प्रतीकवाद से आगे बढ़ना

2.5.2 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी), स्वच्छता–इतर मंत्रालयों और विभागों के भीतर स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन में से एक है। एसएपी का औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 2017 को भारत सरकार के 72 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ शुभारंभ किया गया था। एसएपी के तहत, मंत्रालय और विभाग उचित बजट प्रावधानों के साथ महत्वपूर्ण तरीके से स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को लागू कर रहे हैं। एसएपी एक अंतर–मंत्रालयी सहयोगपरक दृष्टिकोण है और इसके द्वारा स्वच्छ भारत के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को संगठित किया गया है। मंत्रालयों और विभागों ने अपनी मौजूदा और नई योजनाओं/कार्यक्रमों में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए बजट आवंटित करके नवीनता, प्रतिबद्धता और सहभागिता दिखाई है।

एसएपी के तहत, मंत्रालयों और विभागों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की लगातार निगरानी और समीक्षा, डीडीडब्ल्यूएस के स्तर पर एक अनुकूलित पोर्टल (www.swachhataactionplan.gov.in) के माध्यम से की जा रही है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने एसएपी से संबंधित व्यय की बुकिंग और निगरानी के उद्देश्य से एक नया बजट शीर्ष संख्या "96" बनाया है।

इस वित्त वर्ष 2023–24 में, 50 मंत्रालयों और विभागों ने कुल 31774.60 लाख रुपये आवंटित किए और उनमें से 14993.71 लाख रुपये उपयोग किए गए हैं। एसएपी ने बहु–आयामी गतिविधियों की एक श्रृंखला देखी है जिसमें गांवों को गोद लेना, स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग, बायोगैस संयंत्र की स्थापना और प्रचालन, वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना और सीवेज शोधन यंत्र, स्कूली स्वच्छता, अस्पतालों में बेहतर स्वच्छता, प्रतिष्ठित स्थानों और स्वच्छ रेलवे स्टेशनों के लिए सहयोग आदि शामिल हैं।

2.5.3 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (एसआईपी)

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, देश में 100 प्रतिष्ठित विरासतों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ प्रतिष्ठित विरासत वाले स्थल (एसआईपी) के रूप में एक विशेष सफाई अभियान हेतु शामिल किया जाना है। चार चरणों में, अब तक 39 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है और इन 39 स्थलों में से पीएसयू भागीदारों के साथ कुल 29 स्थलों का मानचित्रण किया गया है। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों (एसआईपी) का का शुभारंभ अत्यधिक आगंतुकों वाले सांस्कृतिक विरासत स्थलों में स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण से किया गया था।

एसआईपी का उद्देश्य इन स्थानों पर, विशेष रूप से परिधियों और पहुंच वाले क्षेत्रों में स्वच्छता/साफ–सफाई के उच्च स्तर को प्राप्त करना है। इस परियोजना का समन्वय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सीएसआर निधियों के माध्यम से प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों के सहयोग से केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार, नगरपालिका और स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है।

बैठक के दौरान संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एसबीएमजी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने विज़न, उद्देश्यों, प्रतिष्ठित स्थानों को परिभाषित करने और प्रमुख हितधारकों के बारे में एक सिंहावलोकन दिया। बैठक के दौरान स्थल चयन और निगरानी प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

2.5.4 नमामि गंगे

नमामि गंगे, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एण्ड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समन्वित एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कई मंत्रालय शामिल हैं। नमामि गंगे के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय को निम्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रयासों के साथ सामंजस्य करके गंगा नदी के तट के किनारे बसी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) करने की पहल को प्राथमिकता देना।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के प्रयासों के साथ सामंजस्य करके मॉडल गांवों/गंगा ग्रामों के विकास में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में संभव सीमा तक कार्यक्रम शुरू किया जाना।

(i) ओडीएफ स्थिति

- गंगा ग्राम राज्यों के गांवों/जिलों सहित सभी गांवों/जिलों/राज्यों ने 2.10.2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है।
- ओडीएफ के परिणाम को प्राप्त करने के बाद, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) का चरण II वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें ओडीएफ स्थिरता और ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य है।

(ii) ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) और ओडीएफ प्लस

- एसएलडब्ल्यूएम और सामंजस्य–आधारित संपूर्ण विकास से संबंधित गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।
- कुल 3,781 गंगा ग्रामों में से, 3440 में ठोस कचरा प्रबंधन कार्य परिपूर्ण किया गया है और 3,722 में गंदला जल प्रबंधन कार्य परिपूर्ण किया गया है।
- 3,766 गंगा ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाया गया है। झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी गंगा ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। 3,361 गंगा ग्राम ओडीएफ प्लस मॉडल हैं और 2,414 सत्यापित ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम हैं।

(iii) गंगा किनारे बसे गांवों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध

- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंडः राज्य सरकारों ने विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में कार्यकारी आदेश जारी किया है।
- पश्चिम बंगालः राज्य सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना जारी की है।
- झारखंडः राज्य सरकार ने प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना जारी की है।
- बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने गंगा किनारे बसी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में अलग से एक कार्यकारी आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है।

(iv) गंगा गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने में डीडीडब्ल्यूएस का हस्तक्षेप

- 53 जिलों में सामुदायिक लामबंदी और व्यवहारवादी परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण और संसाधन पूल के निर्माण के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- एसबीएम–जी मशीनरी और एसबीएम–जी निधि को नमामि गंगे के लिए प्राथमिकता के आधार पर सेवा में लगाया गया।

- मुख्य सचिवों की सक्रियता सहित डीडीडब्ल्यूएस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा, समन्वय और सहयोग।
- माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में डीओडब्ल्यूआर, एनएमसीजी और डीडीडब्ल्यूएस के बीच निरंतर और सकारात्मक समन्वय।
- परियोजना कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए डीडीडब्ल्यूएस में एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- डीडीडब्ल्यूएस ने जल निकासी स्थलों पर तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नमामि गंगे राज्यों को एक सलाह जारी की है।
- डीडीडब्ल्यूएस ने शेष गंगा ग्राम सर्वेक्षण और नालों (गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित) और सीधे गंगा में प्रवाहित होने वाले नालों के मानचित्रण के लिए एक संयुक्त पत्र जारी किया है।

(v) अगले चरण

- डीडीडब्ल्यूएस, ओडीएफ पश्चात चरण में गंगा किनारे बसे गांवों में उपयुक्त एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो कि ओडीएफ प्लस का अलग चरण होगा।
- डीडीडब्ल्यूएस सभी हितधारकों, विकास भागीदारों, गंगा प्रहरी, धार्मिक गुरूओं के समन्वय से प्रत्येक गंगा ग्राम को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- गंगा ग्रामों के सरपंचों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।

सफलता की कहानी-3

नमामि गंगे ग्राम पंचायत भटवाड़ी सुनार, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड

बेहतर स्वच्छता की ओर एक यात्रा

चंद्रपुरी बाजार के पास मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित भटवाड़ी सुनार ग्राम पंचायत में 125 परिवार रहते हैं। परंपरागत रूप से कृषि समुदाय, यह अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता के लिए एक मॉडल के रूप में खड़ा है।

प्रमुख उपलब्धियां

- अपशिष्ट प्रबंधनः कूड़ेदान, सोख्ता गड्ढे और 196–मीटर नाले का उपयोग तीन गांवों में कचरे के प्रबंधन के लिए किया जाता है। खाद के गड्ढों से जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है; पांच परिवार खाना पकाने के लिए बायोगैस का उपयोग करते हैं।
- महिला सशक्तिकरणः महिला मंगल दल द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता अभियान और द्वि–मासिक स्वयं सहायता समूह की बैठकों से स्वच्छता प्रयासों को सुनिश्चित किया जाता है।
- सामुदायिक जुड़ावः 190 प्रतिभागियों के साथ स्वच्छता रैलियों और वर्ष 2022 में संसाधन मानचित्रण द्वारा सतत् व्यवहारों को बढ़ावा दिया जाता है।
- स्वच्छता सुविधाएंः स्कूलों और बाजारों के समीप सामुदायिक शौचालय तथा 19 परिवारों द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढों का उपयोग।
- व्यवहारवादी परिवर्तनः स्वच्छता ही सेवा और विश्व शौचालय दिवस जैसे अभियान स्वच्छता की संस्कृति का सृजन करते हैं। सार्वजनिक संकेत जागरूकता का प्रसार करते हैं।

मुख्य आकर्षण

- महिलाओं के स्वच्छता अभियान।
- खाद और बायोगैस प्रणाली।
- सामुदायिक शौचालय और जल निकासी।
- स्वच्छता रैलियां और अभियान।

भटवाड़ी सुनार की सफलता सामुदायिक प्रयासों, बुनियादी ढांचे के विकास और महिला नेतृत्व से उपजी है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर स्थित, यह देश भर के गांवों को स्थायी स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

2.6 एसबीएम (जी) का अन्य स्कीमों के साथ तालमेल

एसबीएम (जी) चरण–II के अंतर्गत, यह परिकल्पना की गई है कि एसबीएम (जी) को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत सभी गांवों को कवर किया जा सके। इस पद्धति में यह माना गया है कि स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान के बहुमुखी आयाम होते हैं जिनमें स्वच्छता अवसंरचनाओं के सृजन से लेकर गहन आईईसी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से शौचालयों की मांग के सृजन के लिए समुदायों को प्रेरित करने जैसे संवेदनशील गतिविधियाँ की जाती हैं।

जिला स्तर पर एसबीएम–जी के कार्यान्वयन में शामिल विभागों को शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ियों के साथ मिलकर स्कूलों और समुदायों में निगरानी तथा जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इन विभागों के साथ राज्य स्तर पर तालमेल करने के लिए बेहतर एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ग्राम शिक्षा समिति और अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में स्कूली तथा आंगनवाड़ी शौचालयों के रखरखाव के विषय में नियमित चर्चा और ओडीएफ कार्यविधियों के स्थायित्व पर शिक्षक–बच्चों के साथ स्कूल में नियमित चर्चा को एक प्रभावी दृष्टिकोण माना गया। जिला प्रशासन, उन निगरानी समितियों/प्राकृतिक नेताओं/पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करता है, जिन्होंने गांव को ओडीएफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उन्हें विभिन्न विकासपरक गतिविधियों में शामिल करता है, स्वच्छता चैंपियनों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करता है तथा ओडीएफ स्थिति को निरंतर बनाए रखने वाले गांवों के लिए पुरस्कार योजनाएं शुरू करता है और यह ओडीएफ समुदायों को हासिल करने के लिए उनके लिए महत्वएपूर्ण होगा।

2.6.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस)

सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित स्वच्छता और बाल स्वास्थ्य के प्रावधान के बीच घनिष्ठ संबंधों को ध्यान में रखते हुए, डीडीडब्ल्यूएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ अधिक अंतर–क्षेत्रीय सामंजस्य के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रयास कर रहा है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार आंगनवाड़ी शौचालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं। आंगनवाड़ियों में शौचालय उपलब्ध कराने के संबंध में संयुक्त परामर्श (सं.एस–18012/77/2023–एसबीएम–II–डीडीडब्ल्यूएस दिनांक 21.8.2023 और सं.एस–18012/96/2023–एसबीएम–V–डीडीडब्ल्यूएस दिनांक 1.12.2023) जारी किए गए।

2.6.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सामंजस्य

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (मनरेगा) के साथ तालमेल किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सीएससी के लिए 230 श्रम दिवस तक अकुशल श्रम घटक को मनरेगा के तहत कवर किया जाएगा।

एसबीएम (जी) के घटक जैसे कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) का, जहाँ भी व्यवहार्य हो, मनरेगा के साथ तालमेल किया जाता है। मनरेगा के तहत राज्य आयोजना में निम्निलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सकती है:–

- पृथक्करण, भंडारण और कम्पोस्ट खाद परिसरों के लिए स्थापना लागत
- सोख्ता गड्ढों का निर्माण
- कम्पोस्ट खाद के गड्ढों का निर्माण
- गोबर–धन प्लांट का निर्माण
- सिंगल पिट शौचालयों को डबल पिट शौचालयों में बदलना
- ग्रेवाटर प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएसपी आदि)
- ड्रेनेज चैनल

2.6.3 जल जीवन मिशन के साथ तालमेल

यह स्पष्ट है कि शौचालयों को स्वच्छ और उपयोग करने योग्य बनाए रखने के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यक है। सुनिश्चित और स्थायी जल आपूर्ति की व्यवस्था न केवल शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, बल्कि लोगों को भोजन के पहले और बाद में तथा शौच के बाद में हाथ धोने के साथ–साथ घरों के भीतर और बाहर अच्छी स्वच्छता तथा आदतों को बनाए रखते हुए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए भी अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, स्वच्छता के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के डैशबोर्ड के अनुसार, **19.36 करोड़** परिवारों में से **15.40 करोड़** परिवारों को **31.12.2024** तक कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीपी) प्रदान किया गया है।

एसबीएम (जी) चरण–II कार्यक्रम को जेजेएम के साथ गहन समन्वय और तालमेल के साथ कार्यान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में यह भी परिकल्पना की गई है कि ग्राम पंचायतों को एसबीएम (जी) और जेजेएम के लिए एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपनी ग्राम कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। जेजेएम के तहत गांवों में पहले से उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध कराए जाने के लिए योजनाबद्ध पाइपगत जलापूर्ति के अनुरूप गाँवों में गंदला जल प्रबंधन की योजना बनाई जाएगी।

2.6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मानव द्वारा मैला ढोने के उन्मूलन संबंधी कार्य करेगा

'मानव द्वारा मैला उठाने का रोजगार के रूप में प्रतिषेध और इनके पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के लागू हो जाने के साथ, शुष्क शौचालयों के निर्माण एवं अनुरक्षण तथा किसी मनुष्य को मैला ढोने के लिए नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2011 की जनगणना में देश में 12.76 लाख अस्वच्छ शौचालयों की मौजूदगी बताई गई है, जिनमें से देश के ग्रामीण हिस्सों में 5.86 लाख शुष्क शौचालय हाथ से साफ किए जाने की सूचना है।

राज्यों ने इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया था और सभी अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किए जाने की सूचना मिली है।

इस कार्यक्रम में एफएसएम संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है जहां मल–मूत्र का ऑनसाइट शोधन संभव नहीं है। मशीनों से सफाई/गड्ढों और सेप्टिक टैंकों को खाली करने तथा मलीय गाद को शोधन स्थल तक ले जाने का कार्य, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ सामंजस्य के जरिए, व्यवसाय मॉडल के माध्यम से किया जाना होता है।

2.6.5 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), (एसबीएम(यू)) और अमृत कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में तरल तथा ठोस कचरा (मलीय गाद और प्लास्टिक कचरे सहित) के व्यापक प्रबंधन की व्यवस्था करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी प्रकार, डीडीडब्ल्यूएस, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम(जी)) चरण–II के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (मलीय गाद और प्लास्टिक कचरे सहित) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एसबीएम (यू), 2.0 और अमृत कार्यक्रमों के तहत, ऑनसाइट यूनिट (सेप्टिक टैंक) से मलीय सेप्टेज के सह–शोधन की व्यवस्था के साथ एकीकृत सीवेज शोधन सुविधाओं का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। एसबीएम (जी) चरण–II के अंतर्गत मलीय पदार्थ के ऑनसाइट प्रबंधन के लिए कम लागत वाली शौचालय प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया गया है और जिले के पड़ोसी शहरी क्षेत्र में मौजूद या नियोजित एसटीपी/एफएसटीपी पर सह–शोधन के लिए, जहां मलीय गाद का स्थल पर ही प्रबंधन संभव नहीं है और जहां गांव नवीकरण वाले शहरी

क्षेत्रों से 1–15 किमी के दायरे में स्थित हैं, जोर दिया गया है। उन गांवों के लिए, जहां ये विकल्प व्यवहार्य नहीं हैं, ऐसी स्टैंड–अलोन मल सेप्टेज प्रबंधन प्रणालियां, जो संचालित करने और बनाए रखने में आसान हैं, शुरू की जानी हैं।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत, ग्राम स्तर पर संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण और भंडारण के लिए ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉकों को निधियन सहायता और ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों (पीडब्ल्यूएमयू)/सामग्री रिकवरी सुविधा (एमआरएफ) की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे मौजूदा पीडब्ल्यूएमयू/एमआरएफ का उपयोग करने की भी परिकल्पना की गई है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।

2.7 दिव्यांगजनों के लाभार्थ शुरू की गई गतिविधियां

2.7.1 दिव्यांगजनों के लिए एसबीएम (जी) के अंतर्गत प्रावधान

समाज के सभी वर्गों को शामिल करना और सभी के बीच समानता को स्थापित करना इस कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कार्यक्रम का जोर ऐसे सामुदायिक दृष्टिकोण पर है जो यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सभी वर्ग (दिव्यांगजन सहित) बेहतर सुरक्षित स्वच्छता संबंधी परिपाटियों को अपनाने की दिशा में समुदाय में विचार–विमर्श और निर्णयों में भाग लें। यद्यपि दिव्यांगजनों के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं, तथापि दिव्यांगजन वाले सभी परिवार, आईएचएचएल के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के पात्र हैं। एसबीएम (जी) के दिशानिर्देशों में भी यह प्रावधान है कि इस कार्यक्रम के तहत, निर्मित सभी सामुदायिक शौचालयों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।

दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पारिवारिक स्वच्छता सुविधाओं (एक्सेसिबल हाउसहोल्ड सैनीटेशन फैसिलिटिस) से संबंधित हैंडबुक जारी की गई थी। इस पुस्तिका का प्राथमिक उद्देश्य, बुनियादी सुगमता सिद्धांतों के संबंध में योजनाकर्ताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं और परिवारों की जिला और ब्लॉक स्तर पर सहायता करने और मार्गदर्शन करने के लिए नॉन–एम्बुलेंट (चेयर बाउंड), सेमी–एम्बुलेंट (लोबर लिंब इम्पेयरमेंट) और दृष्टि बाधिता (आंशिक और पूर्ण दृष्टिबाधिता) के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है।

सीएससी और आईएचएचएल में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के संबंध में ग्रामीण स्वच्छता के सभी राज्यो के प्रभारी सचिवों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

2.7.2 वर्ष 2024–25 के दौरान उपलब्धि

वर्ष 2024–25 (31.12.2024 तक) के दौरान **1,48,041** दिव्यांग अनुकूल आईएचएचएल और **7,803** दिव्यांग अनुकूल सीएससी का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, कई जिले शौचालय की दीवार में हैंडल लगाने जैसे छोटे नवाचारों की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि दिव्यांगजन/बुजुर्ग लोग बैठने की स्थिति से आसानी से उठकर खड़े हो सकें।

सफलता की कहानी-4
दिव्यांगजन स्वच्छ भारत की ओर अग्रणी भूमिका में

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2024 अभियान सामूहिक गतिविधि से बदलाव लाने के प्रति विश्वास का साक्षी बनने का एक उत्कृष्ट अवसर था क्योंकि इसमें जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों के लोग स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एकजुट हुए थे। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी आंध्र प्रदेश के कल्ला मंडल के कलवापुडी गांव के वटाडी बलराम कृष्ण नायकर की है। दिव्यांग रहते हुए भी बलराम कृष्ण अपने गांव में नेतृत्व के पुंज बन गए हैं। अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से, उन्होंने स्थायी प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाते हुए, एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए समुदाय को संगठित किया। उनके प्रयासों ने बच्चों, वयस्कों और स्वच्छता कर्मचारियों को एकजुट किया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसबिल इंडिया कैंपेन) के दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है, जो दिव्यांगजन को सशक्त बनाकर एक समावेशी समाज बनाने पर जोर देती है। बलराम कृष्ण जैसे नेताओं को अपने समुदायों का प्रभार लेने में सक्षम बनाकर, स्वच्छता ही सेवा जैसे अभियान समावेशिता और सुगम्यता से संबंधित व्यापक लक्ष्यों में योगदान देते हैं।

जैसा कि हमने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया, बलराम कृष्ण की कहानी समावेशी गतिविधि के लिए बल और क्षमता संबंधी महत्वपूर्ण योगदान की याद दिलाता है। उनका कार्य यह दर्शाता है कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सीमांत वर्गों को शामिल करके किस प्रकार स्थायी बदलाव लाया जा सकता है।

एसबीएम अपने एसएचएस अभियान के माध्यम से एक अधिक स्वच्छ, उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु लोगों को साथ लाने के संबंध में एक प्रमाण रहा है – एक ऐसा भविष्य जो समावेशी, सुलभ और लोगों की सामूहिक बल से प्रेरित हो। ऐसी कहानियाँ वास्तव में सुगम्य भारत के सार को प्रतिध्वनित करती हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ भारत मिशन में योगदान देता है और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत बनाने में गर्व महसूस करता है।

2.8 एसबीएम(जी) के तहत निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई)

2.8.1 एसबीएम (जी) के तहत जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू की गई आईएचएचएल, सीएससी और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों की प्रगति को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संग्रहीत करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सभी पारिवारिक और सामुदायिक स्तर की परिसंपत्तियों को दो मोबाइल ऐप्स – (i) आईआईएचएचएल जियोटैगिंग के लिए एमएसबीएम और (ii) सीएससी और एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्ति रिपोर्टिंग के लिए एसबीएम 2.0 के माध्यम से जियो–टैग किया जाता है।

2.8.2 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएफएमएस से जोड़ दिया गया है और वे एसबीएम (जी) के तहत सभी वित्तीय लेन–देन करने के लिए एकल नोडल खाते (एसएनए) का उपयोग कर रहे हैं। यह विभाग को राज्यों के पास निधियों के वास्तविक समय के आधार पर उपयोग और उपलब्धता की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। अब हम एसएनए स्पर्श को अपना रहे हैं। 6 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना को शामिल किया गया है, जबकि शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभी भी एसएनए स्पर्श में शामिल किया जाना बाकी है।

2.8.3 ओडीएफ प्लस के प्रमुख मानदंडों और ओडीएफ प्लस गांवों की घोषणा तथा सत्यापन से संबंधित प्रक्रिया को डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी एसबीएम (जी) चरण–II के दिशा–निर्देशों में परिभाषित किया गया है। सीएससी की कार्यशीलता का मूल्यांकन करने, पृथक्करण शेड की कार्यशीलता, मंजूरी में अंतराल, निर्माण में अंतराल और सफाई कर्मचारियों के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है।

2.8.4 राज्यों और जिलों द्वारा दावा किए गए परिणामों को सत्यापित करने और उन्हें प्रमुख ओडीएफ प्लस मानदंडों के संबंध में स्थान (रैंक) प्रदान करने के लिए डीडीडब्ल्यूएस प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) आयोजित करता है।

2.8.5 इस कार्यक्रम के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रगति की निगरानी हेतु आउटपुट–आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) तैयार किया गया है। ओओएमएफ को कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर अद्यतित (अपडेट) भी किया जाता है।

2.8.6 अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जहां कहीं भी अपेक्षित हो वहां सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए, सभी राज्यों में स्कीमों के कार्यान्वयन में वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने हेतु नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीडीडब्ल्यूएस के अधिकारी/परामर्शदाता भी क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करने के लिए समय–समय पर राज्यों का दौरा करते हैं।

2.8.7 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के सामजंस्य से निर्मित परिसंपत्तियां, एसबीएम–जी आईएमआईएस में ई–ग्रामस्वराज और मनरेगा पोर्टलों से एपीआई के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

2.8.8 गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए स्वच्छता ही सेवा 2024 हेतु आयोजन आधारित मॉड्यूल विकसित किया गया था। आईएचएचएल, सीएससी और आईईसी (दीवार पेंटिंग) के सौंदर्यीकरण और निगरानी के लिए स्वच्छ सुंदर शौचालय पर एक अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने देश भर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान शुरू किया। इस अभियान के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल (https://swachhatahiseva.gov.in/) बनाया गया है। एसएचएस अभियान को समुचित रूप से हाईलाईट करने और उसकी निगरानी करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार की गईं और राज्यों के साथ रोजाना साझा की गईं: (i) स्वच्छता लक्ष्य इकाई (सीटीयू) रिपोर्ट जिसमें बनाई गई सीटीयू की संख्या, बंद की गई सीटीयू की संख्या और भाग लेने वाले लोगों की संख्या का उल्लेख किया गया (ii) स्वच्छता में जन भागीदारी, जिसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या, आयोजनों के शुभारंभ/समापन की संख्या का उल्लेख किया गया। (iii) सफाई मित्र सुरक्षा शिविर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें आयोजित शिविरों की संख्या, भाग लेने वाले स्वच्छता कर्मचारियों की संख्या और वितरित किए गए पीपीई किटों की संख्या का उल्लेख किया गया।

2.9 मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

2.9.1 राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर एसबीएम–जी के प्रमुख हितधारकों का क्षमता निर्माण, प्रभावी कार्यक्रम आयोजना, कार्यक्रम के कार्यान्वयन और संचालन तथा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य/जिला और ब्लॉक अधिकारियों/क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं का मार्गदर्शन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, संस्थागत भवन, अचीवर्स के साथ विचार–विमर्श, विकास भागीदारों का सहयोग, निर्वाचित कार्यकर्त्ताओं के साथ परामर्श, एफएफसी और अन्य अभिसरण निधियों का उपयोग, डीडीडब्ल्यूएस की क्षमता निर्माण पहलों के प्रमुख घटक हैं।

2.9.2 क्षमता निर्माण संवर्धन योजना

ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम को लागू करने हेतु क्षमता निर्माण के साथ–साथ एसबीएम–जी के हितधारकों को सुदृढ़ बनाना, डीडीडब्ल्यूएस के लिए महत्वपूर्ण है। मई, 2022 में क्षमता निर्माण संवर्धन योजना के शुभारंभ के बाद राज्यों ने मास्टर प्रशिक्षकों का प्रस्तावित पुल बनाया है। **अब तक 26 राज्यों में कुल 3184 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।** इस वर्ष मास्टर प्रशिक्षकों को एसपीएमनिवास, कोलकाता में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये मास्टर प्रशिक्षक आगे प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित श्रम बल रखने के उद्देश्य की संकल्पना कर रहे हैं। पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लेने वाले मास्टर प्रशिक्षकों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	राज्य	मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले मास्टर प्रशिक्षक
1	आंध्र प्रदेश	64	5
2	अरुणाचल प्रदेश	72	5
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	-
4	असम	123	5
5	बिहार	122	6
6	छत्तीसगढ	51	5
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	शून्य	-
8	गोवा	29	2
9	गुजरात	133	-
10	हरियाणा	84	5
11	हिमाचल प्रदेश	317	5
12	झारखंड	87	5
13	जम्मू और कश्मीर	132	6
14	कर्नाटक	96	5
15	केरल	55	5
16	लद्दाख	शून्य	-
17	लक्षद्वीप	शून्य	-
18	महाराष्ट्र	35	5
19	मध्य प्रदेश	121	6
20	मेघालय	42	5
21	मणिपुर	86	-
22	मिजोरम	27	5
23	नागालैंड	43	2
24	ओडिशा	शून्य	8
25	पंजाब	शून्य	5
26	पुदुचेरी	58	2
27	राजस्थान	शून्य	-
28	सिक्किम	44	9
29	तमिलनाडु	32	5
30	तेलंगाना	193	5
31	त्रिपुरा	शून्य	-
32	उत्तर प्रदेश	838	12
33	उत्तराखंड	36	5
34	पश्चिम बंगाल	264	8
		3184	**141**

टीओटी के अलावा **1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक** समग्र प्रशिक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है।

- कुल पूर्ण प्रशिक्षण – 19,936
- प्रशिक्षित ग्राम पंचायतें – 1,13,519
- प्रशिक्षित व्यक्ति (एमटी सहित) – 9,87,059
- सृजित प्रशिक्षक (एमटी के अलावा) – 30,753

2.9.3 मार्गदर्शन कार्यक्रमः

2.9.3.1 इस वर्ष शामिल हुए नए राज्य अधिकारियों के लिए 3 मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्र. सं.	दिनांक	विषय	सचिव/मिशन निदेशकों की संख्या
1	12 जुलाई, 2024	शामिल हुए नए राज्य अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम	15
2	11 अक्टूबर, 2024		11
3	16 दिसंबर, 2024		7
कुल			33

2.9.3.2 एसआईआरडी में वॉश सेल

डीडीडब्ल्यूएस द्वारा एसआईआरडी/राज्य एटीआई में एक समर्पित जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में 23 अक्टूबर और 7 नवंबर, 2024 को एनआईआरडी और पीआर, एसआईआरडी, एटीआई और राज्य एसबीएम–जी टीमों के साथ वॉश प्रकोष्ठों की कार्यप्रणाली और पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए 2 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। अब तक 24 राज्यों में वॉश प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं।

2.9.4 आपसी दौरे (क्रॉस विजिट)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बातचीत के दौरान यह देखा गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक अनुकरणीय कार्य किए गए/किए जा रहे हैं, जिन्हें अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए डीडीडब्ल्यूएस द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के रूप में क्रॉस लर्निंग का आयोजन किया गया। इस वर्ष एक क्रॉस विजिट आयोजित की गई।

क्र. सं.	दौरे की तारीख	दौरा किया गया राज्य	आगंतुक राज्य	दौरा करने वाले अधिकारी
1	20–21 दिसंबर, 24	ओडिशा	गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड	जिला परिषद अध्यक्ष, एमडी, डीडीसी, राज्य समन्वयक, राज्य अधिकारी राज्य सलाहकार

2.9.5 एसबीएम अकादमी

डीडीडब्ल्यूएस ने एसबीएम–जी II के संबंध में स्वच्छाग्रहियों, सरपंच, पंचायत सचिवों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए एसबीएम अकादमी, एक आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) विकसित की है। यह मानकीकृत दूरस्थ शिक्षा उपकरण, एसबीएम–जी II के प्रत्येक आयाम पर मांग अनुसार आसानी से सुलभ है। एसबीएम अकादमी की मेजबानी बीएसएनएल द्वारा टोल फ्री नंबर 18001800404 के माध्यम से की जा रही है। वर्ष में लगभग 62,000 हितधारकों ने अकादमी का दौरा किया है।

3. जल जीवन मिशन – हर घर जल

मुख्य विशेषताएं 2025

15 अगस्त, 2019: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसमें 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्था को 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा

5 जनवरी, 2024: जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ (72.71%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

26–31 जनवरी, 2024: गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में, डीडीडब्ल्यूएस, ने दिल्ली के लाल किले के सामने उद्यान और ज्ञान पथ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित छह दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व में भाग लिया।

2 फरवरी, 2024: सुरक्षित जल और कीटाणुशोधन/क्लोरीनीकरण पहल पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, साक्ष्य कार्रवाई और विकास नवाचार प्रयोगशाला (डीआईएल) द्वारा एसपीएम निवास, कोलकाता में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी का आयोजन सुरक्षित जल पहलों और कार्यनीतियों को लागू करने में अपने अनुभव पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना लेने और सबसे प्रभावी तथा आसानी से संचालित समाधान और मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।

16 और 17 फरवरी, 2024: **एसबीएम–जी** और **जेजेएम** पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसमें स्थिरता और क्रॉस–लर्निंग पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

9 मार्च, 2024: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने "जल शक्ति अभियानः कैच द रेन" अभियान के पांचवें संस्करण के दौरान नई दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विषयों पर 9 लघु वीडियो जारी किए, पुस्तक – '101 गिलिम्पस ऑफ वुमन पावरः थ्रू द प्रिज्म ऑफ जल जीवन मिशन', 'बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन' और 'जल जीवन मिशन कम्पेंडियम ऑफ बिहेवियरल बेस्ट प्रैक्टिसेज' जारी की।

11 से 13 मार्च, 2024: केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से एसपीएम–निवास, कोलकाता में "पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता" पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

18 मार्च, 2024: तकनीकी समिति की 9वीं बैठक में जेजेएम के तहत सात अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें बंद कर दिया गया।

21–22 मई, 2024: एसपीएम–निवास में जेजेएम के तहत आईईसी पर एक व्यापक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

20 जून, 2024: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री सीआर पाटिल ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में डीडीडब्ल्यूएस की समीक्षा और जायजा लेने वाली बैठक की।

9 जुलाई, 2024: जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने छत्तीसगढ़ और लद्दाख की समीक्षा बैठक में बसावटों को जलापूर्ति पर जोर दिया। श्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के अन्य पीएचईडी अधिकारियों तथा लद्दाख के उपराज्यपाल श्री बीडी मिश्रा ने बैठकों में भाग लिया।

15 जुलाई, 2024: श्री सीआर पाटिल, जल शक्ति मंत्री ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की समीक्षा बैठक में बसावटों को जलापूर्ति पर जोर दिया। श्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश और श्री कन्हैया लाल चौधरी, पीएचईडी मंत्री राजस्थान ने बैठक में भाग लिया।

16 जुलाई, 2024: जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा के साथ समीक्षा बैठक की।

23 जुलाई, 2024: जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ (72.71%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

25 जुलाई, 2024: जेजेएम–प्रोफेसर पीठों की गतिविधियों की समीक्षा करने और चालू वर्ष के दौरान प्रोफेसर पीठों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों पर चर्चा करने के लिए डीडीडब्ल्यूएस के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

29 जुलाई 2024: नोबल पुरस्कार विजेता प्रो माइकल क्रेमर ने अपनी टीम के साथ डीडीडब्ल्यूएस का दौरा किया और डीडीडब्ल्यूएस सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक में भाग लिया। चर्चा जेजेएम के तहत पीने के पानी की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित थी और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए भावी मार्ग का पता लगाया गया था।

15 अगस्त, 2024: माननीय प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन की सफलता का उत्सव मनाया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, उन्होंने पूरे भारत में 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हुए जेजेएम के काम की सराहना की।

24 अगस्त, 2024: यूनिसेफ के सहयोग से आईआईएम बैंगलोर में जेजेएम संचालन और रखरखाव संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

29 अगस्त, 2024: जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के साथ समीक्षा बैठक की।

29 अगस्त, 2024: एनजेजेएम के निदेशक श्री प्रदीप सिंह ने जिला परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–धुले, महाराष्ट्र की 21 महिला सदस्यों के साथ बातचीत की।

17–19 सितंबर, 2024: डीडीडब्ल्यूएस ने 8वें भारत जल सप्ताह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वॉश (जल, स्वच्छता और साफ–सफाई) सम्मेलन का आयोजन किया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन, 'ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना' विषय पर केंद्रित था, और ज्ञान के आदान–प्रदान, नवाचारों को प्रदर्शित करने और सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक वॉश चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

22–23 अक्टूबर, 2024: डीडीडब्ल्यूएस ने नीति आयोग द्वारा हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सभी मौसमों में नल जल आपूर्ति कार्यशाला में भागीदारी की।

28 अक्टूबर, 2024: डीडीडब्ल्यूएस ने एक दूरदर्शी कार्यशाला की मेजबानी की, जिसमें विशेषज्ञों और नेताओं को उपलब्धियों का मूल्यांकन करने और जल, स्वच्छता और साफ–सफाई (वॉश) में स्थायी सामुदायिक जुड़ाव के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया गया।

12–13 नवंबर, 2024: गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। झरने वाले जल स्रोतों के सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया, जो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

14 नवंबर, 2024: नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर और उनकी टीम ने दूसरी बार दौरा किया और सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में डीडीडब्ल्यूएस सचिव के साथ उपयोगी बातचीत की। चर्चा जेजेएम के तहत पीने के पानी की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित थी और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए भावी मार्ग का पता लगाया गया था।

6–20 नवंबर, 2024: 'जल उत्सव' अभियान 20 उदीयमान जिलों और ब्लॉकों में नीति आयोग के सहयोग से चलाया गया।

10 दिसंबर, 2024: जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कौशल विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय जल शक्ति मंत्रालय और माननीय राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

31 दिसंबर, 2024 तक

अब तक, जेजेएम की घोषणा के बाद से, 31.12.2024 तक, लगभग 12.16 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं अर्थात 15.40 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (80%) को उनके घरों में स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया है। आठ राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना तथा तीन संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव (डीएनएच एवं डीडी) और पुदुचेरी, 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात् 100% परिवारों को नल जल की आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

राज्य–वार ब्यौरा इस प्रकार है–

क्र. सं.	राज्य	कुल ग्रामीण परिवार (लाखों में)	दिनांक 31.03.2024 तक संसूचित कुल पारिवारिक कनेक्शन (लाखों में)	दिनांक 31.03.2024 तक पारिवारिक कनेक्शन (% में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.62	100.00
2	आंध्र प्रदेश	95.53	70.43	73.72
3	अरुणाचल प्रदेश	2.29	2.29	100.00
4	असम	72.21	58.69	81.27
5	बिहार	167.55	160.36	95.71
6	छत्तीसगढ़	50.05	40.11	80.15
7	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.85	100.00
8	गोवा	2.64	2.64	100.00
9	गुजरात	91.18	91.18	100.00
10	हरियाणा	30.41	30.41	100.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.09	17.09	100.00
12	जम्मू और कश्मीर	19.24	15.53	80.75
13	झारखंड	62.55	34.17	54.63
14	कर्नाटक	101.32	83.54	82.45
15	केरल	70.80	38.34	54.16
16	लद्दाख	0.41	0.39	96.05
17	लक्षद्वीप	0.13	0.12	91.38
18	मध्य प्रदेश	111.89	74.93	66.97
19	महाराष्ट्र	146.81	129.01	87.88
20	मणिपुर	4.52	3.59	79.58
21	मेघालय	6.51	5.30	81.36
22	मिजोरम	1.33	1.33	100.00
23	नागालैंड	3.64	3.37	92.60
24	ओडिशा	88.70	67.57	76.18
25	पुदुचेरी	1.15	1.15	100.00
26	पंजाब	34.27	34.27	100.00
27	राजस्थान	107.74	59.22	54.96
28	सिक्किम	1.33	1.20	90.71
29	तमिलनाडु	125.28	110.52	88.22
30	तेलंगाना	53.98	53.98	100.00
31	त्रिपुरा	7.51	6.36	84.68
32	उत्तर प्रदेश	267.15	232.70	87.10
33	उत्तराखंड	14.51	14.09	97.11
34	पश्चिम बंगाल	175.52	94.87	54.05
	कुल	**19,36.70**	**15,40.21**	**79.53**

1. गोवा को अगस्त, 2022 में पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य घोषित किया गया था और आज तक गोवा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव, हरियाणा तथा पंजाब 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं।

2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला 'स्वच्छ सुजल प्रदेश' घोषित किया गया है, अर्थात सितंबर, 2022 में सभी गांवों को "हर घर जल" के रूप में प्रमाणित किया गया है और ओडीएफ प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है।

3. 'कोई भी वंचित न रहे' सिद्धांत के अनुसार, अब तक, देश के 189 जिले अंडमान और निकोबार द्वीप (3), आंध्र प्रदेश (1), अरुणाचल प्रदेश (25), बिहार (3), दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव (3), गोवा (2), गुजरात (33), हरियाणा (22), हिमाचल प्रदेश (12), जम्मू एवं कश्मीर (1), मध्य प्रदेश (2), मिजोरम (11), नागालैंड (1), पंजाब (23), पुदुचेरी (2), तमिलनाडु (13) और तेलंगाना (32) 'हर घर जल जिले' बन गए हैं।

4. इसी तरह, 1,862 ब्लॉक, 1,18,037 ग्राम पंचायतें और लगभग 2.51 लाख गांव भी 'हर घर जल' बन गए हैं।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पिछले 3 वर्षों में, कोविड–19 महामारी और लॉक–डाउन के कारण परिणामी व्यवधानों के बावजूद, मिशन के शुभारंभ के बाद से 10.68 करोड़ (66.69%) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिया गया है तथा 25.12.2023 तक लगभग 13.92 करोड़ (72.29%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हैं।

6. अब तक 9.32 लाख (89.35%) स्कूलों और 9.69 लाख (85.20%) आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

7. आज तक, 112 उदीयमान जिलों में, नल जल आपूर्ति का प्रावधान 21.42 लाख (7.85%) से बढ़कर 215.31 लाख (78.29%) पहुंच गया है।

8. इसी प्रकार, आज की तारीख तक, पांच राज्यों में 61 अभिचिह्नित जेई/एईएस प्रभावित जिलों में, नल जल आपूर्ति का प्रावधान 8.02 लाख (2.71%) से बढ़कर 241.85 लाख (81.27%) पहुंच गया है।

9. देश में जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए 2,162 जल–गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जो आम जनता के लिए उनके पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए खुली हैं। इनमें से अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और सिक्किम को छोड़कर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक ऐसी एनएबीएल प्रयोगशाला के साथ 1,572 प्रयोगशालाएं एनएबीएल से प्रत्यायित भी हैं।

10. अब तक, लगभग 5.29 लाख वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों का गठन किया गया है और इन्हें कार्याशील बनाया गया है, और 5.20 लाख गांवों में ग्राम कार्य योजनाएं (वीएपी) तैयार की गई हैं।

11. प्रत्येक गांव में, 5 व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 24.80 लाख महिलाओं को विभिन्न गांवों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

12. जीवन बदलने वाले जल जीवन मिशन के तहत, ग्रामीण लोगों के घरों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

3.1 पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को घोषित जल जीवन मिशन (जेजेएम), सभी ग्रामीण परिवारों और सार्वजनिक संस्थानों, जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं (आदिवासी आवासीय छात्रावासों) सार्वजनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप–केंद्रों, देखभाल केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि में वर्ष 2024 तक नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त दबाव के साथ, निर्धारित गुणवत्ता वाली सुनिश्चित नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वयनाधीन है। मिशन जन स्वास्थ्य में सुधार के साथ–साथ महिलाओं को भारी भार ढोकर दूर से पानी भरकर लाने के सदियों पुराने कठिन श्रम से मुक्त करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।

जल जीवन मिशन के तहत, सभी को कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 'कोई भी वंचित न रहे'। 2019 में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। इस प्रकार, 2024 तक 83% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान की जानी थी। इसके अलावा, मौजूदा नल जल कनेक्शनों को भी जेजेएम के अनुरूप बनाया जाना था।

यह मिशन 3.60 लाख करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय के साथ भारत सरकार के सबसे बड़े सामुदायिक बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। इससे विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा, रोजगार के अवसरों का सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी। तथापि, जेजेएम 'केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण' के बारे में नहीं है, बल्कि यह 'हर घर में सुनिश्चित जल सेवा प्रदान करने' पर केंद्रित है। यह गांवों में दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के बारे में है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'टैंकर' या 'ट्रेन' आदि की तैनाती के माध्यम से पानी की आपातकालीन व्यवस्था करने से बचा जा सके। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी हितधारकों को शामिल करके और स्थानीय जल उपयोगिताओं का निर्माण करके, इसे 'जन आंदोलन' – लोगों के पानी संबंधी आंदोलन में बदलकर, 'पानी के प्रबंधन कार्य से हर किसी को जोड़ने' का आशय रखता है।

जेजेएम को बाटम–अप अवधारणा का अनुसरण करते हुए विकेन्द्रीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां स्थानीय ग्राम समुदाय प्रणालियों के मालिक हैं और उन्हें गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की प्रमुख जिम्मेदारी निभाने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। सुनिश्चित सेवा सुपुर्दगी के लिए, वित्तीय स्थिरता सहित जल स्त्रोतों और जल आपूर्ति प्रणालियों की स्थिरता सर्वोपरि है। यह संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप है जो स्थानीय स्व–सरकारों को अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करके, जेजेएम छह साल पहले ही भारत के एसडीजी–6 लक्ष्य को हासिल कर लेगा और इस प्रकार, अन्य विकासशील देशों के लिए भारत एक आदर्श बन सकता है।

जमीनी स्तर पर जेजेएम का वास्तविक कार्यान्वयन 25 दिसंबर, 2019 को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश जारी करने के साथ शुरू हुआ। केवल पांच वर्षों में, लगभग 12.19 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 22.01.2025 तक, देश के 15.43 करोड़ (80%) परिवारों को उनके घरों में नल जल आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

3.2 जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताएं

3.2.1 विजन, मिशन, उद्देश्य और परियोजित परिणाम

विजन

प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास वहनीय सेवा सुपुर्दगी प्रभारों पर नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवनयापन स्तरों में सुधार आए।

मिशन

जल जीवन मिशन निम्नलिखित की सहायता, सशक्तीकरण और सुविधा के लिए है:

i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्था जैसे विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं (जनजातीय आवासीय विद्यालय), स्वास्थ्य केंद्रों, देखभाल केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि हेतु दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहभागिता वाली ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यनीति की आयोजना;

ii) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की जल आपूर्ति अवसंरचना का सृजन ताकि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन उपलब्ध हो और नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो;

iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की उनकी पेयजल सुरक्षा हेतु आयोजना;

iv) जीपी/ग्रामीण समुदाय की उनके अपने गांव में अवस्थित जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन और अनुरक्षण;

v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की उपयोगिता अवधारणा का संवर्धन करके क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और सेवा प्रदान करने पर ध्यान देने के लिए सुदृढ़ संस्थाओं का विकास;

vi) हितधारकों का क्षमता निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जल के महत्व के संबंध में समुदाय को जागरूक बनाना;

vii) मिशन के क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना और उसका संग्रहण

उद्देश्य

मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

i) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करना;

ii) गुणवत्ता–प्रभावित क्षेत्रों, सूखा–प्रवण और मरूस्थलीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों में पड़ने वाले गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्रामों आदि में नल जल कनेक्शन की व्यवस्था को प्राथमिकता देना;

iii) स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, देखभाल केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों में नल जल कनेक्शन प्रदान करना;

iv) नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना;

v) नकद योगदान, दान और/या श्रम अथवा स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) के जरिए स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व का संवर्धन करना और इसे सुनिश्चित करना;

vi) जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना एवं नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायता करना;

vii) क्षेत्र में निर्माण, प्लंबिग, इलेक्ट्रिकल, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, कैचमेंट सुरक्षा, ओएंडएम आदि की अल्पकालिक और दीर्घकालिक मांग को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को सशक्त बनाना तथा विकसित करना; और

viii) साफ पेयजल के विभिन्न पहलूओं तथा महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करना एवं हितधारकों को इस प्रकार शामिल करना जिससे कि जल प्रबंधन सभी का कार्य बन सके।

जेजेएम के परियोजित परिणाम

स्वास्थ्य

- घातक डायरिया रोगों की संख्याओं में कमी के कारण ग्रामीण आबादी हेतु स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार

सामाजिक

- महिलाओं, लड़कियों द्वारा किए जा रहे कठोर श्रम में कमी तथा महिला सशक्तीकरण

आर्थिक

- ग्राम–अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना विकसित करने में ग्रामीण समुदायों हेतु रोजगार अवसरों में वृद्धि। इसमें अर्द्ध–कौशल प्राप्त और कौशल प्राप्त मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी।

3.2.2 जेजेएम के घटक

जेजेएम के तहत निम्नलिखित घटकों हेतु सहायता प्रदान की गई है:

i) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम–अवस्थित पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना का विकास करना;

ii) जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालीन स्थायित्वता के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन;

iii) जहां आवश्यक हो, प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण, शोधन संयंत्र और संवितरण नेटवर्क स्थापित करना;

iv) जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो वहां संदूषणों के निपटान हेतु प्रौद्योगीकीय उपाय करना;

v) 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर पर नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग;

vi) गंदला जल प्रबंधन;

vii) सहायक गतिविधियां जैसे आईईसी, एचआरडी, प्रशिक्षण, उपयोगिताओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता की जांच और निगरानी, अनुसंधान और विकास, ज्ञान केन्द्र, समुदायों का क्षमता निर्माण, आदि; और

3.2.3 जेजेएम के तहत शामिल पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत योजनाएं/उप–मिशन

पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत चल रहे निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी जेजेएम में शामिल कर लिया गया है:

चित्र 3.1 : जेजेएम के अंतर्गत सम्मिलित योजनाएं

3.2.4 जेजेएम में नया क्या है?

3.2.5 कार्यनीति और आयोजना

3.2.5.1 नल जल आपूर्ति के प्रावधान की अवधारणा

यद्यपि जेजेएम का प्राथमिक परिणाम 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है, तथापि, मिशन को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का एक ही बार में समाधान करने का काम सौंपा गया है। भारत में, ठंडे रेगिस्तान से गर्म रेगिस्तान, भारत–गंगा के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक, विशाल जलोढ़ मुख्य भूमि से लेकर वन क्षेत्रों तक, 7,000 किमी से अधिक लंबी तटीय बेल्ट से लेकर कई द्वीपों तक स्थितियां भिन्न हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अनूठी चुनौतियां हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के

कारण, वर्षा में काफी स्थानिक और अस्थायी भिन्नता होती है जिसके परिणामस्वरूप सतही जल संग्रहण कम होता है। देश के विभिन्न एडाफो–जलवायु क्षेत्रों को कवर करने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए एवं जिस गति और पैमाने पर लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, सभी क्षेत्रों में एक साथ काम शुरू करने के लिए एक अनूठी अवधारणा तैयार की गई है।

प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में सुनिश्चित जल आपूर्ति के लिए 'बॉटम–अप' अवधारणा का उपयोग करके योजना बनाने के लिए निम्नलिखित समग्र आयोजना अवधारणा अपनायी जा रही है:

i) मौजूदा पाइपगत जलापूर्ति प्रणाली वाले गांवों में, सभी शेष एचएच को यदि आवश्यक हो तो रेट्रोफिटिंग/संवर्धन द्वारा पानी की आपूर्ति प्रदान की जाए, ताकि कोई भी वंचित न रहे;

ii) उन गांवों में जहां पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का भूजल/सतही जल उपलब्ध है वहां एकल गांव प्रणाली (एसवीएस) की योजना बनाई और निष्पादित की जानी है – सबसे पसंदीदा विकल्प;

iii) पर्याप्त भूजल वाले ऐसे गाँव जहां गुणवत्ता की समस्या है वहां हर घर में आपूर्ति से पहले पानी का शोधन किया जाना चाहिए;

iv) पृथक जनजातीय बसावटों/पहाड़ी/वन क्षेत्रों में, एकल सौर–आधारित जल आपूर्ति प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए; तथा

v) पानी की कमी वाले क्षेत्रों में, थोक जल अंतरण, शोधन संयंत्रों और संवितरण प्रणालियों की योजना बनाई जाए और उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

3.2.5.2 बॉटम–अप दृष्टिकोण

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र बॉटम–अप दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पेयजल सुरक्षा हासिल करने और हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु ऐसे योजना तैयार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक स्तर पर सहयोग में वृद्धि हो, मिशन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नए सिरे से प्रेरणा मिले, विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर सम्बद्धता और तेजी से कार्यान्वयन हो। इस प्रकार, पाँच वर्षों के लिए एक बार की योजना विकसित करने के लिए आवश्यक प्रत्येक स्तर के साथ क्रमशः गाँव, जिला और राज्य स्तरों को जोड़ने वाली एक समग्र योजना संरचना नामतः ग्राम कार्य योजना (वीएपी), जिला कार्य योजना (डीएपी) और राज्य कार्य योजना (एसएपी) अपनायी गई हैं।

National level	National Jal Jeevan Mission (NJJM)	Overall planning + Annual Action Plan
State level	State Water & Sanitation Mission (SWSM)	State Action Plan (SAP)
District level	District Water & Sanitation Mission (DWSM)	District Action Plan (DAP)
Village level	Gram Panchayat and/ or its sub-committee, i.e. Village Water & Sanitation Committee (VWSC)/ Pani Samiti, etc.	Village Action Plan (VAP)

चित्र 3.2 : आयोजन में बॉटम–अप अवधारणा

3.2.5.3 ग्राम स्तर पर सामंजस्य

चूंकि विभिन्न केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं में एक दूसरे के पूरक होने की संभावना है और विकास के लिए गुणात्मक और टिकाऊ परिणामों को बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है ताकि लोगों और समुदायों के जीवन में सुधार हो सके। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं/आरएलबी को 15वें वित्त आयोग (एफसी) द्वारा सशर्त अनुदान, जेजेएम, मनरेगा, एसबीएम, जिला खनिज विकास कोष (डीएमडीएफ), सीएसआर निधियों आदि जैसे सभी संभावित वित्तपोषण स्रोतों के साथ ग्राम स्तर पर वित्तीय सामंजस्य के साथ धन का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना है। ग्राम पंचायतें या उप–समितियां, अर्थात वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति इन निधियों का उपयोग जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, गंदला जल प्रबंधन आदि के लिए कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य गांवों में जल सुरक्षा हासिल करना हो। जेजेएम, एसबीएम(जी), आदि जैसी योजनाओं के साथ 15वें एफसी के सशर्त अनुदान के सामंजस्य से आरएलबी के लिए पानी एवं स्वच्छता गतिविधियों के लिए धन में वृद्धि होगी और गुणवत्ता, मात्रा तथा स्थिरता के मामले में संसाधन उपलब्धता में वृद्धि होगी।

तालिका 1 : ग्राम स्तर पर जल संरक्षण के लिए सामंजस्य की संभावना

क्र.सं.	कार्यक्रम	घटक
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	मनरेगा के तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के जल संरक्षण घटक के तहत 71 विशिष्ट कार्यों की पहचान की गई है। इनमें से 3 पेयजल से संबंधित हैं, रिचार्ज पिट, डगवेल और सोख पिट। अन्य में, अन्य बातों के साथ, चेक डैम, एनीकट, स्टॉप डैम, उप–सतही कार्य, बोल्डर चेक आदि शामिल हैं।
2.	15वां वित्त आयोग	पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण आदि।
3.	स्वच्छ भारत मिशन – चरण II	गंदला जल प्रबंधन – सोख्ता गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, आदि।
4.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाटरशेड घटक और जलभृतों से पानी की निकासी को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई। जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली आदि।
5.	समग्र शिक्षा अभियान	स्कूल में पानी की आपूर्ति

3.2.5.4 ग्राम कार्य योजना (वीएपी)

आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण और ग्राम समुदाय की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम कार्य योजना (वीएपी) होनी चाहिए। वीएपी एक बार की कार्य योजना है जो 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होनी चाहिए अर्थात यह पांच साल के लिए होनी चाहिए और इसमें ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर सामंजस्यता की संभावना होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य इंजीनियरों को जल आपूर्ति प्रणाली के कम से कम तीन ऐसे तकनीकी–आर्थिक विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिनमें से समुदाय अपने लिए चयन कर सके। इनमें सामुदायिक योगदान के महत्व को भी दर्शाया जाए। यह प्रक्रिया जीपी/वीडब्ल्यूएससी को अपने गांव में जलापूर्ति प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित करने में सशक्त बनाने के लिए है।

वीएपी में चार घटक होने चाहिए:

i) पेयजल स्रोत का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण;
ii) पेयजल आपूर्ति प्रणाली;
iii) गंदला जल शोधन और इसका पुनःउपयोग; तथा,
iv) नियमित संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)।

वीएपी सभी जल आपूर्ति और संबंधित कार्यों के लिए गांव के मुख्य दस्तावेज के रूप में कार्य करती है और ग्राम सभा में स्वीकृत होती है। अब तक 22.01.2025 तक लगभग 5.20 लाख गांवों के लिए वीएपी तैयार और स्वीकृत की जा चुकी हैं।

इसी तरह, डीडब्ल्यूएसएम को ग्राम कार्य योजनाओं को एक साथ मिलाकर और उभरती आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए सामंजस्यता के विभिन्न स्रोतों की पहचान करते हुए एक जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार करनी होती है तथा एसडब्ल्यूएसएम को डीएपी को एक साथ मिलाकर और लंबे समय तक जल सुरक्षा की योजना बनाते हुए एक राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार करनी होती है।

3.2.6 वित्तीय आयोजना

एक समयबद्ध मिशन के रूप में, जेजेएम का सफल कार्यान्वयन मजबूत वित्तीय आयोजना, समय पर वित्तपोषण, पर्याप्त संसाधन जुटाने और विवेकपूर्ण निधि उपयोग पर टिका हुआ है। जेजेएम के लिए केंद्रीय सहायता के दो स्रोत हैं: सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर)। केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बीच निधि–साझाकरण की पद्धति विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, हिमालयी, पूर्वोत्तर–राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है।

बजटीय और अतिरिक्त–बजटीय दोनों संसाधनों के लिए जेजेएम के तहत निधि आवंटन के लिए अनुसरण किए जाने वाले मानदंड और भारांक महत्व निम्नानुसार है:

इसके अलावा, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ऐसी आवंटित निधियों के 5% तक और 2% तक का उपयोग क्रमशः सहायक गतिविधियों और डब्ल्यूक्यूएमएस एंड एस गतिविधियों के लिए करने का प्रावधान किया गया है।

Criteria	Weightage %
Rural Population (as per last Census)	30
Rural SC and ST population (as per last Census)	10
States under DDP, DPAP, HADP and special category Hill States in terms of rural areas	30
Population (as per IMIS) residing in habitations affected by chemical contaminants including heavy metals (as on 31st March of preceding financial year)	10
Weightage for balance individual household connections to be provided	20

Criteria for fund allocation

3.2.6.1 जल जीवन मिशन हेतु निधि आबंटन

'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत जल जीवन मिशन का अनुमानित परिव्यय 2019–2024 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये है। 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना है और 2021–22 से 2025–26[1] की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायत राज संस्थानों (आरएलबी/पीआरआई) को 2.36 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। तदनुसार, निधि का 60% अर्थात 1.42 लाख करोड़ रुपये विशेष रूप से पेयजल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता तथा खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भारी निवेश आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है तथा गांवों में रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिये एक प्रगतिशील कदम है कि गांवों में बेहतर स्वच्छता के साथ पीने योग्य जल आपूर्ति हो ताकि गांवों को 'वॉश प्रबुद्ध' गांवों में बदला जा सके।

[1] 15वें वित्त आयोग के जल और स्वच्छता के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को सशर्त अनुदानों के उपयोग के लिए पुस्तिका (2021–22 से 2025–26)

वर्ष 2024–25 में, अब तक, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024–25[2] में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 21,825.23 करोड़ रुपये जारी किए हैं ।

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय निधियों के उपयोग और राज्य के समान हिस्से के आधार पर केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम–डैशबोर्ड शुरु किया गया है। पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रावधान किया गया है। जेजेएम के तहत वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 और 2024–25[3] में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग की गई निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय				राज्य हिस्से के तहत उपयोग
	अथ शेष	आवंटित	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आहरित निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	2,436.37	11,139.21	9,951.81	5,983.49	4,090.79
2020-21	6,447.36	23,033.02	10,917.86	12,544.51	7,905.45
2021-22	4,825.92	92,308.77	40,009.77	25,325.67	18,226.18
2022-23	19,510.05	1,00,789.77	54,742.30	50,667.81	40,147.74
2023-24	23,584.58	1,32,936.83	69,885.01	82,295.58	69,219.37
2024-25	11,180.11	69,926.68	21,825.23*	26,164.44	26,272.26

*वित्त मंत्रालय के अनुसार, जेजेएम के विस्तार के अध्यधीन, धन जारी करना 22,694 करोड़ रुपये तक सीमित है।
वर्ष 2024–25 में जारी धनराशि और व्यय का राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–I में दिया गया है।

3.2.6.2 15वें वित्त आयोग के आरएलबी/पीआरआई हेतु सशर्त अनुदान

जल और स्वच्छता सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने जल आपूर्ति और स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना तथा 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए आरएलबी/पीआरआई को 2.36 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की, जिसमें से वर्ष 60% सशर्त अनुदान का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाना है:

- पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण; और
- स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति का रखरखाव।

इस प्रकार, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने आरएलबी/पीआरआई को 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आरएलबी को इनमें से प्रत्येक घटक के लिए सशर्त अनुदान निर्धारित करना होगा। तथापि, यदि किसी ग्राम पंचायत ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से कवर कर दिया है, तो ऐसी विशिष्ट ग्राम पंचायत दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकती है। 2020–21 में, 60,750 करोड़ रुपये का 50% अर्थात 30,375 करोड़ रुपये पानी और स्वच्छता के लिए आवंटित किया गया था। तथापि, 2021–22 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए, एफसी अनुदानों का 60% जल और स्वच्छता के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

[2]https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx
[3]https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Financial/JJMRep_StatewiseAllocationReleaseExpenditure.aspx

(राशि करोड़ रुपये में)

2021-22	आवंटन	26,940.60
	जारी	26,606.79
2022-23	आवंटन	27,907.8
	जारी	26,861.81
2023-24	आवंटन	28,210.8
	जारी	26,045.19
2024-25	आवंटन	29,880
	जारी	9,189.94
2025-26	आवंटन	29,143.80
	जारी	-

डीडीडब्ल्यूएस को सशर्त अनुदान की सिफारिश के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करने का कार्य सौंपा गया है। डीडीडब्ल्यूएस उन आरएलबी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को सशर्त अनुदान जारी करने की सिफारिश करेगा, जिन्होंने XV–वित्त आयोग के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है।

इस प्रकार, जेजेएम के लिए 69,926.68 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के अलावा, 15वें वित्त आयोग के तहत आरएलबी/पीआरआई को जल और स्वच्छता, राज्य के समतुल्य हिस्से और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सशर्त अनुदानों के तहत 29,880 करोड़ रुपये की सुनिश्चित निधि भी उपलब्ध है।

3.2.7 सोलहवां वित्त आयोग

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने दिनांक 27.12.2024 को सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विभाग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान डीडीडब्ल्यूएस के लिए ओडीएफ + मॉडल स्थिति को बनाए रखने के लिए मौजूदा परिसंपत्तियों के चल रहे संचालन और रखरखाव को कवर करने के लिए आवश्यकतानुसार नई परिसंपत्तियों के निर्माण और हितधारक क्षमता निर्माण हेतु सशर्त अनुदान को जारी रखने का अनुरोध किया गया था।

3.2.8 नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी)

मल्टी–स्किलिंग नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) का उद्देश्य राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, तकनीशियन, उपयोगिता प्रबंधक और जल परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी के रूप में काम करने वाले गांवों के स्थानीय व्यक्तियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें कौशल के व्यापक सेट से लैस करना और **"नल जल मित्र"** (एनजेएम) के रूप में उनका विकास करना है ताकि वे अपने गांवों में स्कीम संचालकों के रूप में कार्य कर सकें और पाइपगत जलापूर्ति योजना (योजनाओं) के निवारक रखरखाव सहित मामूली मरम्मत और रखरखाव कार्य करने में सक्षम हो सकें।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) के कार्यान्वयन के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक संयुक्त सलाह जारी की गई, जिसके बाद राज्यों के मार्गदर्शन के लिए **एनजेएम कौशल दिशानिर्देश** जारी किए गए।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के तहत नल जल मित्रों के चयन, नामांकन, प्रायोजन और नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका के संबंध में डीडीडब्ल्यूएस और एमओपीआर की एक संयुक्त सलाह जारी की गई थी।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) और अपस्किलिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं।

जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कौशल विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 10.12.2024 को माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय और माननीय राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बीच बैठक आयोजित की गई।

एनजेएमपी की प्रगति की स्थिति

लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

- 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, लद्दाख) ने एनजेएम नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- इन राज्यों ने अपने एनजेएमपी बैंक खाते खोले हैं और प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी)/प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को कार्य आदेश जारी किए हैं।
- इन राज्यों ने एनजेएम के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 18,828 से अधिक अभ्यर्थियों को नामांकित किया है और 3755 अभ्यर्थियों ने एनजेएमपी के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल और राज्य कौशल पोर्टल में पंजीकरण/नामांकन किया है।
- 2005 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया।
- 1528 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया है और 1451 अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्र दिया गया है। वर्तमान में 1750 अभ्यर्थी 'नल जल मित्र कार्यक्रम' का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रशिक्षण केंद्रों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षुओं (टीओटी) की स्थिति :

- 16 राज्यों ने अपने संबंधित राज्यों में 272 प्रशिक्षण प्रदाताओं/प्रशिक्षण केन्द्रों को नामित किया है
- 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रशिक्षकों (टीओटी) के प्रशिक्षण के लिए 630 प्रशिक्षकों को नामित किया है और 478 को संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद (जल प्रबंधन और नलसाजी कौशल परिषद– डब्ल्यूएमपीएससी) द्वारा आयोजित टीओटी के बाद प्रमाणित किया गया है;
- जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनजेएमपी योजना तैयार नहीं की है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश शामिल हैं।

3.2.9 संचालन और रखरखाव

पेयजल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं हेतु एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे को आवश्यक समझा गया। जल जीवन मिशन के तहत संचालन और रखरखाव के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषयों में संस्थागत और विनियामक तंत्रों के साथ संचालन और रखरखाव संरचना, मानक संचालन प्रक्रिया और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए वित्तीय संसाधन शामिल हैं। यह एफएचटीसी की स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

वर्तमान में, समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक प्रभावी, किफायती और जवाबदेह प्रणाली तैयार करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों हेतु व्यापक ओ एंड एम नीतिगत संरचना दस्तावेज विकसित कर रही है। इससे संचालन दक्षता बढ़ेगी, समग्र कार्यशीलता, पर्यावरणीय, वित्तीय, सामाजिक और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित होगी।

यह दस्तावेज़ ओ एंड एम लागतों के लिए लागत वसूली तंत्र से संबंधित विशिष्टताओं का उल्लेख करके और यदि आवश्यक हो तो कानून के माध्यम से उन्हें संस्थागत बनाकर वित्तीय स्थिरता का समाधान करेगा। यह विभिन्न जल उपयोगिताओं के निष्पादन को मापने के लिए एक रिपोर्टिंग और निगरानी ढांचा बनाने के लिए आधार भी प्रदान करेगा।

व्यापक लक्ष्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे के माध्यम से पेयजल का स्थायी स्रोत सुनिश्चित करके ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य, कल्याण और आर्थिक अवसरों में सुधार करना है।

3.3 संस्थागत तंत्र

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक चार स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन विज़न को ध्यान में रखते हुए अन्य तंत्र भी मौजूद हैं।

3.3.1 राष्ट्रीय स्तर – राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम)

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का नेतृत्व मिशन निदेशक करते हैं और एनआईसी द्वारा डेटा तथा प्रलेखन

केंद्र और बहु–विषयक विशेषज्ञों वाली दो परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) द्वारा समर्थित है।

3.3.2 राज्य स्तर – राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)

राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) का समन्वय, सामंजस्य और नीतिगत मार्गदर्शन का नेतृत्व किया जाता है। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के प्रशासनिक सचिव मिशन निदेशक के रूप में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। एसडब्ल्यूएसएम में शीर्ष और कार्यकारी समिति है। शीर्ष समिति की अध्यक्षता विभिन्न संबंधित विभागों के प्रभारी सचिव के साथ मुख्य सचिव करते हैं। कार्यकारी समिति मिशन निदेशक की सहायता करती है और इसमें 5–10 सदस्य होते हैं अर्थात जल, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य और साफ–सफाई, स्वच्छता तथा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में सहयोजित होते हैं। कई राज्यों में सहायक पीएमयू भी हैं।

Institutional mechanism under JJM

3.3.3 जिला स्तर – जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)

जिला स्तर पर, उपायुक्त या जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीडब्ल्यूएसएम कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्थानीय संसद सदस्य को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है। पीएचईडी का कार्यकारी अभियंता इसका सदस्य–सचिव होता है। डीडब्ल्यूएसएम गांव में जलापूर्ति योजनाओं पर विचार करने और प्रशासनिक मंजूरी देने, गांव के जल स्रोतों के संरक्षण और सुरक्षा, गंदला जल शोधन, जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाने और नियमित रूप से कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। कई जिलों में सहायक पीएमयू भी हैं।

3.3.4 ग्राम स्तर – ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति

जेजेएम को गांव में जलापूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हुए ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति अर्थात ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह, आदि के साथ एक विकेन्द्रीकृत, मांग–संचालित और समुदाय–प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। मिशन ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति, अर्थात वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति को 'स्थानीय जल उपयोगिता' के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है जो जल आपूर्ति सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है। अब तक, 22.01.2025 तक, 5.29 लाख से अधिक वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों का गठन किया गया है/कार्यशील बनाया गया है।

3.3.5 कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए)

जेजेएम को सहभागी तरीके से कार्यान्वित किया जाता है और स्वयं–सहायता समूह (एसएचजी), गैर सरकारी संगठन, समुदाय–आधारित संगठन, स्वैच्छिक संगठन, आदि, सामुदायिक लामबंदी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के रूप में ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को सहायता प्रदान करते हैं। आईएसए को एसडब्ल्यूएसएम द्वारा पैनलबद्ध किया जाता है और डीडब्ल्यूएसएम द्वारा विशेष परियोजना चक्र में निश्चित संख्या में गांवों को कार्यभार संभालने के लिए ऑन–बोर्ड किया जाता है। आईएसए जल संसाधन मानचित्रण कार्यों, सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता गतिविधियों, व्यवहारवादी परिवर्तन गतिविधियों, वीएपी की तैयारी, अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन आदि में सहायता प्रदान करती हैं। अब तक, 22.01.2025 तक, 14,024 से अधिक ऐसे संगठन विभिन्न राज्यों के साथ आईएसए के रूप में काम कर रहे हैं।

3.3.6 क्षेत्र भागीदार

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में पहले से ही व्यापक पहुंच और प्रभाव के साथ जल क्षेत्र में काम करने वाले कई स्वैच्छिक संगठनों (वीओ), गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सामाजिक सेवा और धर्मार्थ संगठनों को 'क्षेत्र भागीदारों' के रूप में मान्यता दी गई है ताकि समग्र रूप से चुनौतियों का समाधान किया जा सके। वर्तमान में, 212 ऐसे संगठनों को विभिन्न स्तरों, अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला/समुदाय–स्तरीय नियोजन के लिए क्षेत्र भागीदारों के रूप में मान्यता दी गई है।

कार्यक्रम प्रबंधन, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यनीतियों, सामुदायिक लामबंदी, क्षमता निर्माण और भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिकृति के लिए सफल मॉडलों की पहचान करने, सर्वोत्तम व्यवहारों का दस्तावेजीकरण करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के आयोजन में सुविधा प्रदान करने के क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन/राज्यों के साथ मिलकर काम करके जेजेएम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए क्षेत्र भागीदारों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है। साथ ही, क्षेत्र भागीदारी के प्रशिक्षित संसाधन क्षेत्र में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में काम कर सकते हैं ताकि वे प्रशिक्षण दे सकें और गांव/बसावट स्तर पर समुदाय के साथ जुड़ सकें।

क्षेत्र भागीदार के लिए गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i.) नीतिगत सलाह;

ii.) कार्यक्रम प्रबंधनः राज्य, जिला और जीपी स्तर पर कार्यान्वयन सहायता प्रदान करना, अर्थात डीडब्ल्यूएसएम, वीडब्ल्यूएससी, आदि जैसे संस्थानों के अंतराल–विश्लेषण में सहायता करना;

iii.) राज्य स्तर पर परिवर्तन प्रबंधन में सहायताः मॉड्यूल तैयार करना और एसडब्ल्यूएसएम, डीडब्ल्यूएसएम, आईएसए, वीडब्ल्यूएससी जैसे विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों का कैस्केडिंग दृष्टिकोण के माध्यम से क्षमता निर्माण करना;

iv.) लक्षित आईईसी हस्तक्षेपों में सहायताः राज्यों के लिए बीसीसी/आईपीसी पैकेज तैयार करना और रोल आउट में सहायता करना;

v.) ज्ञान प्रबंधनः सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण, क्रॉस–लर्निंग के लिए क्षेत्र में मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न सफलता मॉडल, आदि;

vi.) हितधारकों के लिए परस्पर सहमति के अनुसार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम;

vii.) सामुदायिक लामबंदीः जागरूकता अभियान आयोजित करना;

viii.) जल गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षणः राज्यों और जिलों की डब्ल्यूक्यूएमएस को सुदृढ़ बनाने और एनएबीएल मान्यता में सहायता करने, समुदाय के साथ प्रयोगशाला परिणामों को साझा करने, आदि में मदद करना;

ix.) मिशन की आवश्यकता और पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति के अनुसार कोई अन्य गतिविधि।

क्षेत्र भागीदारों को आरडब्ल्यूपीएफ विषगत शीर्ष भागीदारों तथा आरडब्ल्यूपीएफ राज्य शीर्ष भागीदारों की मदद करने के लिए ग्रामीण वॉश भागीदार फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) के साथ सहबद्ध किया गया है ताकि देशभर में वॉश संबंधी गतिविधियों में उनकी सहायता की जा सके।

3.3.7 क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

3.3.7.1 प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी)

पेयजल आपूर्ति क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली को बदलने के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के मार्गनिदेशन, ज्ञान और सूचना के प्रसार, उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रित और ऑडियो–विजुअल सामग्री के विकास, सर्वोत्तम व्यवहारों के दस्तावेज़ीकरण आदि के कार्य में लगे संस्थान प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी) थे। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, केआरसी के पैनल की वैधता समाप्त हो गई है।

वित्त वर्ष 2023–24 में एल1 और एल2 केआरसी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समग्र प्रगति नीचे दी गई है:

वर्ग	पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
एल–1	4	78
एल–2	181	7577

3.3.7.2 ग्रामीण वॉश भागीदार फोरम

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने ग्रामीण वॉश क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को बेहतर सहयोग और तालमेल के लिए ग्रामीण वॉश भागीदार फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) के रूप में एक प्लेटफार्म प्रदान किया है ताकि प्रयासों में हस्तक्षेप से बचते हुए सीखने और ज्ञान साझा करने का माहौल बनाया जा सके, मापनीय और लागत प्रभावी समाधान खोजे जाएं, सर्वोत्तम व्यवहारों और सफलता की कहानियों को साझा किया जा सके।

तदनुसार, 13 चिह्नित किए गए विषयगत क्षेत्रों को विकास भागीदारों को आवंटित किया गया है। इसे निम्नलिखित अनुरोध के साथ प्रमुख भागीदारों को भी सूचित किया गया है–

i) वे जिस विषयगत क्षेत्र की अगुवाई कर रहे है उसके लिए सहायता करने वाले भागीदारों के साथ सहयोग करना और अगले एक वर्ष के लिए चुनौतियों, संभावित दृष्टिकोण/समाधान/व्यवधानों को स्पष्ट रूप से सामने लाते हुए एक रोड मैप तैयार करना।

ii) उनके विषयगत क्षेत्र में प्रलेखन और सफलता की कहानियों तथा क्षेत्र के सर्वोत्तम व्यवहारों के व्यापक प्रसार के लिए तंत्र तैयार करना।

iii) उनके विषयगत क्षेत्र में सहायता करने वाले भागीदारों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से उद्देश्यों के बेहतर कार्यान्वयन और उन्हें हासिल करने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का सुझाव देना।

विषयगत क्षेत्रों और आरडब्ल्यूपीएफ विषयगत क्षेत्र संबंधी प्रमुख भागीदारों का विवरण नीचे उल्लिखित है–

क्र. सं.	विषयगत क्षेत्र	आरडब्ल्यूपीएफ विषयगत क्षेत्र संबंधी प्रमुख भागीदार
1	मलीय कीचड़ प्रबंधन	वॉश संस्थान
2	गंदला जल प्रबंधन	जल सहायता
3	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	पर्यावरण और शिक्षा केंद्र
4	जल गुणवत्ता प्रबंधन	आईएनआरईएम फाउंडेशन
5	स्रोत स्थिरता	आगा खान फाउंडेशन
6	संचालन और रखरखाव, संस्थानों में वॉश और जेंडर	जल सहायता
7	सूचना, शिक्षा और संचार	बीएमजीएफ
8	क्षमता निर्माण	यूनिसेफ़
9	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	भारत स्वच्छता सहयोग
10	आईओटी और क्लाउड आधारित कंप्यूटिंग	टाटा ट्रस्ट
11	प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित नवाचार और अनुसंधान एवं विकास	पीरामल फाउंडेशन
12	कौशल	एआईआईएलएसजी
13	डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस	अरघयाम

डीडीडब्ल्यूएस ने जेजेएम और एसबीएम–जी दोनों के कार्यान्वयन विभागों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग से काम करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय करने हेतु आरडब्ल्यूपीएफ भागीदारों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का भी आवंटन किया गया है। राज्य के प्रमुख भागीदारों की सूची नीचे दी गई है–

क्र.सं.	संगठन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	आगा खान	3	बिहार, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश
2	एआईआईएलएसजी	7	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव, कर्नाटक, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और मेघालय
3	आईएनआरईएम फाउंडेशन	2	असम और राजस्थान
4	पीरामल फाउंडेशन	3	जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र
5	टाटा ट्रस्ट	6	आंध्र प्रदेश, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड
6	यूनिसेफ़	2	पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु
7	वॉश संस्थान	6	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, पंजाब और सिक्किम
8	जल सहायता	2	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
9	पर्यावरण और शिक्षा केंद्र	3	गोवा, गुजरात और ओडिशा

कार्य क्षेत्र

यह मंच मुक्त रूप से विचार–विमर्श करने के लिए एक स्थान होगा, जहां विकास से संबंधित भागीदार अपने विचारों और प्रगति को प्रस्तुत कर सकते हैं और मिशन की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतिगत बदलाव ला सकते हैं। यह कोई कार्यान्वयन निकाय नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा निकाय होगा जो विचारों के आदान–प्रदान के लिए जगह बनाएगा। यह मंच निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करेगा:

- आरडब्ल्यूपीएफ को वॉश थिंक टैंक के रूप में स्थापित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना और वार्षिक रोडमैप विकसित करना;
- विचारों के आवधिक आदान–प्रदान के लिए डीडीडब्ल्यूएस और आरडब्ल्यूपीएफ के विकास संबंधी भागीदारों/राज्यों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना;
- फोरम भागीदारों द्वारा भौगोलिक और साथ ही विषयगत कवरेज की सुविधा;
- सर्वोत्तम व्यवहारों और स्केलेबल समाधानों की पहचान करना तथा राज्यों/जिलों और अन्य भागीदारों की सहायता करना;
- मिशन की प्रगति, सुधार लाने और मिशन की प्राथमिकताओं के साथ व्यवधानों को जाँचने के लिए क्षेत्र के साथ नियमित रूप से सबकी भागीदारी वाली बैठकें आयोजित करना;
- वॉश क्षेत्र में क्षेत्र भागीदारों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभावी भागीदारी के लिये तालमेल स्थापित करना;
- विषयगत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख लोगों द्वारा विषयगत क्षेत्र के विषयों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, वेबिनार, और प्रशिक्षण दिया जाना।

वर्ष 2024 में ग्रामीण वॉश पार्टनर्स फोरम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम/कार्यशालाएं

- आरडब्ल्यूपीएफ ने वर्ष 2024 में एसबीएम–जी और जेजेएम दोनों के लिए विषयगत क्षेत्रों पर विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित कीं।
- आरडब्ल्यूपीएफ ने 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में भाग लिया। उन्होंने एसबीएम–जी और जेजेएम पर प्रदर्शनी में प्रदर्शित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रदर्शनी में भी भाग लिया।
- कुछ आरडब्ल्यूपीएफ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन में भी भाग लिया और हितधारकों अर्थात् राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नेतृत्व, डीडीडब्ल्यूएस, भागीदारों और एसबीएम–जी और जेजेएम के लिए अन्य हितधारकों के साथ अपने अनुभव और भावी योजना को साझा किया।

3.3.7.3 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम–निवास)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम–निवास), जिसका नाम पहले राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र (एनसीडीडब्ल्यूएसक्यू) रखा गया था, जो जोका, कोलकाता में स्थापित है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) का एक स्वायत्त संस्थान है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 30.12.2022 को इस संस्थान का उद्घाटन किया।

एसपीएम–निवास को जोका, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 8.72 एकड़ भूमि पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) का उद्देश्य जल एवं स्वच्छता संबंधी इस शीर्ष संस्थान के माध्यम से लघु, मध्यम और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वच्छता और साफ–सफाई के क्षेत्र में ज्ञान तथा क्षमता निर्माण के अंतर को पाटना है। ये पाठ्यक्रम न केवल अभियांत्रिकी से संबंधित हैं, बल्कि प्रबंधन, स्वास्थ्य, लेखांकन, विधि एवं लोक नीतियों के पहलुओं को भी कवर करते हैं।

विज़न

एसपीएम–निवास को देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए जल, स्वच्छता और साफ–सफाई (वॉश) के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शीर्ष संस्थान के रूप में काम करना है और एक ज्ञान तथा समाधान का केंद्र बनना है।

भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

वॉश क्षेत्र में एसपीएम–निवास की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

1) फोकस के प्रमुख कार्यक्षेत्रों/क्षेत्रों जैसे कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षा, नवाचार तथा अनुसंधान और विकास, सलाह एवं परामर्श, आउटरीच, और प्रौद्योगिकी तथा समाधान बैंक के संबंध में बड़े पैमाने पर कार्य करेगा;
2) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाएगा;
3) आयोजना, डिजाइन, जल एवं स्वच्छता और संबद्ध विषयों के प्रबंधन से संबंधित सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता, जन, समाधान, शिक्षाशास्त्र, उपकरण, प्लेटफार्म, प्रौद्योगिकियों, डिजाइन, परिपाटियों, प्रयोगशालाओं, उत्पादों और निक्षेपागारों का विकास करेगा;
4) जल एवं स्वच्छता, अभियांत्रिकी, प्रबंधन और तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य एवं टिकाऊ समाधान लाने से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को चलाने की सीमा तक अपनी क्षमता बढ़ाएगा;
5) नियमित प्रशिक्षण और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में शामिल बहु हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करेगा;

6) मास्टर्स से पोस्ट–डॉक्टरेट स्तर तक के शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में उच्च शिक्षा विकसित करेगा;

7) साक्ष्य–आधारित अनुसंधान सृजित करेगा, प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करेगा और प्रयोगशाला से क्षेत्र में नवाचार समाधान लाएगा;

8) गुणवत्ता कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में राज्यों की सहायता करेगा और अपनी आउटरीच तथा परामर्श सेवाओं के माध्यम से जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के ऐसे परिणामों को बनाए रखेगा जो संस्थान और राज्यों दोनों के लिए फायदेमंद हों;

9) प्रौद्योगिकियों और समाधानों के निक्षेपागार का निर्माण करेगा अर्थात् संग्रहण, मिलान और वर्गीकरण करके एक प्रौद्योगिकी तथा समाधान बैंक बनाएगा और एक प्रसिद्ध ज्ञान भागीदार बनेगा;

10) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का विकास करेगा और हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से जानकारी के भंडारण, प्रसंस्करण और साझा करने के लिए इसका उपयोग करेगा;

11) सार्वजनिक जल प्रणालियों, सुविधाओं और जल कार्यक्रमों के प्रबंधन आदि का रूप बदलने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे कि गहन प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा; और

12) लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के प्रत्यायन/प्रमाणन के लिए एक निकाय के विकास में सहायता करेगा ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और उभरते मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हों।

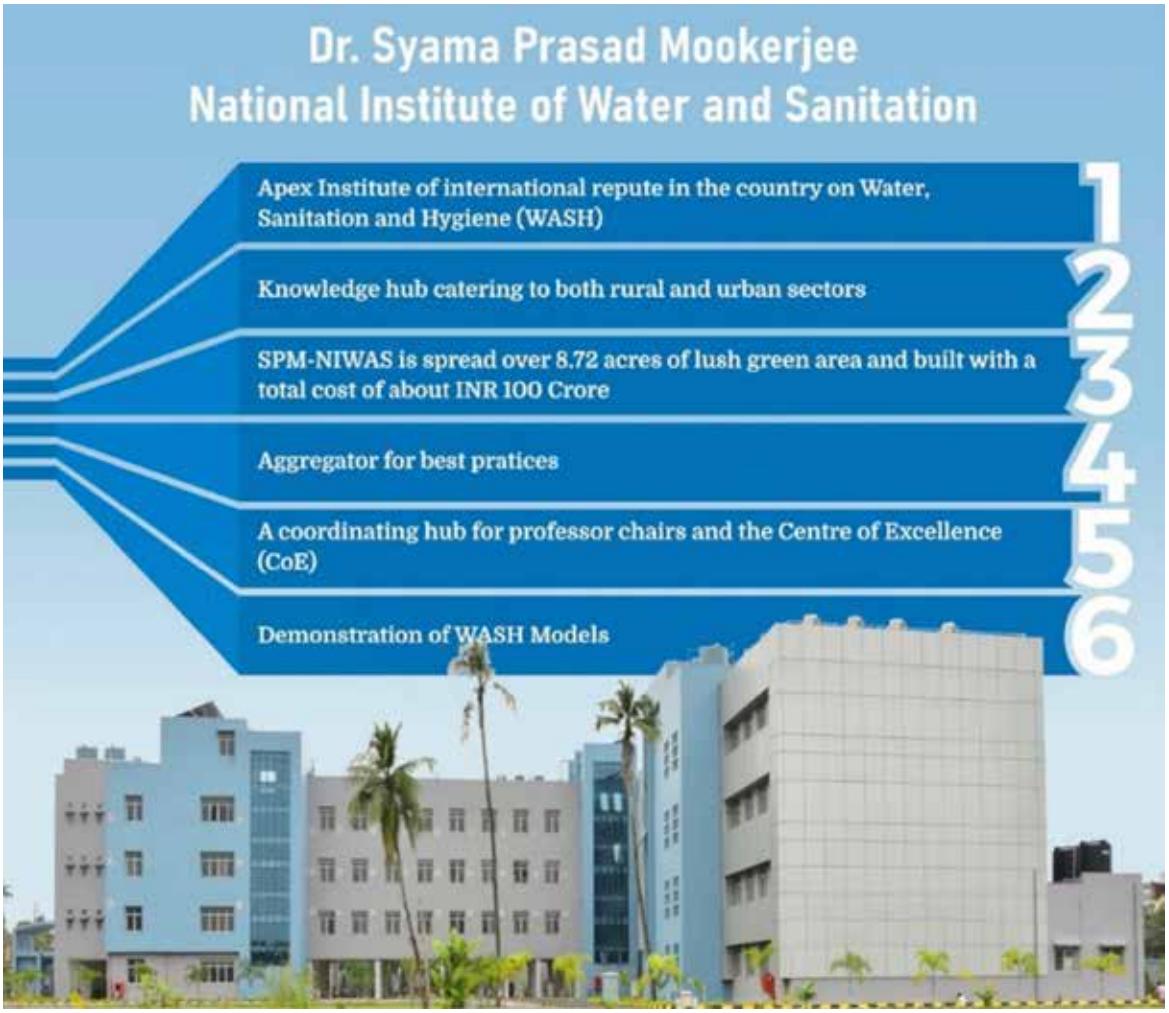

प्रशिक्षण और कार्यशालाएं / सम्मेलन

एसपीएम–निवास ने कैलेंडर वर्ष के दौरान 60 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र और ऑफ़लाइन कार्यशालाएँ आयोजित कीं। इस अवधि के दौरान आयोजित कुछ प्रशिक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

i.) संस्थान ने 2 फरवरी, 2024 को एक दिवसीय "सुरक्षित जल और कीटाणुशोधन / क्लोरीनीकरण पहल पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" का आयोजन किया। संगोष्ठी का उद्देश्य देशभर के सभी नागरिकों को स्वच्छ और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की प्रतिबद्धता के अनुरूप सुरक्षित जल तक पहुँच के महत्व और कीटाणुशोधन / क्लोरीनीकरण पहल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना था।

ii.) संस्थान ने केंद्रीय भूजल बोर्ड के सहयोग से 11 से 13 मार्च, 2024 तक एसपीएम–निवास, कोलकाता में "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जल विज्ञान, भूजल स्रोतों की स्थिरता, जोखिम मूल्यांकन, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और झरने के जल स्रोतों का प्रबंधन, भूजल गुणवत्ता, नल से पेय – विश्वसनीय और कीटाणुरहित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना जैसे क्षेत्रों में अधिकारियों और इंजीनियरों की क्षमता को बढ़ाना था।

iii.) संस्थान ने 20 से 22 मार्च, 2024 तक एसपीएम–निवास, कोलकाता में "एसबीएम (जी) 2.0: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन और मलीय गाद प्रबंधन" पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

iv.) संस्थान ने 6 से 7 जून, 2024 तक दो दिवसीय आवासीय "राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों की राष्ट्रीय प्रशिक्षण परामर्श कार्यशाला – जेजेएम के तहत पुनरावलोकन और संभावना" का आयोजन किया।

v.) एसपीएम–निवास द्वारा 1 अक्टूबर, 2024 को "नल जल सेवा ऐप की प्रभावी कार्यक्षमता और उपयोगिता" पर एक ऑनलाइन लघु पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

vi.) एसपीएम–निवास में 5 से 8 नवंबर, 2024 तक "एसबीएम–जी के तहत पेरी शहरी गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन" पर एक आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

vii.) दिसंबर, 2024 में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मलीय गाद प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, आरडब्ल्यूएस प्रणालियों के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन परिपाटियों, स्मार्ट ग्रामीण जल प्रबंधन और अवसंरचनात्मक अनुकूलन के लिए आईओटी, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव आदि जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3.3.7.4 राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ (एनडब्ल्यूई)

डीडीडब्ल्यूएस ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (एसपीएम–निवास) (पूर्व में एनसीडीडब्ल्यूएसक्यू) को निदेश दिया है कि वह जमीनी सच्चाई के लिए सेक्टर विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने और उन्हें नियोजित करने का कार्य करे और निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन हेतु कार्य में तेजी लाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करे:

- कार्यक्रम की स्वतंत्र निगरानी;
- गांवों में कार्यान्वयन की जमीनी सच्चाई;
- संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रदान करना;
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली को स्टार रेटिंग प्रदान करने हेतु सुविधाजनक बनाना;
- जल सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता, योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता की जांच करना।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वॉश और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 72 व्यक्तिगत डोमेन विशेषज्ञों को कार्य में शामिल किया गया है ताकि अधिकतम संख्या में गांवों का दौरा किया जा सके। अब तक, दिनांक

30.11.2024 तक, 490 जिलों के 7,788 से अधिक गांवों का दौरा किया गया है और जेजेएम–आईएमआईएस पर रिपोर्ट अपलोड की गई है।

3.3.7.5 प्रोफेसर पीठ

मिशन के उभरते उद्देश्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जल जीवन मिशन – प्रोफेसर पीठों की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन तथा राज्य जल एवं स्वच्छता/ग्रामीण जल आपूर्ति/पीएचई विभागों को क्षेत्र विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं, ताकि जल जीवन मिशन के साथ–साथ स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। प्रोफेसर पीठों के तंत्र के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन के संबंध में सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए व्यापक स्तर पर परामर्श करने हेतु, नीचे तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पांच प्रोफेसर पीठों की स्थापना की गई है:

तालिका 5 : जेजेएम–प्रोफेसर पीठों की स्थापना के लिए पांच फोकस क्षेत्र और संस्थान

क्रमांक	फोकस क्षेत्र	संस्थान	जेजेएम प्रोफेसर पीठ
1.	उपयोगिता विकास और जल अर्थशास्त्र	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर	प्रो. गोपाल नायक
2.	पेयजल स्रोतों की स्थिरता	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जोधपुर	प्रो. प्रदीप कुमार तिवारी
3.	जल शोधन प्रौद्योगिकी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी	प्रो. मिहिर कुमार पुरकैत
4.	जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए विकेन्द्रीकृत अभिशासन	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई	प्रो. अमिता भिड़े
5.	सेवा प्रदान करने के लिए आईटी और डेटा विज्ञान	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर	प्रो. अमित मित्रा

डीडीडब्ल्यूएस ने 5 जेजेएम–प्रोफेसर चेयर के 5 साल के कार्यकाल के लिए 30.59 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और जेजेएम–प्रोफेसर चेयर के संचालन के लिए अब तक 10.75 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि उनके निर्धारित फोकस क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आउटरीच और परामर्श, शैक्षणिक कार्यक्रम, अनुसंधान और नवाचार जैसे कार्य किए जा सकें। जेजेएम–प्रोफेसर चेयर की गतिविधियों की समीक्षा करने और चालू वर्ष के दौरान प्रोफेसर चेयर द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2024 को सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

3.3.8 जेजेएम के तहत समितियां

3.3.8.1 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी)

राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित सभी योजनाओं की बारीकी से जांच की जाए ताकि वे जेजेएम दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। इसलिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) भी होती है जो अनिवार्य रूप से राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के रूप में कार्य करती है। यह समिति तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ग्रामीण बसावटों में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता के लिए मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं की कार्यशीलता/कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है।

एसएलएसएससी की अध्यक्षता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सचिव करता है और इसमें डीडीडब्ल्यूएस के प्रतिनिधि तथा एसडब्ल्यूएसएम के मिशन निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के निदेशक, राज्य जल संसाधन/भूजल विभाग के निदेशक, केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक, मुख्य अभियंता पीएचईडी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तय किया गया कोई अन्य

सदस्य (आवश्यकता–आधारित) भी शामिल हैं। प्रत्येक राज्य की एसएलएससीसी उन योजनाओं के अनुमोदन के लिए बैठक बुलाती है जो डीडब्ल्यूएसएम के दायरे में नहीं हैं, जैसे कि इंट्रा/अंतर–जिला संवितरण नेटवर्क, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाएं, ग्रिड और शोधन संयंत्रों के माध्यम से थोक जल अंतरण। डिजाइन अवधि के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी और निर्धारित गुणवत्ता हेतु स्रोत खोज समिति (एसएफसी) द्वारा एसएलएससीसी के समक्ष रखे गए प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है।

3.3.8.2 तकनीकी समिति

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु इस पैमाने के साथ तेजी से एफएचटीसी द्वारा सार्वभौमिक कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी चुनौतियां हैं जिनके लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ–साथ नवीन समाधानों की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

समिति ने चुनौतियों को हल करने के लिए कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद उनकी पहचान की और उनकी सिफारिश करने हेतु पेयजल और स्वच्छता क्षेत्रों के लिए तकनीकी समाधान/नवाचार आमंत्रित किए हैं। अनुकूलित समाधानों के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को आमंत्रित करने हेतु इसी तरह की कवायद की जा रही है। समिति में राज्य के ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभागों का भी प्रतिनिधित्व है। प्रस्तुत की गई प्रौद्योगिकियों को मूल्यांकन की अशॉर्ड प्रणाली के तहत एक मैट्रिक्स के रूप में विकसित किए जाने वाले उपयुक्त मानकों के आधार पर मापा जाएगा।

समिति ने दिनांक 18 मार्च, 2024 को एक बैठक की जो वर्ष 2024 में इसकी नौवीं बैठक है। स्वीकृत प्रौद्योगिकियों को इस क्षेत्र में अपनाने के लिए राज्यों के साथ भी साझा किया जाता है। समिति ने 7 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा उन्हें बंद करने की सिफारिश की है।

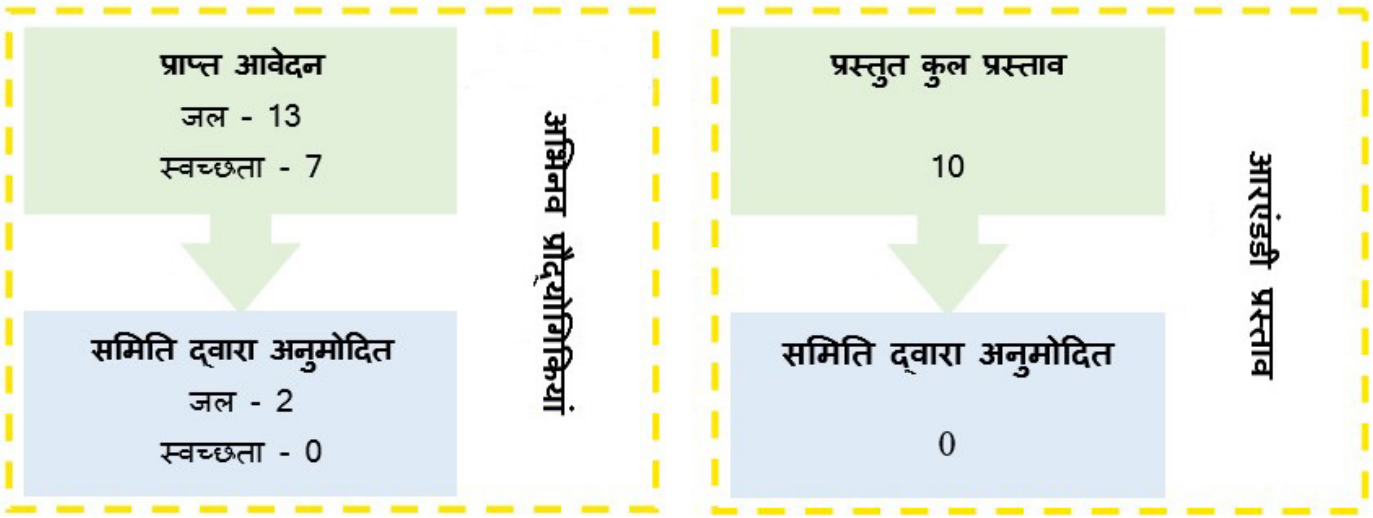

तालिका 1: तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकियों के ब्यौरे

क्र.सं.	श्रेणी	कंपनी	प्रौद्योगिकी
1.	जल	एफएएमएस डिज़ाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	एकीकृत स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए एक नवीन गैर–आक्रामक तकनीक का उपयोग करके एकीकृत जल पाइपलाइन डिजिटलीकरण, मानचित्रण, रिसाव का पता लगाना।
2.		एफएएमएस डिज़ाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	एफएएमएस इंटेलिजेंस वाटर सप्लाई (एफआईडब्ल्यूएस)

जल जीवन मिशन द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँः

तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित आठ चालू अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ, जिनकी स्थिति नीचे दी गई हैः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रुपए में)	प्रमुख अन्वेषक	स्थिति
1.	जल के पुनः उपयोग हेतु अपशिष्ट जल शोधन एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली हेतु माइक्रोफ्लुइडिक बोतल कैप का विकास	31.68	डॉ. अरूप कुमार दास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रुड़की	पूर्ण
2.	उभरते हुए और अंतःस्त्रावी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म प्रदूषक परक्लोरेट से दूषित सामुदायिक कुँए के पानी को शुद्ध करने की तकनीक का पायलट पैमाने पर प्रदर्शन	31.25	डॉ. कृष्ण कुमार भास्करन सीएसआईआर – राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम, केरल	पूर्ण
3.	स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए उपयोग बिंदु और लाइन जल गुणवत्ता सेंसर। कोलीफॉर्म, फ्लोराइड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का पता लगाना।	72.51	डॉ मीनू छाबड़ा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–जोधपुर	पूर्ण
4.	केरल के कोल्लम जिले में जल संचयन के लिए परित्यक्त खदानों का पारिस्थितिक पुनरुद्धार।	36.30	डॉ. दीपू सुकुमारन जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र (सीडब्ल्यूआरडीएम), केरल	पूर्ण
5.	झारखंड और ओडिशा के लौह संदूषित क्षेत्रों में टेराफिल जल निस्पंदन प्रणाली का कार्यान्वयन और भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिए टेराफिल कच्चे माल और इसकी प्रक्रिया का अनुकूलन	66.00	डॉ. जयंत पोथल सीएसआईआर – खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान–भुवनेश्वर	पूर्ण
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल निकायों में कीटनाशक अवशेषों के शोधन हेतु प्रोटोटाइप का विकास	36.71	डॉ. सुमना घोष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रुड़की	पूर्ण
7.	ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय आधारित प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण (सीओएमएआर): टिकाऊ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए एक उपकरण	27.72	डॉ. बसंत यादव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रुड़की	पूर्ण
8.	ग्रामीण नियोजन हेतु किफायती आईओटी सक्षम जल सेवा वितरण मापन और निगरानी संवेदन प्रणाली।	299.35	डॉ. बबनकुमार एस बंसोड सीएसआईआर – केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ)–चंडीगढ़	चालू

3.3.8.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देने के लिए समिति

सचिव, डीडीडब्ल्यूएस की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए गठित समितिः

i.) अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एनजेजेएम, डीडीडब्ल्यूएस

ii.) संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एसबीएम, डीडीडब्ल्यूएस

iii.) संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीडीडब्ल्यूएस

iv.) प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा नामित

v.) सचिव, ग्रामीण विकास (मनरेगा के प्रभारी एएस/जेएस) द्वारा नामित

vi.) सचिव, पंचायती राज द्वारा नामित

vii.) मुख्य लेखा नियंत्रक

viii.) तकनीकी निदेशक, एनआईसी

ix.) एनजेजेएम में सभी निदेशक/उप सचिव

x.) एनजेजेएम में सभी तकनीकी अधिकारी

3.4 वार्षिक कार्य योजना

हर साल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार करने की आवश्यकता होती है, जो एक व्यापक कार्य है जो फरवरी की शुरुआत में शुरू होता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी सुदृढ़ योजना तैयार करना है जो पहचान की गई प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यान्वयन के लिए दिशा प्रदान करती हो, भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों पूर्वानुमान करके अनिश्चितता संबंधी जोखिम को कम करती हो, आदि। राज्यों द्वारा दर्ज किए गए आईएमआईएस डाटा के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उनके मौजूदा जल आपूर्ति परिदृश्य के संबंध में, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। आयोजना कार्य प्रमुख हितधारकों को कार्यान्वयन प्रक्रिया की परिकल्पना करने, स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय–सीमा के साथ एक कार्य सूची तैयार करने, समन्वय की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संपूर्ण संस्थागत तंत्र वांछित दिशा में काम करने के लिए दिशानिर्देशित है।

3.4.1 वार्षिक कार्य योजना का लक्ष्य

क. सुलभ परिणामों को लक्षित करना

नल जल कनेक्शन प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय मौजूदा/चालू पाइपगत जलापूर्ति नेटवर्क को 'लो–हैंगिंग फ्रूट्स' के रूप में उपयोग करना और नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वितरण नेटवर्क का विस्तार करके उनका रेट्रोफिटिंग करना है। मौजूदा पाइपगत जलापूर्ति नेटवर्क और कुछ परिवारों में नल कनेक्शन वाले गांवों में, कार्य–परिपूर्ण पद्धति को अपनाते हुए गांव के हर परिवार को जोड़ना अनिवार्य है।

i.) गांव के शेष परिवारों को मौजूदा पीडब्लूएस योजनाओं से नल जल कनेक्शन प्रदान करना;

ii.) जेजेएम के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा योजनाओं का विस्तार और रेट्रोफिटिंग;

iii.) जहां नल जलापूर्ति की मौजूदा कवरेज अधिक है और कुछ परिवार शेष हैं, वहां गांव के सभी परिवारों को जोड़ना;

iv.) योजनाओं की कार्यदक्षता में सुधार लाने के लिए उनके जीवन चक्र/डिजाइन अवधि का विश्लेषण।

ख. प्रमुख जिम्मेदारी निभाने के लिए जीपी/वीडब्ल्यूएससी/पानी समितियों को सशक्त बनाना

वीएपी तैयार करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण हैः

i.) प्रमुख घटकों को शामिल करते हुए वीएपी तैयार करने के लिए जीपी/वीडब्ल्यूएससी को सुविधा प्रदान करना;

ii.) ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर संसाधनों के उपयोग के माध्यम से सामंजस्यता की संभावना का तलाश करना।

ग. जेई–एईएस प्रभावित जिलों को प्राथमिकता देना

जापानी इंसेफेलाइटिस–एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई–एईएस) स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यह रोग ज्यादातर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है जिससे रुग्णता और मृत्यु हो सकती है। ये संक्रमण विशेष रूप से गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के कुपोषित बच्चों को प्रभावित करते हैं। नोडल मंत्रालय के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ पांच केंद्रीय मंत्रालयों के

माध्यम से रोकथाम और नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए पांच राज्यों में 60 (अब 61) उच्च प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है। इन जिलों में बीमारी के बोझ को कम करने के लिए जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

जल जीवन मिशन ने असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिलों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ नल जल आपूर्ति प्रदान करके जेई–एईएस के प्रसार को कम करने के लिए निवारक उपायों को काफी मजबूत किया है। दिनांक 15 अगस्त 2019 को, जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, पांच राज्यों के इन जिलों में केवल 8.02 लाख (2.72%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति थी। राज्यों के प्रयासों के कारण, दिनांक 22.01.2025 तक 2.42 करोड़ (81.29%) से अधिक परिवारों को उनके घरों में स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराया गया है, अर्थात् कवरेज में 28 गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

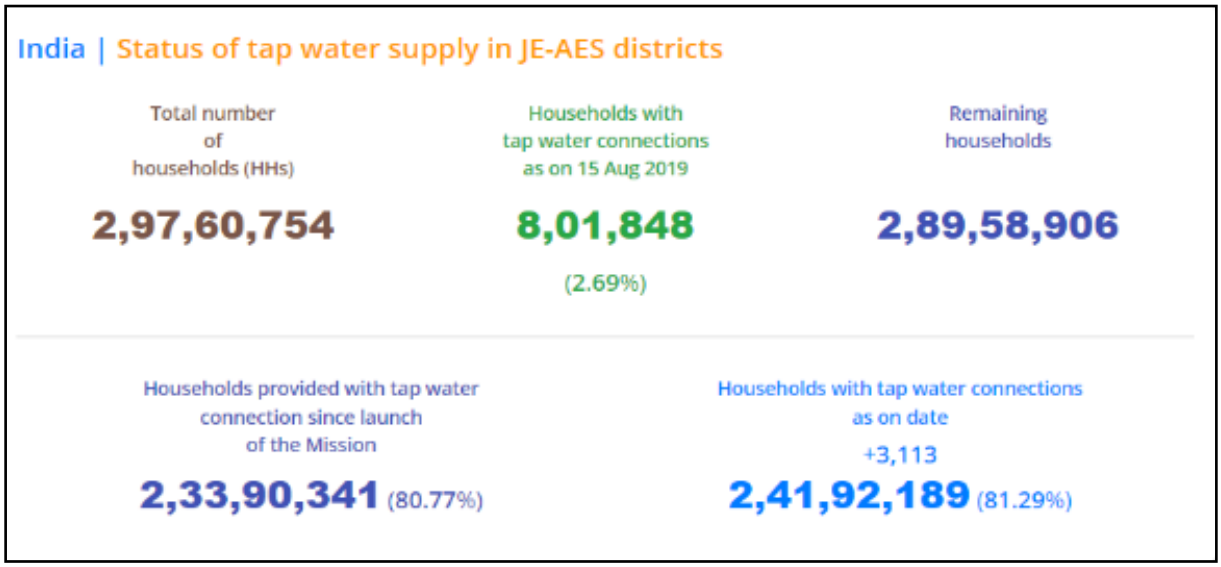

घ. आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देना

दूर–दराज के क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा मूल रूप से ध्यान देने के साथ, यह मिशन बिना किसी भेदभाव के हर ग्रामीण परिवार में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। 'कोई भी वंचित न रहे', सिद्धांत के साथ उन सभी परिवारों को उनके घरों में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है जो अब तक यह सेवा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। निम्न मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले जिलों की नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में पहचान की गई है। दिनांक 15 अगस्त, 2019 को, जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, तब 112 आकांक्षी जिलों में केवल 21.16 लाख (7.69%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति थी। दिनांक 22.01.2025 तक आकांक्षी जिलों में 2.15 करोड़ (78.30%) से अधिक परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है, अर्थात् दस गुना वृद्धि हुई है।

ङ. जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता देना

जेजेएम के तहत जल गुणवत्ता पर जोर देते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाने की सलाह दी जाती है।

i.) जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में, विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण वाली बसावटों में प्राथमिकता के आधार पर पीने योग्य जल सुनिश्चित करना;

ii.) चूंकि पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने में अधिक समय लग सकता है, अतः राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पीने और खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए 8–10 एलपीसीडी प्रदान करने के लिए अंतरिम (अल्पकालिक) उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी)

स्थापित करें। तथापि, राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर इन बसावटों के प्रत्येक घर में पाइपगत जलापूर्ति की योजना बनाने के लिए कहा गया है;

iii.) पर्याप्त भूजल उपलब्धता के साथ ही गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले गांवों में, स्थल पर ही उपयुक्त शोधन प्रौद्योगिकी को अपनाने की संभावना तलाशनी है;

iv.) जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं और आस–पास के क्षेत्रों में उपयुक्त सतही जल स्रोतों की अनुपलब्धता वाले गांवों में, लंबी दूरी से थोक पानी को अंतरित करना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

क्र.सं.	संदूषक	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या			
		दिनांक 01.08.2019 के अनुसार	दिनांक 22.01.2025 के अनुसार		
			कुल	अल्पकालिक उपायों के साथ कवर की गई	शेष
1.	आर्सेनिक	11,559	314	314	-
2.	फ्लोराइड	6,852	254	254	-
3.	भारी धातुएं	2,151	46	35	11
4.	लौह	18,562	3,228	0	3,228
5.	नाइट्रेट	1,383	391	5	386
6.	लवणता	13,226	7,758	4	7,754
	कुल	**53,733**	**11,991**	**612**	**11,379**

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित सभी बसावटों में पीने योग्य पानी की पहुंच सुनिश्चित की गई है।

च. साथ ही, राज्यों को बिना किसी पीडब्ल्यूएस वाले गांवों में भी काम शुरू करना है;

छ. पानी की कमी और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में, राज्य शोधन संयंत्रों के साथ–साथ थोक जल अंतरण और संवितरण नेटवर्क के लिए योजनाएं तैयार और कार्यान्वित कर रहे हैं;

ज. सहायक गतिविधियाँ – आईएसए के नियोजन, वीडब्ल्यूएससी गठन, वीएपी की तैयारी, आईईसी गतिविधियाँ, सहायक कर्मचारी, क्षमता निर्माण, कौशल, तृतीय–पक्ष निरीक्षण, शिकायत निवारण, आदि हेतु आयोजना।

झ. जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियाँ – नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की योजना, एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता, पीपीपी, जल गुणवत्ता परीक्षण और स्वच्छता सर्वेक्षण लक्ष्य, आदि।

ञ. वित्तीय आयोजना – वित्त वर्ष के लिए वार्षिक और त्रैमासिक आयोजना, सामंजस्यता, ओ एंड एम, ईएपी, आदि की योजना।

3.4.2 वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दिनांक 17 फरवरी, 2024 को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत की।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को अंतिम रूप देने से पहले इसकी गहन जांच की गई थी। इसके बाद साल भर के लिए निधियां जारी की गई। जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन वार्षिक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु नियमित क्षेत्रीय दौरे, समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

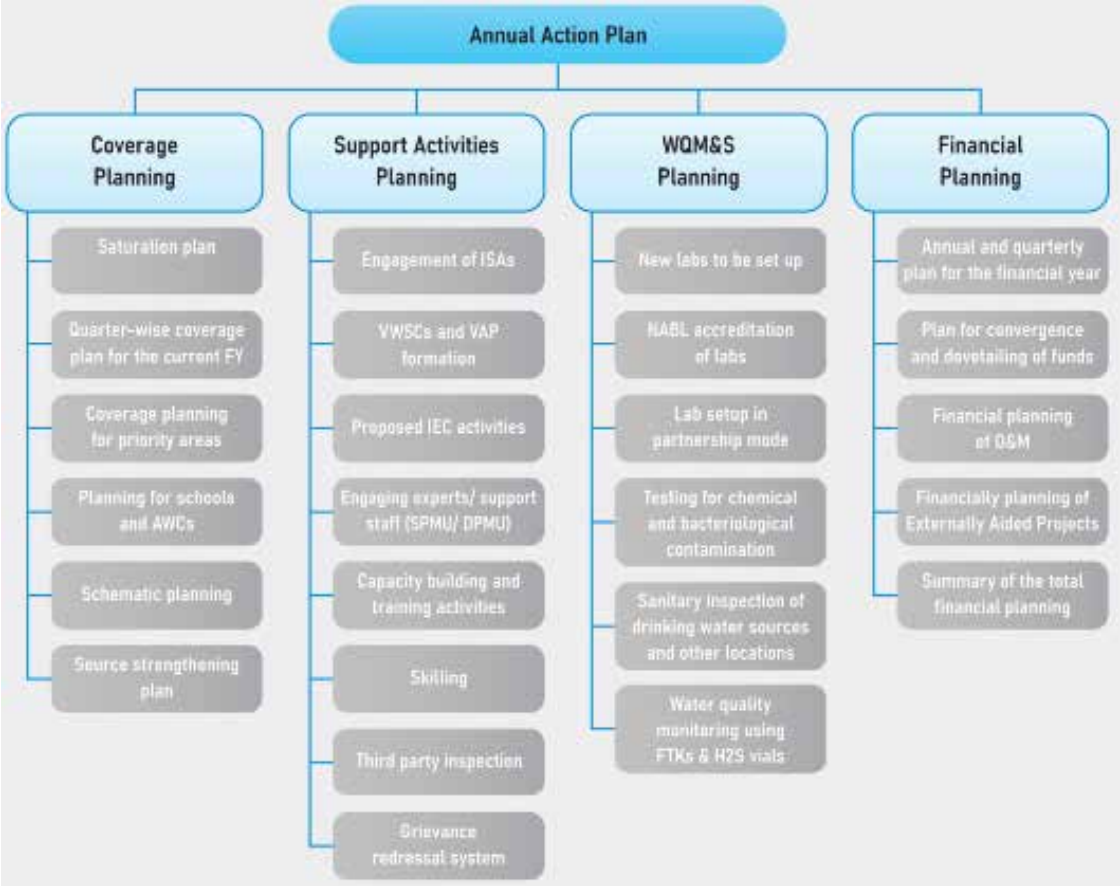

चित्र 3.3 : वार्षिक कार्य योजना के घटक

3.5 कार्यान्वित प्रमुख पहलें

3.5.1 मिलकर करें काम, बनाएं जीवन आसान

3.5.1.1 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत सरकार जल आपूर्ति, जल संवितरण, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट शोधन, सीवरेज प्रणाली, शोधित अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग, जल प्रबंधन और ऊर्जा अनुकूलन के विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का निर्माण कर रही है।

भारत निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान होने के नाते, पेयजल क्षेत्र में निवेशकों के आगे आने और जल आपूर्ति प्रणालियों को कार्यदक्ष एवं टिकाऊ बनाने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं।

3.5.1.1.1 भारत और डेनमार्क भागीदारी

भारत और डेनमार्क ने दिनांक 28 सितंबर, 2020 को एक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक भागीदारी की है और बाद में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली और डेनिश पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, पर्यावरण मंत्रालय, डेनमार्क (डीईपीए) के बीच एक संयुक्त कार्य योजना (2021–2024) तैयार की गई है ताकि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के भारत सरकार के उद्देश्य में सहायता की जा सके। कार्य योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति, जल संवितरण, अपशिष्ट जल शोधन, सीवरेज प्रणाली, शोधित अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र में ऊर्जा अनुकूलन के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

इस सहयोग का उद्देश्य डेनिश और भारतीय विशेषज्ञता के गठजोड़ से जेजेएम की प्राथमिकताओं की श्रृंखला का समर्थन करने के लिए कार्य करना और नीति, आयोजना, विनियमन तथा कार्यान्वयन के साथ–साथ प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास एवं कौशल के क्षेत्र में मिलकर समाधान तैयार करना है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और डीईपीए, भारत में डेनमार्क के दूतावास के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ एक संचालन समिति कार्य योजना के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति की समीक्षा के भाग के रूप में गठित की गई है। एनजेजेएम और डीईपीए के बीच भागीदारी और सहायता के परिणामों में तेजी लाने के लिए कई बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

एनजेजेएम के अधिकारियों ने डेनमार्क में उन्नत जल चक्र प्रबंधन और भूजल अभिशासन तथा पेयजल प्रबंधन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। डेनमार्क की ओर से भागीदारी में कई वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

3.5.1.1.2 डीडीडब्ल्यूएस में विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा

जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत भारत की उपलब्धियों ने वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के साथ सीधे जुड़े:

- **फरवरी, 2024**: 19 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (एलएसी) देशों के 35 पत्रकारों और संपादकों ने जेजेएम और भारत की जल स्थिरता पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया।
- **मार्च, 2024**: 13 मध्य यूरोपीय देशों के 20 पत्रकारों और संपादकों ने डीडीडब्ल्यूएस अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें जल और स्वच्छता समाधानों के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **नवंबर, 2024**: टिकाऊ पेयजल आपूर्ति, एकीकृत जल प्रबंधन और संसाधन के रूप में अपशिष्ट जल के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एएस एंड एमडी–एनजेजेएम की अध्यक्षता में आरहूस नगर पालिका, डेनमार्क के विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल के साथ डीडीडब्ल्यूएस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।
- **नवंबर, 2024**: 13 विकासशील देशों के 21 प्रतिभागियों ने एनआईएलईआरडी द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें एसडीजी–6 से संबंधित जल प्रबंधन और स्वच्छता में भारत के नेतृत्व पर जोर दिया गया।

इन कार्यक्रमों ने सतत विकास में अग्रणी तथा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों के प्रणेता के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ किया।

3.5.1.1.3 नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. माइकल क्रेमर से मुलाकात

क. दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दौरा

डीडीडब्ल्यूएस सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रो. माइकल क्रेमर (शिकागो विश्वविद्यालय), साक्ष्य कार्रवाई, विकास नवोन्मेष प्रयोगशाला और डीडीडब्ल्यूएस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत जल गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान पर चर्चा की गई। प्रो. क्रेमर ने हाल ही में मृत्यु दर पर किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को साझा किया, जिसमें पीने योग्य पानी के हस्तक्षेप के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर जोर दिया गया और ओडिशा की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाला गया। सचिव

डीडीडब्ल्यूएस और एएस एंड एमडी, एनजेजेएम ने भारत में जल प्रबंधन और गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रो. क्रेमर की अंतर्दृष्टि और प्रतिबद्धता की सराहना की।

मुख्य कार्य बिंदुओं में क्लोरीनीकरण प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप देना, क्लोरीनयुक्त जल सुरक्षा पर आईईसी सामग्री तैयार करना, तथा प्रशिक्षण की सुविधा के लिए अपने पीएमयू को एसपीएम निवास में स्थानांतरित करना शामिल था। व्यापक राज्य भागीदारी और मीडिया कवरेज के लिए भारत जल सप्ताह 2024 के साथ संरेखित करने के लिए एक प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम का सुझाव दिया गया।

ख. दिनांक 14 सितंबर, 2024 का दौरा

डीडीडब्ल्यूएस सचिव ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर और उनकी टीम के साथ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एक सार्थक बातचीत की। चर्चा में जेजेएम के तहत पेयजल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए आगे के रास्ते तलाशे गए।

3.5.1.1.4 वैश्विक प्रशंसा

यूनेस्को, पेरिस में जल जीवन मिशन की सराहना

यूनेस्को में विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम (डब्ल्यूडब्ल्यूएपी) के आकलन के दौरान, महामहिम श्री विशाल वी. शर्मा ने भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर किया।

उन्होंने स्वच्छ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने में हुई प्रगति पर जोर दिया और जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करने वाली ग्रामीण महिलाओं की भूमिका के संबंध में प्रेरक अंतर्दृष्टि साझा की। जेजेएम के तहत अभिनव दृष्टिकोण एसडीजी–6: सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एफआईपीआईसी/आईओआरए देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और अभिशासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम

एफआईपीआईसी/आईओआरए देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और अभिशासन पर प्रतिष्ठित उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम में, प्रदीप सिंह ने दिनांक 10 अगस्त 2024 को जल जीवन मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक "हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देना" पर एक आकर्षक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में मिशन के कार्यनीतिक ढांचे का विस्तृत विवरण दिया गया, जिसमें जल गुणवत्ता निगरानी के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का नियोजन और स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का कार्यान्वयन शामिल है। प्रस्तुति में पारिवारिक नल कनेक्शनों के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण प्रगति

को प्रदर्शित किया गया और संचालन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें वित्तीय स्थिरता और मजबूत संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) संबंधी परिपाटियों के विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं के सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने सहित मिशन के व्यापक सामाजिक प्रभावों को भी शामिल किया गया। अंतर्दृष्टि ने नीति की प्रभावशीलता और भाग लेने वाले देशों के अपने जल अभिशासन प्रयासों में सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में इसकी क्षमता का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया।

3.5.2 जल जीवन मिशन के संभावित प्रभाव पर अध्ययन

डीडीडब्ल्यूएस द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), शिकागो विश्वविद्यालय की डेवलपमेंट इनोवेशन लैब और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ ही, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर सहित प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों का संकलन किया गया है। संकलन निम्नलिखित बिंदुओं को इंगित करता है:–

क. भारत में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच बढ़ाने के माध्यम से बाल मृत्यु दर में संभावित कमी। शिकागो विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार, सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने की जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है, जिससे सालाना लगभग 1,36,000 बच्चों की मौतों को टाला जा सकता है।

ख. भारत सरकार के जल जीवन मिशन के बाद सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि से स्वास्थ्य लाभ का अनुमान लगाना। हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी परिवारों में नल जल उपलब्ध कराने से निम्नलिखित संभावित लाभ हैं:

(i) **स्वास्थ्य लाभ:** यह डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को टाल सकता है। यह 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्षों (डीएएलवाई) की बचत के बराबर है।

(ii) **संबद्ध आर्थिक बचत:** इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक बचत हो सकती है, जिसकी अनुमानित सीमा +34 बिलियन से +101 बिलियन तक हो सकती है।

(iii) **समय की बचत:** डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि यदि जेजेएम के लक्ष्य हासिल किए जाते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण लाभ हासिल होंगे।

ग. जल जीवन मिशन की रोजगार सृजन संबंधी संभावना का मूल्यांकन। आईआईएम और आईएलओ द्वारा 'जल जीवन मिशन की रोजगार संभावना का मूल्यांकन' के संबंध में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि जेजेएम के कार्यान्वयन में पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचनात्मक सृजन के माध्यम से 59.93 लाख व्यक्ति–वर्ष प्रत्यक्ष और 2.22 करोड़ व्यक्ति–वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की संभावना है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि संचालन एवं रखरखाव चरण के दौरान वार्षिक रूप से 11.18 लाख व्यक्ति–वर्ष अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है।

3.5.3 प्रत्येक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं आश्रमशाला में पाइपगत जलापूर्ति प्रदान करने हेतु अभियान

विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, आश्रमशालाओं आदि जैसे संस्थानों में नल जल कनेक्शनों का प्रावधान जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और उनके कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और अपना अधिकांश समय स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं (आवासीय आदिवासी छात्रावास) में बिताते हैं। इस प्रकार, उनके सुरक्षित आवासों में पाइप से पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जो कि कोविड–19 महामारी के दौरान और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, इन

केंद्रों में पीने और मध्याह्न भोजन पकाने के लिए पाइप से जलापूर्ति और हाथ धोने तथा शौचालयों में उपयोग के लिए नल जल उपलब्ध कराने हेतु गांधी जयन्ती अर्थात् दिनांक 02 अक्तूबर, 2020 को एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में मुख्य रूप से जल, स्वच्छता, साफ–सफाई (वॉश) संबंधी मुद्दों को उजागर किया गया है और बच्चों के स्वास्थ्य और उनके दीर्घकालिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया गया है।

इसमें लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों/एजेंसियों/ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी, स्थानीय समुदायों, सेक्टर भागीदारों, गैर–सरकारी संगठनों, स्वयं–सहायता समूहों आदि को शामिल करते हुए एक समयबद्ध अभियान के रूप में इनके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि यह सही अर्थ में 'जन आंदोलन' बन सके।

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ माइकल क्रेमर और उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि यदि परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए तो शिशु मृत्यु दरों को लगभग 30% कम किया जा सकता है। डायरिया खासकर नवजात शिशुओं में एक बहुत ही आम बीमारी है। नवजात शिशु जल जनित रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रत्येक 4 मौतों में से 1 (प्रति वर्ष पांच वर्ष से कम आयु की 1.36 लाख मौतें) को सुरक्षित पानी की सुविधा प्रदान करके टाला जा सकता है।

दिनांक 17.01.2025 तक, 9.32 लाख (89%) स्कूलों और 9.70 लाख (85%) आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइपगत जल आपूर्ति उपलब्ध है।

3.5.4 राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आरजेजेके)

कई व्यक्तियों/संस्थाओं/कॉर्पोरेट्स/विदेशी दानदाताओं/परोपकारी व्यक्तियों आदि में समाज को वापस देने की इच्छा होती है। इसे स्वीकार करते हुए और प्रत्येक ग्रामीण परिवार और ग्राम संस्था को नल जल आपूर्ति के लिए 'जन आंदोलन' में शामिल होने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, डीडीडब्ल्यूएस के तहत 'राष्ट्रीय जल जीवन कोष' (आरजेजेके) की स्थापना की गई है ताकि इस तरह के योगदान को सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि उनकी पसंद के गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का सृजन किया जा सके। इस कोष के उद्देश्य निम्न हैं:

- व्यक्तियों/संगठनों को उनकी पसंद के गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने हेतु दान/योगदान करने में सक्षम बनाना;
- ग्रामीण घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आदिवासी आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य–सह–देखभाल केंद्रों आदि में नल जल उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम के तहत चल रहे प्रयासों में शामिल करना;
- ग्रामीण परिवारों में नल जल सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना;
- जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय ग्राम समुदाय का क्षमता निर्माण; और

  ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के लिए जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना, पेयजल स्रोतों के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण, ग्रेवाटर शोधन और पुनःउपयोग आदि।

आरजेजेके ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक, गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष और डीडीडब्ल्यूएस के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 13 सितंबर, 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें आरजेजेके द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। इसके बाद दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 को मिशन निदेशक, एनजेजेएम की अध्यक्षता में आरजेजेके ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की पहली बैठक हुई।

3.5.5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का कवरेज

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

दूरदराज के क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से ध्यान देने के साथ, यह मिशन बिना किसी

भेदभाव के हर ग्रामीण परिवार में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। 'कोई भी वंचित न रहे' सिद्धांत के अनुसरण में उन सभी लोगों को उनके घरों में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है जो अब तक इस सेवा को प्राप्त नहीं कर पाए। सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा कम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) वाले जिलों की पहचान आकांक्षी जिलों के रूप में की गई है।

दिनांक 15 अगस्त, 2019 को, जब जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, 112 आकांक्षी जिलों में केवल 21.38 लाख (7.77%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध थी। दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक, आकांक्षी ज़िलों में 2.15 करोड़ (78%) से अधिक परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलबध है, अर्थात् ग्यारह गुना वृद्धि हुई है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

नीति आयोग की अन्य पहल, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) दिनांक 7 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था। एबीपी भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अभिशासन में सुधार पर केंद्रित है। भारत के 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 329 जिलों के 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत अवसंरचना एवं समग्र सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत मुख्य सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की निगरानी पर ज़ोर देता है।

दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक, 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 1.05 करोड़ (74.14%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान की गई है।

गौरवमयी गांव कार्यक्रम

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना गौरवमयी गांव कार्यक्रम (वीवीपी) की घोषणा की गई थी। सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा पाक्षिक आधार पर चिह्नित गांवों में प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल गौरवमयी गांव कार्यक्रम (डिजिटल वीपीपी) विकसित किया गया है। इन गांवों में जल जीवन मिशन की प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल वीवीपी को जेजेएम आईएमआईएस के साथ एकीकृत किया गया है।

जेजेएम–आईएमआईएस पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 05 राज्यों में 35,486 ग्रामीण परिवारों में से, अब तक 34,997 (98.62%) परिवारों को नल जल उपलब्ध कराया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गांवों/ग्राम पंचायतों का समग्र विकास करके आदर्श ग्राम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एसएजीवाई गांवों को अन्य योजनाओं के साथ जेजेएम के तहत नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन्हें सही अर्थों में 'आदर्श ग्राम' बनाया जा सके।

जेजेएम आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक, एसएजीवाई गांवों में 30.56 लाख परिवार हैं, जिनमें से 23.60 लाख (77.24%) परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एसएजीवाई गांवों में काम को प्राथमिकता दें।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम–जनमन)

इस मिशन का लक्ष्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/हस्तक्षेपों से वंचित रह गए 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इस उद्देश्य की ओर, पीएम–जनमन पेयजल सहित 11

महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस कार्यक्रम के तहत, 20 से कम परिवारों वाले सभी पीवीटीजी बसावटों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति का प्रावधान किया जाना है।

जल जीवन मिशन के तहत, पीवीटीजी 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं।

इस संबंध में 75 पीवीटीजी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए सचिव, डीडीडब्ल्यूएस और सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की सह–अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2023 को एक विचार–मंथन सत्र आयोजित किया गया था। पीएम–जनमन के तहत पीवीटीजी बसावटों के लिए जल आपूर्ति के संबंध में अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, एनजेजेएम द्वारा कार्रवाई योग्य बिंदुओं का समय–सीमा के साथ उल्लेख करते हुए एक व्यापक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

जिन 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीवीटीजी परिवार हैं, उनमें से 3 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी को कवर कर लिया है। शेष 16 राज्यों में कार्य प्रगति पर हैं। 6 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 35,941 पीवीटीजी परिवारों वाली सभी 1,803 शेष बसावटों में छूटे हुए पीवीटीजी परिवारों के लिए कार्य हेतु 191.65 करोड़ रुपये की लागत को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए–जेजीयूए)

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" का उद्देश्य जनजातीय समुदायों और गांवों का समग्र विकास करना है, जो 50 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले आकांक्षी ब्लॉकों और कम से कम 500 लोगों और 50% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों पर केंद्रित है – जिसके अंतर्गत लगभग 63,643 गांव शामिल हैं।

जेजेएम एफएचटीसी द्वारा सभी गांवों की कार्यपरिपूर्णता कवरेज सुनिश्चित करने और जेजेएम के मानदंडों के अनुसार 20 से कम परिवारों वाले बसावटों के लिए सामुदायिक नल का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप करके धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) का समर्थन करता है, जो कैबिनेट द्वारा योजना को जारी रखने के अधीन है। कैबिनेट द्वारा योजना को जारी रखने के अधीन, 20 से कम परिवारों वाले 5000 गांवों/बसावटों को सामुदायिक जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 2024–25 से वर्ष 2028–29 की अवधि के लिए डीए–जेजीयूए के तहत 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जेजेएम–आईएमआईएस में राज्यों द्वारा टैग किए गए 63,037 डीए–जेजीयूए गांवों में से, 24,555 गांव 100% नल जल कनेक्शन के साथ कार्यपरिपूर्ण हैं, जिनमें से 12,734 गांव संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा हर घर जल प्रमाणित हैं।

3.5.6 जेजेएम को 'जन आंदोलन' बनाने में सांसदों की भूमिका

इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, संसद सदस्य/निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय को संगठित करने और ग्रामीण घरों में पाइपगत आश्वासित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने में भूमिका निभा सकते हैं, उनकी भागीदारी के लिए जल जीवन मिशन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में प्रावधान किए गए हैं। सांसदों को पहले से ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला स्तरीय जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के सह–अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जिलों के सभी ग्रामीण परिवारों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 100 प्रतिशत कवरेज हेतु जिला कार्य योजना (डीएपी) को अंतिम रूप देते समय उनके इनपुट/सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी जिले को 'हर घर जल' जिला अर्थात् हर ग्रामीण घर में नल जल आपूर्ति वाले जिले के रूप में, घोषित करने से पहले संसद सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले का हिस्सा हैं, से परामर्श किया जाएगा ताकि 'कोई भी वंचित न रहे'। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) की प्रत्येक बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सांसदों को आमंत्रित किया

Role of MPs in making JJM a 'Jan Andolan'

जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 'जीवन की गुणवत्ता' में सुधार लाने और 'जीवनयापन में सुगमता' लाने के लिए केंद्र सरकार के ध्यान के साथ, इस प्रमुख कार्यक्रम में संसद सदस्यों की भागीदारी जल जीवन मिशन को एक 'जन आंदोलन'– लोगों का आंदोलन बना देगी।

3.5.7 डिजिटल परिवर्तन

पीएम–गति शक्ति पोर्टल

जल जीवन मिशन (जेजेएम) भारत सरकार की एक व्यापक पहल है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यह मिशन आवश्यक मात्रा में पानी पहुंचाने, विश्वसनीय गुणवत्ता मानकों का पालन करने और लंबे समय तक लगातार आपूर्ति किए जाने पर केंद्रित है। जेजेएम की कार्यनीति का एक प्रमुख पहलू इसके अवसंरचनात्मक डेटा को पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत करना है, जो अन्य बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं के साथ समन्वय बढ़ाने और देश भर में पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को अनुकूलित करने के लिए उठाया गया एक कदम है।

आज तक, पोर्टल पर उल्लेखनीय 6.4 लाख किलोमीटर पाइपलाइन डेटा अपलोड किया जा चुका है। इसमें थोक जल आपूर्ति और बहु ग्राम योजनाओं संबंधी 4.38 लाख किलोमीटर और एकल ग्राम योजनाओं संबंधी 2.02 लाख किलोमीटर डेटा शामिल हैं। इसके अलावा, सेवा जलाशय, जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और क्लोरीनेशन प्रणाली जैसे सभी जियोटैग किए गए बिंदु घटकों को पोर्टल पर सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया गया है।

मध्य प्रदेश सबसे अधिक योजनाओं और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क के साथ सबसे आगे है, जो जल उपलब्धता में सुधार संबंधी इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गुजरात ने एकल ग्राम योजनाओं से संबंधित पाइपलाइनों की विचारणीय लंबाई के बारे में डेटा अपलोड करके महत्वपूर्ण प्रगति की है। असम दूसरे सबसे लंबे पाइपलाइन नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरी सबसे अधिक योजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है।

पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध डेटा, पाइपलाइन की लंबाई और जियोटैग किए गए घटकों सहित जेजेएम के बुनियादी ढांचे का विवरण देता है, जो सूचित निर्णय लेने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नीति निर्माताओं को कार्यनीतिक रूप से संसाधनों का आवंटन करने, क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने और सेवा वितरण की दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इस डेटा तक पहुँच के साथ, नीति निर्माता बुनियादी ढाँचा संबंधी परियोजनाओं की योजना अधिक प्रभावी ढंग से बनाने में सक्षम हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जल जीवन मिशन का लाभ ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुँचे और स्वच्छ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुँच संबंधी राष्ट्र के लक्ष्य में योगदान दे।

पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वॉश डेटा का एकीकरण

ग्रामीण स्वच्छता और जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत सराहनीय पहल शुरू की है। ये कार्यक्रम जल आपूर्ति और स्वच्छता (वॉश) अवसंरचना के विकास के लिए समर्पित हैं, जिसका लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ जल और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं तक विश्वसनीय पहुँच प्रदान करना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाओं की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म– 'ईग्रामस्वराज पोर्टल' और 'मेरी पंचायत' मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इन दो एमओपीआर प्लेटफॉर्म में वॉश सेवाओं को एकीकृत करने का संकल्प लिया है। ये प्लेटफॉर्म एक समर्पित वॉश सेवा टैब की मेजबानी करेंगे, जिसमें दो प्राथमिक सेवा डेटा श्रेणियां होंगीः जल आपूर्ति सेवाएँ और स्वच्छता सेवाएँ। वे परिसंपत्तियों और उनके संचालन एवं रखरखाव की स्थिति के बारे में आधारभूत और परिवर्तनशील दोनों तरह की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगी।

जल आपूर्ति सेवा अनुभाग विस्तृत आधारभूत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें पंचायत और गांव की प्रोफ़ाइल, जनसंख्या आँकड़े, कनेक्शन विवरण, हर घर जल (एचजीजे) की स्थिति, जल आपूर्ति अवसंरचना विवरण, गाँव–वार जल गुणवत्ता की स्थिति और बहुत कुछ शामिल है। इसमें जीपी सदस्यों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों और रखरखाव कर्मचारियों जैसी कार्यशील संस्थाओं की एक व्यापक निर्देशिका भी शामिल है, साथ ही गाँव स्तर पर जल गुणवत्ता संबंधी डेटा भी शामिल है।

स्वच्छता सेवा अनुभाग द्वारा ओडीएफ+ और ओडीएफ++ मॉडल गांवों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों वाले गांवों तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामुदायिक एवं पारिवारिक परिसंपत्तियों की विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

भविष्य की योजनाओं में इन प्लेटफार्मों में परिवर्तनशील जानकारी जोड़ना शामिल है, जो पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता, फोटो अपलोड और जियोटैगिंग के साथ नागरिक शिकायत रिकॉर्ड, इन शिकायतों के जवाब और संचालन संबंधी कर्मचारियों के संपर्क विवरण संबंधति वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।

जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश सुविधाओं में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रगति सभी नागरिकों के लिए दृश्यपरक और सुलभ हो।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पोर्टेबल उपकरण विकसित करने की नवाचार चुनौती

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर एक नवाचार चुनौती शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर पीने के पानी की गुणवत्ता की तुरंत, आसान और सटीक जांच के लिए पोर्टेबल उपकरण विकसित करने में स्टार्टअप और एमएसएमई की रचनात्मकता और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। इस पहल का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की आधारशिला स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान खोजना है।

चुनौती में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को तकनीकी सलाह सत्र, लाइव प्रदर्शन और उत्पाद विकास, सत्यापन तथा अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन सहित व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्धिक संपदा विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत सलाह प्रदान की, प्रयोगशाला सत्यापन, क्षेत्र परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया को नेविगेट करने में सहायता की। व्यावसायिक समर्थन भी प्रदान किया गया, जिसमें व्यवसाय मॉडल डिजाइन, निवेशक संबंध और बाजार तक पहुंच संबंधी कार्यनीतियों पर ध्यान देने वाले व्यावसायिक सलाह सत्र शामिल थे।

चुनौती के सफल समापन ने केआईआईटी–टीबीआई के साथ चयनित स्टार्टअप और एमएसएमई के इनक्यूबेशन को देखा, जिसका समापन प्रमाणित, राज्य प्रयोगशाला द्वारा मान्य और क्षेत्र–परीक्षण डिजिटल और पोर्टेबल जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों को वितरित करने वाली तीन संस्थाओं में हुआ। इन अन्वेषकों को डिजिटल जल गुणवत्ता परीक्षकों/विश्लेषकों (जल जीवन मिशन) के लिए एक नई बनाई गई श्रेणी के तहत सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने में भी सहायता प्रदान की गई।

नतीजतन, चार स्टार्टअप और एमएसएमई– एलिको, क्लुइक्स, अर्थफेस एनालिटिक्स और ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस

ने अपने उत्पादों को जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध कराया है, जिससे उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ रही है और हर घर में स्वच्छ जल प्रदान करने के मिशन के लक्ष्य में योगदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, स्टार्टअप इंडिया और विभिन्न सहायक संगठनों के बीच यह सहयोगात्मक प्रयास नवाचार को चलाने और जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सरकारी–निजी भागीदारी की सहक्रियात्मक क्षमता का उदाहरण है।

नल जल सेवा पोर्टल का विकास – प्रायोगिक आधार पर जीपी/वीडब्ल्यूएससी के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्मलखनऊ में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन (16–17 फरवरी, 24) में पेश किया गया नल जल सेवा पोर्टल, ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को जल शुल्क के संग्रह को सुव्यवस्थित करने, सटीक उपभोक्ता रिकॉर्ड बनाए रखने और जल योजनाओं के दैनिक संचालन और रखरखाव की देखरेख करने के लिए उन्नत उपकरणों से लैस करता है। पोर्टल का उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस ग्राम–स्तरीय उपयोग के लिए तैयार किया गया है, जो राज्य–स्तरीय प्रशासकों के लिए व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिससे न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ उपयोग में आसानी सुनिश्चित होती है।

एक ओपन–सोर्स, माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर पर निर्मित, पोर्टल को लचीलेपन और मापनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उच्च लेनदेन की मात्रा के कुशल संचालन की अनुमति मिलती है। इसमें कनेक्शन, स्टाफ, बिलिंग और खर्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मॉड्यूल हैं, जो बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय डेटा एक्सेस की सुविधा प्रदान करते हैं। असम और लद्दाख में चल रहे अपने प्रायोगिक चरण के साथ, नल जल सेवा पोर्टल जल आपूर्ति के अभिशासन में आधारशिला होने का वादा करता है, जो ग्रामीण भारत में स्थायी जल संसाधन प्रबंधन की नींव रखता है।

3.6 जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहल

3.6.1 जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस)

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। विभाग जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विभाग और पीएचईडी अधिकारियों द्वारा जल गुणवत्ता 'निगरानी' और समुदायों द्वारा 'पर्यवेक्षण' जेजेएम की कार्य योजना का एक अभिन्न अंग है। यह सुझाव दिया जाता है कि उप–मंडल/ब्लॉक प्रयोगशाला अपने अधिकार–क्षेत्र के तहत 100% जल स्रोतों का परीक्षण करती है, एक वर्ष में एक बार रासायनिक मापदंडों के लिए और दो बार बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों (मानसून पूर्व और मानसून के बाद) के लिए जिनमें कम से कम 16 बुनियादी जल गुणवत्ता पैरामीटर के लिए संबंधित ब्लॉक के सभी स्रोतों को कवर किया गया हो।

जल गुणवत्ता को दी गई प्राथमिकता को देखते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ कई चर्चाओं के बाद तैयार किए गए जल गुणवत्ता की निगरानी और पर्यवेक्षण ढांचे का उद्देश्य जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों को कारगर ढंग से सुगम बनाना है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2021 को रूपरेखा जारी की।

दिसंबर, 2023 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के संदर्भ में, आपूर्ति किए जा रहे पानी में विश्वास पैदा करने के लिए रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए स्रोत और वितरण बिंदुओं दोनों का परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में, श्री विकास शील (पूर्व अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन

मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें श्री प्रदीप सिंह, निदेशक (जल गुणवत्ता), डीडीडब्ल्यूएस, और डीडीडब्ल्यूएस के अन्य अधिकारी, राज्य के अधिकारी और संगठनों के हितधारक जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु एक रोडमैप विकसित करने तथा साथ ही ग्रामीण परिवारों सहित हितधारकों के लिए परिणामों के प्रसार का प्रबंधन करने के लिए शामिल थे।

व्यापक आंतरिक विचार–मंथन के बाद और राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ, और कुछ अनुकूलन के साथ सीपीएचईईओ मैनुअल के नवीनतम संस्करण के अनुरूप संशोधनों को शामिल करके, "ग्रामीण परिवारों को पाइप वाली पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी" के लिए एक संक्षिप्त पुस्तिका तैयार की गई है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे जनता को इन प्रयोगशालाओं में अपने पानी के नमूनों की जांच मामूली दरों पर कराने में सक्षम बनाएं। इसके अलावा, बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों और विभिन्न दूषित पदार्थों के प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक अभियान की भी योजना बनाई जा रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, राज्यों को वार्षिक आवंटन का 2% तक जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

तालिका 2: बुनियादी जल गुणवत्ता परीक्षण मानदंड (पैरामीटर)

क्र.सं.	विशेष गुण	इकाई	आवश्यकता (स्वीकार्य सीमा)	वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा
1.	पीएच मान	–	6.5 – 8.5	कोई छूट नहीं
2.	कुल घुलित ठोस	मिलीग्राम/लीटर	500	2000
3.	मैलापन	एनटीयू	1	5
4.	क्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	250	1000
5.	कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कुल क्षारीयता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
6.	कुल कठोरता	मिलीग्राम/लीटर	200	600
7.	सल्फेट	मिलीग्राम/लीटर	200	400
8.	लौह	मिलीग्राम/लीटर	1.0	कोई छूट नहीं
9.	कुल आर्सेनिक	मिलीग्राम/लीटर	0.01	कोई छूट नहीं
10.	फ्लोराइड	मिलीग्राम/लीटर	1.0	1.5
11.	नाइट्रेट	मिलीग्राम/लीटर	45	कोई छूट नहीं
12.	कुल कॉलिफार्म बैक्टीरिया	किसी भी 100 मिलीलीटर के नमूने में पता लगाने योग्य नहीं होगा।		
13.	ई. कॉलिफार्म या थर्मो–टॉलरेंट कॉलिफार्म बैक्टीरिया	किसी भी 100 मिलीलीटर के नमूने में पता लगाने योग्य नहीं होगा।		
14.	मुक्त अवशेष क्लोरीन	मिलीग्राम/लीटर	0.2	1
15.	रंग	हेजन यूनिट	5	15
16.	गंध	–	सहमत	सहमत

तालिका 3: पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए मानदंड–वार सुझाई गई दरें

S. No.	Parameters	Individual Rates Recommended (Rs.)	Package Rates Recommended (Rs.)
1.	Odour	1	50
2.	Color	1	
3.	pH	1	
4.	Total dissolved solids	1	
5.	Turbidity	5	
6.	Total alkalinity	20	
7.	Total hardness	20	
8.	Residual chlorine	1	
9.	Chloride	50	50
10.	Sulphate	50	50
11.	Iron	50	50
12.	Total arsenic	100	100
13.	Fluoride	50	50
14.	Nitrate	50	50
15.	Total coliform bacteria	100	100
16.	E.coli or thermo tolerant coliform bacteria	100	100

3.6.2 प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता

राष्ट्रीय मिशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, उन्नयन, कामकाज में सुधार और सुदृढ़ीकरण में सहायता और सुविधा प्रदान कर रहा है। जेजेएम बुनियादी जल गुणवत्ता महत्व के मानकों के लिए कम से कम आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और स्थानीय स्थिति के अनुसार धीरे–धीरे अन्य मानकों में उन्नयन करने पर जोर देता है। जेजेएम की घोषणा के समय, देश भर में 50 से कम प्रयोगशालाओं को एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त थी। दिनांक 16 जनवरी, 2025 तक 1,572 प्रयोगशालाएं एनएबीएल से प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त हैं।

क्र.सं.	प्रयोगशाला स्तर	प्रयोगशालाओं की संख्या		एनएबीएल प्रत्यायन/मान्यता	
		31.03.2024 तक	16.01.2025 तक	31.03.2024 तक	16.01.2025 तक
1	राज्य	41	40	27	28
2	क्षेत्रीय	21	23	21	22
3	जिला	653	678	532	574
4	ब्लॉक	154	206	133	134
5	उप–मंडल	1,187	1146	800	814
6	मोबाइल	69	69	-	-
	कुल	**2,124**	**2,162**	**1,513**	**1,572**

3.6.3 जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस)

एनजेजेएम ने जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सभी जल गुणवत्ता परीक्षण डेटा जेजेएम–डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर उपलब्ध हों।

इस जेजेएम–डब्ल्यूक्यूएमआईएस की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i.) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी प्रयोगशालाओं को पोर्टल में पंजीकृत और मानचित्रित किया जाएगा।

ii.) प्रत्येक गांव में फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) प्रयोक्ताओं को उस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले ब्लॉक/उप–मंडल प्रयोगशाला द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा। एफटीके परीक्षण में प्रशिक्षित व्यक्तियों को जेजेएम–डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर एफटीके परीक्षण परिणाम अपलोड करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

iii.) पानी के नमूने और परीक्षण के परिणामों का विवरण अपलोड करना।

iv.) संबंधित प्रयोगशाला द्वारा एकत्र की गई सूची, मानव संसाधन और शुल्क को अपलोड करना।

डब्ल्यूक्यूएमआईएस के पास विभिन्न पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर काफी मात्रा में डेटा है। इन डेटा सेटों को मानकीकृत किया जा सकता है, जो एकत्रित पेयजल गुणवत्ता डेटा के समेकन को सक्षम करेगा। एफटीके परीक्षण डेटा, स्मार्ट जल आपूर्ति प्रणाली (यदि उपलब्ध हो) से जल गुणवत्ता सेंसर डेटा, और विभिन्न प्रयोगशालाओं से एकत्र किए गए जल नमूना परीक्षण के परिणामों को जल स्रोतों की जल गुणवत्ता की व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए समेकित किया जा सकता है।

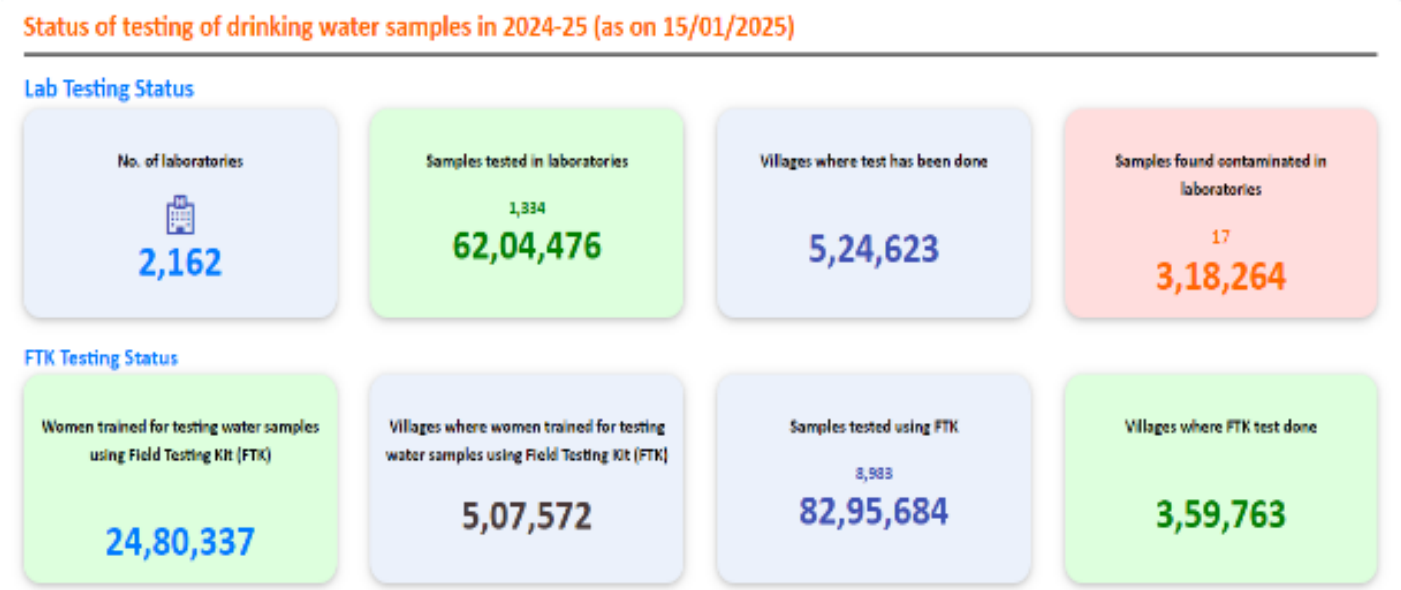

चित्र 3.4 पेयजल के नमूनों की स्थिति – जेजेएम–डब्ल्यूक्यूएमआईएस का स्नैपशॉट

3.7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जुड़ाव

100% एफएचटीसी हासिल करने के लिए साझेदारी और भागीदारी के दृष्टिकोण की भावना के अनुरूप, राष्ट्रीय मिशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संवेदीकरण कार्यशालाओं, साझा डेस्क विश्लेषण, और कई गहन समीक्षा बैठकों, सुदृढ़ वार्षिक कार्य योजनाओं के निर्माण में सहायता करने, एएपी के लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी तत्परता को सक्षम करने, अनुवर्ती कार्रवाई, राज्य क्षेत्र का दौरा आदि के माध्यम से जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान कर रहा है।

3.7.1 राज्य स्तरीय कार्यशालाएं

जेजेएम के विभिन्न घटकों और पहलों पर प्रैक्टिसनर्श को जागरूक करने के लिए, एनजेजेएम की टीमों में अधिकारियों

और पीएमयू सलाहकारों ने राज्यों के दौरे किए और प्रमुख पहलुओं, जैसे जेजेएम विजन, कार्यनीति, पीएफएमएस, आयोजना, डिजिटल अभिशासन, डब्ल्यूक्यूएमआईएस आदि के बारे में इंजीनियरों, आईएसए, रसायनज्ञ, आदि को जानकारी दी।

3.7.2 समीक्षा बैठकें

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस–के जरिए और साथ ही राज्य–स्तर पर ऑफ़लाइन बैठकों के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा समीक्षा बैठकें

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री सी.आर. पाटिल ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 20 जून को डीडीडब्ल्यूएस की समीक्षा और जायजा लेने वाली बैठक की।

उन्होंने जल जीवन मिशन पर राज्य के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों आदि के साथ निम्नलिखित कई बैठकें भी कीं। अपनी चर्चाओं में उन्होंने सभी बसावटों में जल आपूर्ति, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने सभी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई भी वंचित न रहे।

दिनांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिनके साथ बैठक की
9 जुलाई, 2024	छत्तीसगढ़	श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य पीएचईडी अधिकारी
9 जुलाई, 2024	लद्दाख	श्री बीडी मिश्रा, उप राज्यपाल
15 जुलाई, 2024	उत्तर प्रदेश	श्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री
15 जुलाई, 2024	राजस्थान	श्री कन्हैया लाल चौधरी, पीएचईडी मंत्री
16 जुलाई, 2024	मेघालय	श्री कॉनराड संगमा, मुख्यमंत्री
29 अगस्त, 2024	मध्य प्रदेश	श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस), डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समीक्षा बैठकें

श्री वीरा सोमन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस), डीडीडब्ल्यूएस, जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और जल जीवन मिशन की स्थिति और प्रगति को देखने के लिए कई समीक्षा बैठकें की हैं। कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	नई दिल्ली में जम्मू–कश्मीर के साथ राज्य समीक्षा बैठक	11 जुलाई, 2024
2	नई दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ राज्य समीक्षा बैठक	11 जुलाई, 2024
3	नई दिल्ली में राजस्थान के साथ राज्य समीक्षा बैठक	15 जुलाई, 2024
4	नई दिल्ली में कर्नाटक की समीक्षा बैठक	15 जुलाई, 2024
5	जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के उदीयमान जिला कोरबा का दौरा	20 नवंबर, 2024

चित्र 3.5: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बैगापल्ली गांव का दौरा करते समय जेजेएम लाभार्थियों के साथ।

3.7.3 सम्मेलन/कार्यशालाएं

3.7.3.1 भारत जल सप्ताह 2024 और अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन

डीडीडब्ल्यूएस ने नई दिल्ली में 17–19 सितंबर, 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय वॉश (जल, स्वच्छता और साफ–सफाई) सम्मेलन का आयोजन किया। तीन दिवसीय सभा, 'ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना' विषय पर केंद्रित थी, और ज्ञान के आदान–प्रदान, नवाचारों को प्रदर्शित करने और सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक वॉश चुनौतियों को संबोधित करने के उद्देश्य से सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

आईडब्ल्यूडब्ल्यू के एक भाग के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें 40 से अधिक सत्र (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन), 143 ऑफ़लाइन पेपर प्रस्तुतियाँ, 43 ऑनलाइन पेपर प्रस्तुतियाँ और 5 पैनल चर्चाएँ शामिल थीं, जिनमें अन्य विषयों के साथ–साथ जल गुणवत्ता, ग्रेवाटर प्रबंधन, सामुदायिक जुड़ाव, सूचना, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी/बीसीसी) पहल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षित जल संवाद और डिजिटल जल अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण सत्र थे।

3.7.3.2 भारत पर्व–2024, नई दिल्ली में प्रदर्शनी

गणतंत्र दिवस समारोह, 2024 के हिस्से के रूप में, डीडीडब्ल्यूएस ने 26 से 31 जनवरी, 2024 तक दिल्ली के लाल किले के सामने उद्यान और ज्ञान पथ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित छह दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व में भाग लिया।

डीडीडब्ल्यूएस पगोडा ने एसबीएम की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और जेजेएम का उद्घाटन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया, ताकि वॉश क्षेत्र में उनके प्रयासों को सम्मानित और सराहा जा सके। इस प्रदर्शनी में जेजेएम ने अपनी बहुत सी उपलब्धियों, जल गुणवत्ता पहल, समुदायों को जोड़ने के लिए सेल्फी बूथ और अन्य पहलों को प्रदर्शित किया है। स्टॉल को आगंतुकों ने अच्छी तरह से सराहा और कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्टाल का दौरा किया।

3.7.3.3 सुरक्षित जल और कीटाणुशोधन/क्लोरीनीकरण पहल पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

2 फरवरी, 2024 को एसपीएम निवास, कोलकाता में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, साक्ष्य कार्रवाई और विकास नवाचार प्रयोगशाला (डीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षित जल और कीटाणुशोधन/क्लोरीनीकरण पहल पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी का आयोजन सुरक्षित जल पहलों और कार्यनीतियों को लागू करने में अपने अनुभव पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इनपुट लेने और सबसे प्रभावी और आसानी से संचालित समाधान और मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।

संगोष्ठी के दौरान सत्रः

- साक्ष्य कार्रवाई ने तीन राज्यों अर्थात् राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इनलाइन क्लोरीनीकरण (आईएलसी) पायलट से प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
- आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य प्रतिनिधियों ने आईएलसी और टैबलेट आधारित डोजर को लागू करने पर सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा किया।

- असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के राज्य प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुरक्षित जल पहलों पर प्रस्तुति दी।
- पेयजल गुणवत्ता परीक्षण पर मानक संचालन प्रक्रिया जल गुणवत्ता निदेशक–एनजेजेएम द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- डीआईएल, सीएसआईआर–एनईईआरआई, आईएनआरईएम फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों, व्यावहारिक चुनौतियों और जल उपचार प्रौद्योगिकियों की मापनीयता पर पैनल चर्चा में भाग लिया और अत्याधुनिक जल कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से क्लोरीनीकरण के बारे में बात की।

संगोष्ठी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 90 वरिष्ठ अधिकारियों और निजी क्षेत्र के लगभग 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें डिवाइस निर्माता, ओ एंड एम ठेकेदार, टाटा ट्रस्ट, आईएनआरईएम फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी और सीएसआईआर–एनईईआरआई जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान शामिल थे।

3.7.3.4 राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (जी) सम्मेलन

एसबीएम–जी और जेजेएम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 16–17, फरवरी 2024 के दौरान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हितधारकों की एक विविध सरणी को एक साथ लाया और माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति, उत्तर प्रदेश, माननीय एमपी, गोरखपुर के साथ–साथ सचिव

– कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, और सचिव – डीडीडब्ल्यूएस सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की विशिष्ट उपस्थिति से चिह्नित किया गया। इस कार्यक्रम में संचालन और रखरखाव, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। सम्मेलन ने देशभर में लागू सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रदर्शन करते हुए, पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों पर विस्तृत प्रस्तुतियों के माध्यम से क्रॉस–लर्निंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया।

सम्मेलन में पांच पुस्तकों का विमोचन हुआ –

1. जल जीवन मिशन व्यवहार संबंधी सर्वोत्तम व्यवहारों का संग्रह
2. व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति
3. स्वच्छता इतिहासः भारत से परिवर्तनकारी किस्से–खंड 2
4. 'स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर)' प्रणाली
5. तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) प्रौद्योगिकियों का संग्रह

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के गतिशील डैशबोर्ड पर 'सिटीजन कॉर्नर' भी लॉन्च किया। 'सिटिजन कॉर्नर' एक आसान इंटरफ़ेसयुक्त समाधान है जिसमें एक बटन के क्लिक पर गाँव की जल गुणवत्ता और अन्य सभी जल आपूर्ति की जानकारी वास्तविक समय के विवरण के साथ आ जाती है और जल गुणवत्ता तथा आपूर्ति का प्रबंधन करने की क्षमता सीधे नागरिकों के हाथों मे आ जाती है।

सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ –

https://ejalshakti.gov.in/jjm/citizencorner/villageinformation.aspx

3.7.3.5 जेजेएम के तहत आईईसी पर 2–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला (21–22 मई, 2024 कोलकाता में)

मई 2024 में, जेजेएम के तहत आईईसी पर एक व्यापक 2–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला द्वारा राज्य के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाया ताकि पानी से संबंधित पहलों में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों, नवीन विचारों और मापनीय समाधानों के आदान–प्रदान को सक्षम किया जा सके।

मुख्य आकर्षणों में निम्न शामिल हैं:

- पोस्टर प्रदर्शनियों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से आईईसी की सफलता की कहानियों का प्रदर्शन।
- जल उत्सव अभियान को समृद्ध करते हुए, पूरे भारत में सांस्कृतिक विविधता और जल परंपराओं पर केंद्रित इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए।
- प्रभावी आईईसी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों और कार्यनीतियों पर सामूहिक चर्चा जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियां।

इस कार्यक्रम का समापन आईईसी नवाचारों और व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यनीतियों को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप में हुआ।

3.7.3.6 आईआईएम बैंगलोर में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) पर राष्ट्रीय स्तर की परामर्शदात्री कार्यशाला

यूनिसेफ के सहयोग से 24 अगस्त, 2024 को आईआईएम बैंगलोर में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) पर राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिरता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ओ एंड एम के लिए मजबूत कार्यनीति विकसित करना था, जिसमें जल गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में लगातार चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और अभिनव वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

इसकी सफलता के बावजूद, मिशन को ओ एंड एम और जल गुणवत्ता में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो सामुदायिक भागीदारी और अभिनव वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। राज्यों ने अपने अनुभवों और कार्यनीतियों को साझा किया, देशभर में ओ एंड एम के लिए एक विविध दृष्टिकोण का खुलासा किया। प्रौद्योगिकी ने जल गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुछ राज्यों ने आईओटी और एससीएडीए

सिस्टम को अपनाया, जबकि अन्य ने परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल परिवर्तन और जीआईएस पर ध्यान केंद्रित किया। ओ एंड एम लागत और पानी के टैरिफ के बीच वित्तीय अंतराल एक आम चुनौती थी, राज्यों ने संशोधित टैरिफ, दक्षता में सुधार और लागत को कवर करने के लिए टैरिफ सिस्टम की शुरूआत की खोज की। भूजल से स्थायी सतही जल स्रोतों में स्थानांतरण करने के महत्व पर भी चर्चा की गई, साथ ही विभिन्न प्रकार की जल आपूर्ति योजनाओं के अनुरूप मजबूत ओ एंड एम नीतियों की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

कार्यशाला में समुदाय–प्रबंधित ओ एंड एम की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जिसमें ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों जैसी स्थानीय संस्थाएं दिन–प्रतिदिन के संचालन में महत्वपूर्ण थीं। स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर जोर देते हुए, प्रमुख मरम्मत के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, जल शुल्क और कॉर्पस फंड के माध्यम से ओ एंड एम के वित्तपोषण पर चर्चा की गई। सत्र ने प्रमुख मरम्मत, जल गुणवत्ता परीक्षण और वित्तीय नियोजन के लिए राज्य स्तरीय समर्थन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। एक प्रस्तावित जल आपूर्ति निगरानी ऐप का उद्देश्य जल आपूर्ति और सेवा व्यवधानों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देकर जेजेएम की प्रभावशीलता को बढ़ाना है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा। कार्यशाला का समापन संचालन और रखरखाव को सुदृढ़ करने, सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ाने और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर आम सहमति के साथ हुआ।

कार्यशाला के दौरान, राज्यों ने अपनी विभिन्न ओ एंड एम कार्यनीतियों और अनुभवों को प्रस्तुत किया:

- तमिलनाडु: जल गुणवत्ता निगरानी के लिए आईओटी और एससीएडीए जैसी प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) और संयुक्त जल आपूर्ति योजनाओं (सीडब्ल्यूएसएस) का कार्यान्वयन। चुनौतियों में उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह और लागत और एकत्रित टैरिफ के बीच का अंतर शामिल है।
- केरल: ओ एंड एम के लिए ब्लू ब्रिगेड प्रणाली और कुडुंबश्री महिलाओं का उपयोग करके केरल जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) द्वारा प्रबंधित। परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल परिवर्तन और जीआईएस पर ध्यान देने के साथ संशोधित टैरिफ और बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से वित्तीय अंतराल को दूर करने की योजना बनाई है।
- कर्नाटक: ओ एंड एम लागतों को कवर करने के लिए वार्षिक वृद्धि के साथ एक वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ प्रणाली की शुरुआत, क्षमता निर्माण, परिसंपत्ति प्रबंधन और सेवा वितरण निगरानी के लिए आईओटी पर जोर देना।
- महाराष्ट्र: भूजल संसाधनों और स्थिरता संबंधी चुनौतियों पर निर्भरता। एक ओ एंड एम नीति का मसौदा तैयार करना, जल प्रबंधन के लिए जल सुरक्षा स्थापित करना और कौशल विकास और जल गुणवत्ता परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।

  आंध्र प्रदेश: भूजल पर निर्भर स्रोतों से स्थायी सतही जल–आधारित योजनाओं, विशेष रूप से एमवीएस में बदलाव। एलएंडटी और सत्य साईं ट्रस्ट के योगदान से ओ एंड एम दक्षता में सुधार हुआ है।

  मध्य प्रदेश: उच्च ऊर्जा और जनशक्ति लागत को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर विचार करते हुए एमवीएस कवरेज का विस्तार करने के प्रयास और पंचायत स्तर पर समान जल उपयोग और पारदर्शिता पर जोर देना।
- तेलंगाना: नदियों से सतही जल आपूर्ति के लिए मिशन भागीरथ पहल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) को लक्षित करना, निगरानी के लिए भू–मैप की गई संपत्तियों के साथ।
- राजस्थान: वीडब्ल्यूएससी और बाहरी एजेंसियों के बीच साझा जिम्मेदारियों के साथ एसवीएस और एमवीएस के लिए विभिन्न ओ एंड एम कार्यनीतियां। चुनौतियों में ट्यूबवेल के लिए बिजली की लागत और ओ एंड एम के प्रबंधन के लिए नल जल मित्रों की आवश्यकता शामिल है।
- गुजरात: सामुदायिक स्वामित्व और ओ एंड एम के लिए वित्तपोषण में चुनौतियां, पंचायतें उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने और धन का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

3.7.3.7 जिला परिषद की महिला सदस्यों के साथ बैठक

श्री प्रदीप सिंह, निदेशक–एनजेजेएम, ने 29 अगस्त, 2024 को जिला परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–धुले, महाराष्ट्र की 21 महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने सदस्यों को जेजेएम डैशबोर्ड, सिटीजन कॉर्नर आदि के बारे में बताया।

3.7.3.8 नीति आयोग द्वारा हिमालय के ऊंचे इलाकों में सभी मौसमों में नल जल की आपूर्ति में भागीदारी कार्यशाला – 22–23 अक्टूबर 2024

एनजेजेएम के निदेशक श्री प्रदीप सिंह ने "भारत की जल आपूर्तिः प्रणाली, चुनौतियां और नवाचार" विषय पर पहले सत्र के दौरान, हिमालयी राज्यों पर ध्यान देने के साथ भारत में ग्रामीण जल आपूर्ति के राष्ट्रीय अवलोकन पर अपनी प्रस्तुति दी।

3.7.3.9 वॉश के लिए राष्ट्रीय विज़निंग कार्यशाला

डीडीडब्ल्यूएस ने 28 अक्टूबर को एक विज़निंग वर्कशॉप की मेजबानी की, जिसमें विशेषज्ञों और नेताओं को उपलब्धियों का आकलन करने और जल, स्वच्छता और साफ–सफाई (वॉश) में स्थायी सामुदायिक जुड़ाव के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए एक साथ लाया गया। कार्यशाला में प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव पर गहन जोर देने के साथ भविष्य के लिए कार्यनीतियों को परिष्कृत करते हुए प्रगति का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसमें डीडीडब्ल्यूएस के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3.7.3.10 ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर कार्यशाला

गुवाहाटी, असम में **12–13 नवंबर, 2024** को आयोजित कार्यशाला में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण झरने के जल स्रोतों के सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीडीडब्ल्यूएस द्वारा आयोजित, इस कार्यशाला में डेटा–संचालित संरक्षण के लिए जीआईएस और राष्ट्रीय स्प्रिंग सूचना प्रणाली (एनएसआईएस) जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक प्रथाओं को एकीकृत करने पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य चर्चाओं में शामिल हैं:

- 'जनभागीदारी' (लोगों की भागीदारी) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी।
- स्रोत स्थिरता, निरंतर निगरानी और हितधारक साझेदारी जैसे कार्य बिंदु।

  मेघालय और हिमाचल प्रदेश से सफलता की कहानियां।

कार्यशाला ने पर्यावरणीय चुनौतियों के खिलाफ दीर्घकालिक जल सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

3.7.3.11 एसपीएम–निवास में जल गुणवत्ता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

प्रयोगशालाओं के सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण:

सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण में प्रयोगशाला कर्मियों की दक्षताओं को उन्नत करने के लिए चार दिनों का प्रशिक्षण 24 सितंबर से 27 सितंबर, 2024 तक होने वाला था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रयोगशाला के कार्य परीक्षण में सटीकता और विश्वसनीयता के लिए उच्च मानकों को पूरा करते हैं।

सुरक्षित और टिकाऊ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कीटाणुशोधन तकनीकों पर ऑनलाइन लघु पाठ्यक्रम:

लघु पाठ्यक्रम 30 अक्टूबर, 27 नवंबर, 2024 और 22 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित किया गया था, प्रत्येक सत्र एक दिन तक चलता था। पाठ्यक्रम को कीटाणुशोधन विधियों की एक श्रृंखला पर ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो एक सुरक्षित जल आपूर्ति हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। प्रत्याशित परिणामों में प्रतिभागियों को स्थायी जल उपचार प्रथाओं को लागू करने के लिए कौशल से लैस करना शामिल है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला कर्मियों का प्रशिक्षण (जेजेएम) और सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण सुविधाओं की एनएबीएल मान्यता

प्रयोगशाला कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य जल जीवन मिशन (जेजेएम) ढांचे के भीतर प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन को बढ़ाना और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की मान्यता प्राप्त करना है, दो अलग–अलग चार दिवसीय सत्रों में निर्धारित है। पहला सत्र 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 2024 तक निर्धारित किया गया था, इसके बाद दूसरा सत्र 7 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 तक निर्धारित किया गया था। यह कार्यक्रम प्रयोगशाला कर्मचारियों के कौशल में सुधार करने, प्रयोगशालाओं की कार्यात्मक दक्षता बढ़ाने, कठोर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस मान्यता को प्राप्त करना प्रयोगशाला की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के पालन की मान्यता के रूप में कार्य करता है।

3.7.3.12 डॉक्यूमेंट्रि वीडियो का विमोचन

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 9 मार्च, 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान के पांचवें संस्करण के दौरान विभिन्न विषयों पर 9 लघु वीडियो जारी किए। वीडियो एनएफडीसी के सहयोग से जल जीवन मिशन द्वारा विकसित किए गए हैं।

वीडियो इस लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: (119) Sh.@gssjodhpur, Hon'ble Union Minister, Jal Shakti released 9 short videos of Jal Jeevan Mission - YouTube

3.7.4 संचार और आउटरीच

लगातार संचार एक 'जन आंदोलन' की भावना को बढ़ावा देने की कुंजी है, अर्थात, जल प्रबंधन को हर व्यक्ति का कार्य बनाना। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए, एनजेजेएम कई संचार चैनलों, जैसे मास मीडिया, मिड–मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रमाणित जानकारी का प्रसार कर रहा है।

3.7.4.1 प्रकाशन

3.7.4.1.1 जल जीवन संवाद न्यूज़लेटर

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक अखिल भारतीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के अपने प्रयास में, जल जीवन संवाद, जो एक मासिक ई–न्यूज़लेटर है, सूचना और सर्वोत्तम व्यवहारोंको साझा करने के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है। अक्टूबर, 2020 में शुरू किया गया, यह न्यूज़लेटर राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर हितधारकों को जोड़ता है, एक साझा उद्देश्य को बढ़ावा देता है और क्रॉस–लर्निंग को बढ़ावा देता है।

जल जीवन संवाद का प्रत्येक अंक एक अद्वितीय विषय को अपनाता है, जिसे दबाव वाले मुद्दों, मौसमी संदर्भों या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षणों को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। यह विषयगत दृष्टिकोण प्रगति और चुनौतियों से लेकर अभिनव समाधान और जमीनी स्तर की पहल तक जेजेएम के विविध पहलुओं पर एक केंद्रित और व्यापक परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करता है। थीम्स कहानियों और लेखों के संग्रह का मार्गदर्शन करते हैं, वास्तविक जीवन के खातों, नवीन व्यवहारों, तकनीकी हस्तक्षेपों और समुदाय–संचालित प्रयासों के माध्यम से जेजेएम की परिवर्तनकारी यात्रा को कैप्चर करते हैं।

न्यूज़लेटर जमीनी स्तर की हकीकतों का प्रसार करता है, जेजेएम से सीधे लाभान्वित व्यक्तियों और समुदायों की आपबीती और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्राप्त करने वाले परिवारों से लेकर हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाले गांवों तक, ये कहानियां स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की गुणवत्ता पर मिशन के गहन प्रभाव को उजागर करता है।

विषयगत सामग्री से परे, जल जीवन संवाद महीने की प्रमुख नवीनतम सूचना के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां, नीतिगत विकास, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण सत्र और जेजेएम के तहत आयोजित कार्यक्रम शामिल हैं। यह तकनीकी हस्तक्षेप, भागीदार संस्थानों की भूमिका और केस अध्ययन के बारे में गहन जानकारी भी प्रदान करता है जो सफल मॉडलों से सीखने और उनका अनुकरण करने में सहायक होती है।

इसकी स्थापना के बाद से, न्यूजलेटर के 51 अंक प्रकाशित किए गए हैं, जो लगातार जेजेएम की यात्रा को क्रमबद्ध करते हैं और इसे सार्वजनिक जुड़ाव के लिए एक पारदर्शी, समावेशी माध्यम बनाते हैं। निःशुल्क ऑनलाइन सुलभ, जल जीवन संवाद सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहयोग, पारदर्शिता और नवाचार हेतु मिशन की प्रतिबद्धता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है।

जल जीवन संवाद का लिंकः https://jaljeevanmission.gov.in/jal-jeevan-samvad

वर्ष के दौरान कवर किए गए विषय		
क्र.सं.	**माह**	**विषय**
1	जनवरी	आईईसी
2	फरवरी	क्षमता निर्माण
3	मार्च	संचालन और रखरखाव
4	अप्रैल	डेटा और डिजिटल गवर्नेंस
5	मई	जल संरक्षण
6	जून	भलाई और समृद्धि के लिए पेयजल
7	जुलाई	आपदा से निपटने हेतु सर्वोत्तम व्यवहार
8	अगस्त	जेजेएम में बाधाओं को तोड़ने वाले स्थानीय निकाय
9	सितंबर	वॉश
10	अक्टूबर	स्वच्छ सुजल गांव
11	नवंबर	जल उत्सव
12	दिसंबर	जेजेएमः परिवर्तन की कहानियां

3.7.4.1.2 जल जीवन मिशन व्यवहार संबंधी सर्वोत्तम परिपाटियों का संग्रह

यह संग्रह नीति आयोग, बिहेवियरल इनसाइट्स यूनिट ऑफ इंडिया (बीआईयू) और अशोका विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज (सीएसबीसी) के सहयोग से तैयार किया गया था। इसे लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया है।

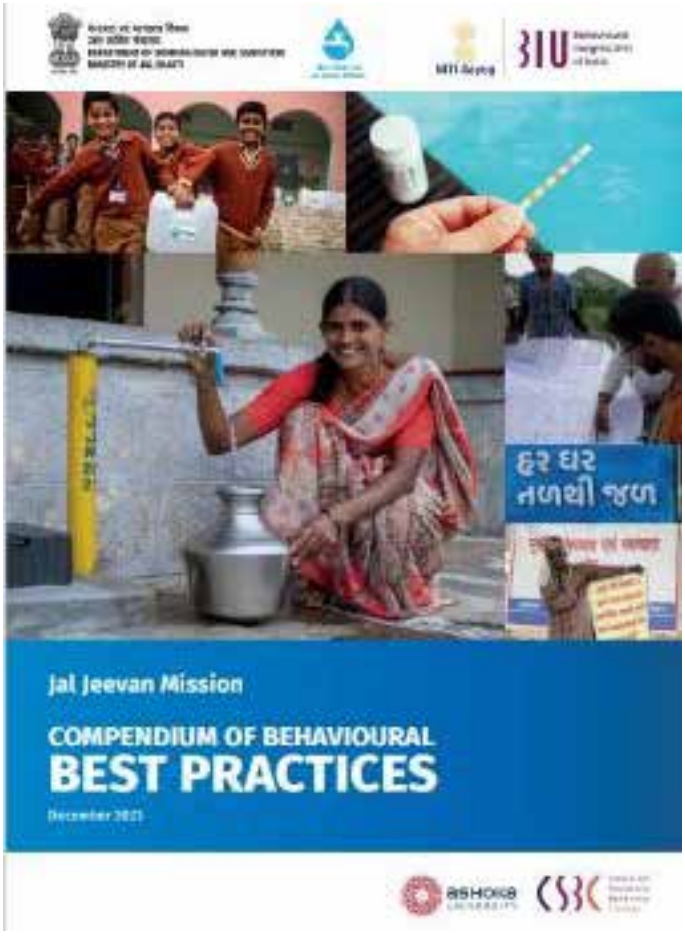

इस संग्रह का मसौदा विकास चिकित्सकों को अपने स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों में व्यवहार संबंधी समाधानों का परीक्षण और कार्यान्वयन करने की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रकार, इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से भारत में लागू किए गए विभिन्न व्यवहार संबंधी समाधानों और अन्य देशों के कुछ उदाहरणों को डब्ल्यूएएसएच क्षेत्र में सरकारी और गैर–सरकारी भागीदारों दोनों द्वारा प्रलेखित किया गया है। प्रासंगिक समस्या संबंधी वक्तव्यों, व्यवहारवादी सिद्धांत तैयार करने, कार्यान्वयन कार्यनीतियों और बाद के प्रभाव को समझने के लिए प्रत्येक व्यवधान पर व्यापक प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान किए गए थे।

इस संग्रह में भारत, कोस्टा रिका, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, घाना, केन्या, इथियोपिया, हैती और पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र (ईएमआर) के देशों में आयोजित व्यवहार परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

भारत के भीतर, यह रिपोर्ट व्यवहारवादी परिवर्तन व्यवधानों को प्रायोजित करती है जिन्हें 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया है।

संग्रह तक पहुंचने के लिए लिंकः Compendium-of-behavioural-best-practices.pdf

क. व्यवहारवादी परिवर्तन संचार कार्यनीति

जल जीवन मिशन ने पूरे भारत में सुरक्षित जल व्यवहारों को स्थायी रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक व्यवहारवादी परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यनीति विकसित की है। कार्यनीति नीति–बीआईयू, बीएमजीएफ, जीएचएस, एमएसएल के सहयोग से विकसित की गई है और लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की गई थी।

यह कार्यनीति सामुदायिक जुड़ाव पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ावा देकर और जिम्मेदार व्यवहारों को प्रोत्साहित करके पारंपरिक जल के उपयोग की आदतों को बदलना है। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संदेश का उपयोग करके और प्रभावित स्थानीय लोगों का लाभ उठाकर, बीसीसी का दृष्टिकोण ग्रामीण आबादी के बीच स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे जेजेएम की पहल की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।

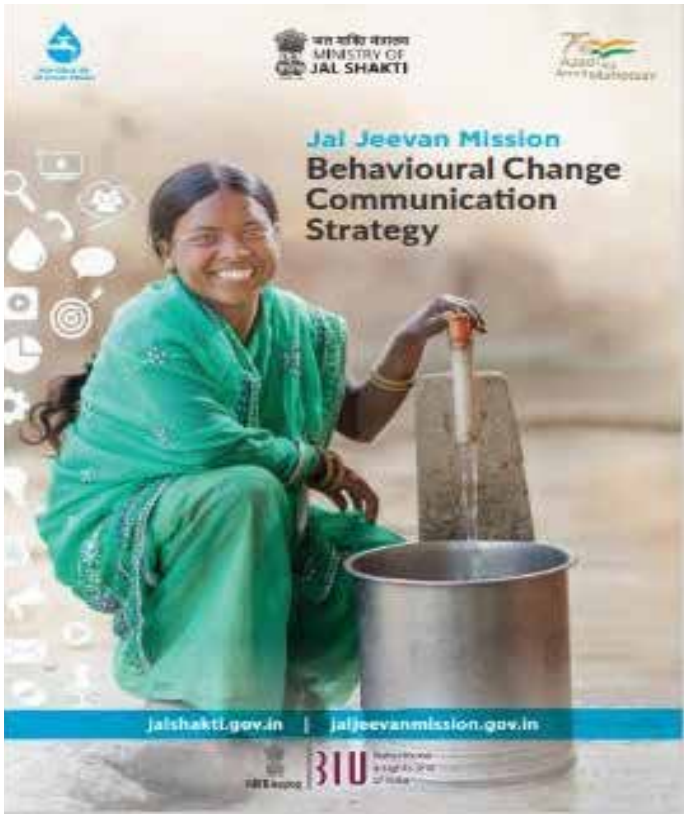

इस कार्यनीति के एक प्रमुख घटक में प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पारस्परिक संचार सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से लक्षित जानकारी का प्रसार शामिल है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संदेश विविध प्रकार के लोगों तक पहुंचें, विशिष्ट व्यवहार बाधाओं को दूर करें और पानी की खपत और संरक्षण के बारे में सूचित किए गए निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करें। विभिन्न समुदायों के सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों के साथ संचार प्रयासों को संरेखित करके, बीसीसी कार्यनीति वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के जेजेएम के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कार्यनीति दस्तावेज़ का लिंकः JJM_PAGE LAYOUT_English_Feb 2024.indd

ख. 'नारी शक्ति की 101 झलकः जल जीवन मिशन के आलोक में'

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिनांक 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में "जल शक्ति अभियानः कैच द रेन" अभियान के पांचवें संस्करण के शुभारंभ पर 'नारी शक्ति की 101 झलकियांः जल जीवन मिशन के आलोक में' (101 ग्लिम्प्स ऑफ वुमन पावरः थ्रू द प्रिज्म ऑफ जल जीवन मिशन) पुस्तक का विमोचन किया।

यह पुस्तक अखिल भारतीय स्तर की महिलाओं की 101 कहानियों का संग्रह है, जिन्होंने मिशन की यात्रा में बहुत योगदान दिया है और जेजेजेएम ने उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह पुस्तक विभाग के ज्ञान केंद्र में इन महिला शक्तियों की स्मृति में उत्सव मनाने और प्रलेखन का एक प्रयास है।

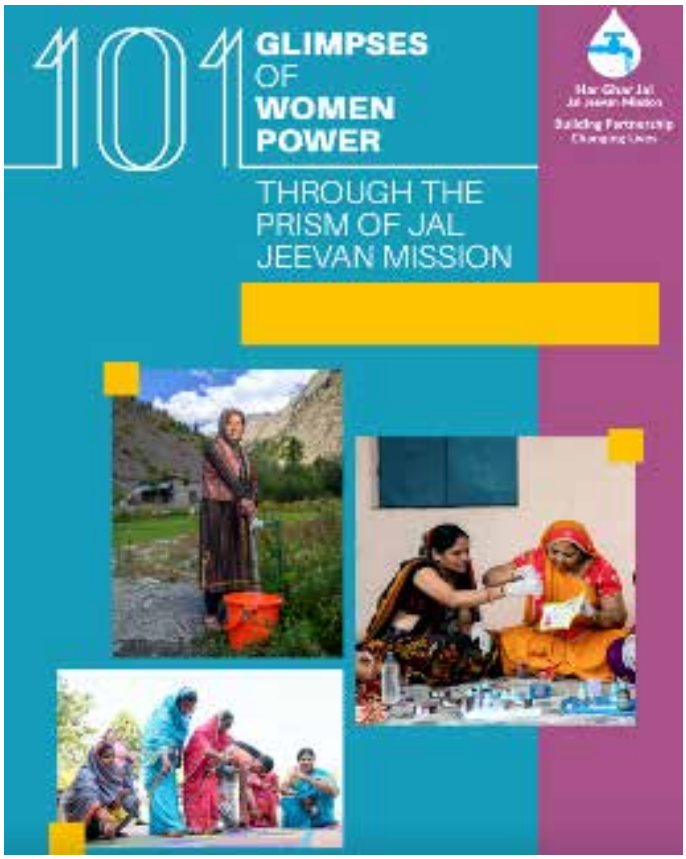

पुस्तक तक पहुंचने के लिए लिंकः https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/publication_and_reports/101-glimpses-of-women-power.pdf

ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका

माह दिसंबर, 2023 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के संदर्भ में, आपूर्ति किए जा रहे जल के प्रति विश्वास

कायम करने के लिए रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए स्रोत और वितरण बिंदुओं दोनों का परीक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

इस संदर्भ में, श्री विकास शील (पूर्व अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें श्री प्रदीप सिंह, निदेशक (जल गुणवत्ता), डीडीडब्ल्यूएस, और डीडीडब्ल्यूएस के अन्य अधिकारी, राज्य के अधिकारी और वाटरएड और आईएनआरईएम फाउंडेशन जैसे संगठनों के हितधारक शामिल थे। समिति का कार्य जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी के लिए एक रोडमैप विकसित करना था, साथ ही ग्रामीण परिवारों सहित हितधारकों को परिणामों के प्रसार का प्रबंधन करना था। व्यापक आंतरिक विचार–मंथन के बाद और राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ, और कुछ अनुकूलन के साथ सीपीएचईईओ नियमावली के नवीनतम संस्करण के अनुरूप संशोधनों को शामिल करके, "ग्रामीण परिवारों को पाइप पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी" के लिए एक संक्षिप्त पुस्तिका विकसित की गई है।

1. MyGov India के साथ सहयोग

जल जीवन मिशन के गतिवर्धन और जनमानस को जागरूक करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 'हर घर जल' को वास्तविक जन–आंदोलन बनाने में भारत के लोगों को शामिल करने के लिए डल ळवअ प्दकपं के साथ सहयोग किया।

क. हर घर जल प्रश्नोत्तरी

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के तहत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने डल ळवअ पोर्टल पर आयोजित 'हर घर जल प्रश्नोत्तरीः जल का ज्ञान अब हुआ आसन प्रतियोगिता' के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण प्रक्रिया शुरू की है। यह पहल भारत में हर ग्रामीण परिवार के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में नागरिकों को शामिल करने के लिए चल रहे जल जीवन मिशन (जेजेएम) के प्रयासों का हिस्सा है।

MyGov प्रतियोगिताओं को देश भर के नागरिकों द्वारा पसंद किया गया जो जल जीवन मिशन में उनकी रुचि और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एचजीजे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, विशेष रूप से, 50,000+ से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिससे लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता की अपनी समझ को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

चयन प्रक्रिया के बाद, दिनांक 7 जून 2024 को MyGov प्लेटफॉर्म पर 1,500 विजेताओं की सूची प्रकाशित की गई, जिसे blog.mygov.in/winner-announcement-for-har-ghar-jal-quiz-jal-ka-gyan-ab-hua-aasan/. पर देखा जा सकता है। विजेताओं को पुरस्कार राशि जारी करने के लिए, डीडीडब्ल्यूएस ने डिजिटल रूप से राशि के आगे वितरण के लिए विवरण एकत्र करने हेतु एक समर्पित पोर्टल विकसित किया है। विभाग ने अब तक विवरण प्रस्तुत करने वाले एचजीजे प्रश्नोत्तरी विजेताओं में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की पुरस्कार राशि जारी की है।

ख. नल का जल – सुरक्षित पानीः जागरूकता चुनौती

जल शक्ति मंत्रालय के डीडीडब्ल्यूएस के तहत हर घर जल ने दिनांक 29 जुलाई से 30 अक्टूबर 2024 तक एक विशेष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत के रचनात्मक बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया। यह भारत की ग्रामीण आबादी में जन जागरूकता कायम करने के उद्देश्य से नल से जलपान और क्लोरीनयुक्त पानी जैसे विषयों के लिए जल गुणवत्ता के मुद्दों पर एक बहु–माध्यम संपर्क अभियान से अपनी योजना प्रकट करने का अवसर था। चुनौती नल जल आसपास मिथकों को तोड़ने की थी जैसेः

मिथक 1: नल का पानी पीने के लिए सुरक्षित नहीं है।

मिथक 2: नल का पानी खनिजों से समृद्ध नहीं है।

मिथक 3: नल के पानी का स्वाद खराब होता है क्योंकि इसकी खराब सैनिटरी गुणवत्ता अथवा क्लोरीनीकरण का इस्तेमाल किया जाता है

मिथक 4: नल के पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक होती है।

मिथक 5: नल का पानी संग्रहित पानी है और यह ताजा नहीं है।

इस चैलेंज में प्रतिभागियों से कहा गया है कि वे नल जलपान और क्लोरीनयुक्त पानी सुरक्षित होने जैसे विषयों के लिए जल गुणवत्ता के मुद्दों पर एक मल्टी–मोड संचार अभियान तैयार करें। मल्टी–मोड संचार अभियान में एक शीर्षक, उपशीर्षक, विषय, आप लोगों से कैसे संपर्क करने की योजना बना रहे हैं, किस माध्यम से, किस तरह के संदेश या रचनात्मक सूचना हम विकसित कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं आदि।

ऐसे सर्वोत्तम संभव अभियान डिजाइन को स्वीकृति दी जाएगी, जिसके लागू किए जाने की संभावना हो। आपकी रचनात्मक सूचना हमारे राष्ट्र को जल–सुरक्षित राष्ट्र बनाने के तरीके को आकार देने में मदद करेगा।

3.7.4.1.2 जल जीवन मिशन विवरणिका/आईईसी सामग्री

जल जीवन मिशन पर एक विवरणिका (ब्रोशर) अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय पाठकों के लिए विकसित किया गया था, जिसमें मिशन के उद्देश्य, बजट परिव्यय, जेजेएम के विभिन्न घटकों, मिशन के शुभारंभ के बाद से परिवर्तन, की गई प्रगति का विवरण और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मिशन के तहत ली गई प्रौद्योगिकियों का विवरण दिया गया था। इसके अलावा, जल जीवन मिशन ने एक फ्लायर और जेजेएम के 5 वर्ष पुस्तिका भी प्रकाशित की है। ब्रोशर और आईईसी से संबंधित अन्य मामलों का यहां जल जीवन मिशन पर अवलोकन किया जा सकता है:

लिंक पर जाए: Jal Jeevan Mission

3.7.4.1.3 जल जीवन मिशन प्रभाव अध्ययन:

जल जीवन मिशन (जेजेएम) देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित नल के पानी तक पहुंच की परिकल्पना करता है। भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरंतर प्रयासों के माध्यम से, देश ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के 72% कवरेज से अधिक की उपलब्धि प्राप्त की।

जेजेएम एक परिवर्तनकारी योजना है। नागरिकों के लिए बुनियादी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के अलावा, घर पर नल जल के प्रावधान से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण सुधार होता है और समय की बचत होती है जो अन्यथा सामुदायिक स्रोतों से जल के दैनिक संग्रह में व्यय होता। इसके अलावा, नलों के माध्यम से सुरक्षित जल की व्यवस्था से जल जनित रोगों में कमी के साथ बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं। इस संबंध में, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टें निम्नानुसार हैं:

क. श्रम से मुक्ति: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट का अनुमान है कि देश के सभी घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान से 6.60 करोड़ घंटे की अनुमानित दैनिक बचत होगी, जिसे नागरिकों को अपने घरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल के संग्रह में खर्च करना होगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि ऐसी बचत का 75% महिलाओं के लिए होगा। रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक– Jal-Jeevan-Mission-Summary-of-report.pdf (jaljeevanmission.gov.in)

ख. रोजगार प्रभाव: भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर द्वारा 'जल जीवन मिशन की रोजगार क्षमता का आंकलन' पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से किए गए अध्ययन में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में पाइप द्वारा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे पर निर्माण के माध्यम से 59.93 लाख व्यक्ति–वर्ष प्रत्यक्ष और 2.22 करोड़ व्यक्ति–वर्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। यह भी अनुमान है कि प्रचालन एवं अनुरक्षण चरण के दौरान वार्षिक रूप से 13.3 लाख व्यक्ति–वर्ष अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक– study-report-assessment-of-employment-generation-potentials-of-jjm.pdf (jaljeevanmission.gov.in)

ग. स्वास्थ्य प्रभाव: हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी घरों में नल जल उपलब्ध कराने से डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है। यह 14 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) की बचत के बराबर है, जो 101 बिलियन

अमेरिकी डॉलर तक की आर्थिक बचत होती है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक– Jal-Jeevan-Mission-Summary-of-report.pdf (jaljeevanmission.gov.in)

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. माइकल क्रेमर और उनकी टीम द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रत्येक परिवार में सुरक्षित जल के प्रावधान होने से हर 4 मौतों में से 1 मौत, (प्रति वर्ष पांच साल से कम उम्र के 1.36 लाख) बच्चों को सुरक्षित जल के प्रावधान द्वारा रोका जा सकता है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए लिंक– Microsoft Word - Note on Potential Reduction in U5 Child Mortality 20221006.docx (jaljeevanmission.gov.in)

एसबीआई द्वारा अध्ययन

भारतीय स्टेट बैंक के एक हालिया अध्ययन में ग्रामीण भारत पर विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में जेजेएम के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नल के पानी तक पहुंच प्रदान करने से न केवल घरेलू सुविधा में सुधार हुआ है, बल्कि ग्रामीण भारत में जीवन की गरिमा और गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए अभाव सूचकांक में अत्यधिक कमी आई है।

विशेष रूप से, शोध महिलाओं पर गहरा प्रभाव दर्शाता है, जिसमें पानी लाने में कम समय व्यतीत होता है, जिससे शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी होती है। यह परिवर्तन एक सामाजिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से घरेलू और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने की ओर बढ़ती हैं। इसके अलावा, अध्ययन बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और आर्थिक स्थिरता के साथ संवर्धित जल उपलब्धता से संबंधित है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में ग्रामीण समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस महत्वपूर्ण खोज की संज्ञा दी।

3.7.4.1.4 कार्यशीलता मूल्यांकनः

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) का प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यशील पारिवारिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। जेजेएम के तहत कार्यशीलता की परिभाषा व्यापक है, जिसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पारिवारिक नल कनेक्शन तीन प्रमुख मानदंडों को पूरा करने वाला पानी प्रदान करता हैः पर्याप्तता (प्रति व्यक्ति प्रति दिन कम से कम 55 लीटर), गुणवत्ता (बीआईएसः 10500 मानकों के अनुरूप), और नियमितता (लंबी अवधि में निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना)।

जेजेएम के मुख्य सिद्धांतों में से एक इन नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की कड़ाई से निगरानी और मूल्यांकन है। यह न केवल मिशन के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बल्कि सेवा वितरण के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए भी है। जेजेएम के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से तीसरे पक्ष की कार्यशीलता मूल्यांकन के लिए वित्त निर्धारित करते हैं, जैसा कि दिशानिर्देशों के बिंदु 7.1 (ii) में विस्तृत है। इसके अलावा, अध्याय 11, जो निगरानी और मूल्यांकन पर केंद्रित है, यह अनिवार्य करता है कि भारत सरकार समय–समय पर खण्ड 11.2 (मूल्यांकन) के अनुसार पारिवारिक नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नमूना सर्वेक्षण करेगी।

आज तक, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जेजेएम की शुरूआत के बाद से दो व्यापक कार्यशीलता मूल्यांकन किए हैं। ये मूल्यांकन सेवा वितरण अंतराल की पहचान करने, परिवारों को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर की निगरानी और जल वितरण प्रणालियों में नीति और प्रचालनात्मक सुधारों का मार्गदर्शन करने में अमूल्य रहे हैं। तीसरा कार्यशीलता मूल्यांकन वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 22,869 गांवों का एक मजबूत सैंपल है, जिसे एक पद्धतिगत रूप से सुदृढ़ दृष्टिकोण के माध्यम से चुना गया है, जिसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एसआरएसएसडब्ल्यूओआर) के रूप में जाना जाता है। इस सर्वेक्षण के लिए फील्डवर्क

पूरा हो चुका है, और प्रक्रिया अब अधिक सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर साक्षात्कार आयोजित करने के लिए आगे बढ़ गई है।

इन सर्वेक्षणों के पैमाने और दायरे में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जो जेजेएम की बढ़ती पहुंच और गहन प्रभाव को दर्शाता है:

- वर्ष 2020–21 के सर्वेक्षण में 31 राज्यों, 704 जिलों और 6,992 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें 87,123 परिवारों के साथ सीधे तौर पर उनके नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया गया।
- वर्ष 2022 में, सर्वेक्षण के कवरेज में 33 राज्यों, 712 जिलों और 13,299 गांवों को शामिल किया गया, जिसमें सर्वेक्षण किए गए परिवारों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ 301,389 हो गया।
- वर्ष 2024 के जारी मूल्यांकन ने मूल्यांकन प्रक्रिया में 273,295 परिवारों को शामिल करते हुए 34 राज्यों, 761 जिलों और 22,812 गांवों को शामिल करने के लिए इसके दायरे को और व्यापक बना दिया है।

ये कार्यशीलता मूल्यांकन जेजेएम में सुधार की पुनरावृत्ति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे कार्यनीतियों को परिष्कृत करने, संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आंकड़े और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं कि मिशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। प्रत्येक अनुवर्ती सर्वेक्षण में शामिल घरों और गांवों की बढ़ती संख्या स्वच्छ और विश्वसनीय जल आपूर्ति के साथ ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुंचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, अंततः राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान देती है।

3.7.4.1.5 जल जीवन सर्वेक्षण टूलकिट–2023

जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रेरित करने और कायम करने के लिए, जल जीवन सर्वेक्षण–2023 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21–10–22 को शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मासिक और तिमाही आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रयासों को मान्यता देना है। जिलों का मूल्यांकन जेजेएम के आईएमआईएस पोर्टल में स्व–रिपोर्टिंग और एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से नल कनेक्शन और वास्तविक कार्यक्षमता के आंकलन के आधार पर किया जाएगा। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 टूलकिट को राज्यों और जिलों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में विकसित किया गया है ताकि उन्हें जल सेवा वितरण और प्रदर्शन मापदंडों के बारे में सूचित किया जा सके जिन पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा। टूलकिट का यहां पर अवलोकन किया जा सकता है

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/content/Jal_Jeevan_Survekshan_Toolkit_2023.pdf

3.7.4.1.6 प्रेस विज्ञप्तियाँ

जेजेएम के तहत उपलब्धियों से संबंधित पीआईबी के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं, जिनमें नीतिगत निर्णय, उपलब्धियां, जारी की गई निधि, किए गए क्षेत्र दौरे और आयोजित कार्यक्रम जैसी सूचनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए।

वर्ष 2023 में विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ाव/उपलब्धियां पूरी की गई। क) जल जीवन मिशन ने दिनांक 4 अप्रैल 2023 तक 60% कवरेज उपलब्धियां हासिल की, ख) जल जीवन मिशन ने दिनांक 16 मई 2023 तक 12 करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां हासिल की, ग) दिनांक 20 जुलाई, 2023 को जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित सभी बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया, घ) जल जीवन मिशन ने दिनांक 5 सितंबर 2023 तक 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों के नल कनेक्शन की उपलब्धियां हासिल की। यहां क्लिक करके इन प्रेस विज्ञप्तियों को देखें Press Information Bureau (pib.gov.in)

3.7.4.2 सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ने कार्यक्रम के समर्थन के लिए पसंदीदा सोशल मीडिया साइटों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू और यूट्यूब पर सक्रिय रूप से जानकारी साझा की है।

इन साइटों पर जेजेएम हैंडल सत्यापित हैं तथा लक्षित दर्शक के बीच लोकप्रिय हैं। वास्तविक और वित्तीय प्रगति संबंधी अद्यतन, सच्ची कहानियां, प्रमुख कार्यक्रम/वेबिनार, क्षेत्रगत ज्ञान इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रति दिन एक समर्पित टीम भी कार्य कर रही है। पहले से ही हजारों फॉलोवर्स और प्रति दिन बढ़ती संख्या के साथ, यह यह देखा गया है कि राज्यों के नागरिक, क्षेत्र के प्रैक्टिसनर्श, विभाग के अधिकारी, जन प्रतिनिधि आदि, शिकायत निवारण या सर्वोत्तम परिपाटियों/सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए जेजेएम से जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण पड़ावों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी उजागर किया गया जैसे– #11CrHarGharJal #12CrHarGharJal #13CrHarGharJal, etc आदि।

सोशल मीडिया का उपयोग, कुछ ही सेकंड में सभी स्तरों पर कई लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम रहा है, जो नागरिकों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

3.7.4.3 जन जागरूकता के लिए ऑडियो/विजुअल क्रिएटिव का विकास

वर्ष 2023–24 के दौरान, लगभग 15 वीडियो तैयार किए गए, जिनमें से 10 का निर्माण एनएफडीसी से प्रशिक्षण उद्देश्यों, जागरूकता लाने और अन्य उद्देश्यों (कार्यशाला, कार्यक्रमों, आदि) के लिए टीवीसी स्पॉट विकास के लिए किया गया था। व्यापक प्रसार के लिए, इन वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया जाता है, केआरसी द्वारा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है, और विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भी उपयोग किया जाता है। गेट्स फाउंडेशन के समर्थन से एमएसएल द्वारा 'हर घर जल' घोषणा प्रक्रिया पर एक एनिमेटेड वीडियो विकसित किया गया था।

आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जेजेएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 75 वीडियो की एक श्रृंखला चलाई गई। ये वीडियो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, जहां विभिन्न हितधारक जैसे ग्रामीण, सरपंच, पीआरआई सदस्य, वीडब्ल्यूएससी सदस्य, निगरानी समिति के सदस्य, लाभार्थी, स्कूली बच्चे आदि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि कैसे जेजेएम ने उनकी सदियों पुरानी मेहनत को कम करने में उनके जीवन को बदल दिया है। वीडियो लिंक पर देखें: https://www.youtube.com/c/JalJeevanMission

3.7.5 आईईसी अभियान

क. 'स्टॉप डायरिया अभियान 2024'

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अभियान का समर्थन करने के लिए 'स्टॉप डायरिया अभियान' शुरू किया। वर्ष 2024 के लिए नारा था: "डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें, अपना ध्यान"। यह जुलाई माह से अगस्त 2024 तक दो महीने के लिए देश भर में मनाया गया था। इस अभियान के तहत, डीडीडब्ल्यूएस ने

पानी और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए 8 सप्ताह के समर्पित अभियान विकसित किए।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा **केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राज्य मंत्री के साथ किया। आईडब्ल्यूडब्ल्यू के एक भाग के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें** 40 से अधिक सत्र (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन), 143 ऑफ़लाइन पेपर प्रस्तुतियाँ, 43 ऑनलाइन पेपर प्रस्तुतियाँ और 5 पैनल चर्चाएँ शामिल थीं, जिनमें पानी की गुणवत्ता, ग्रेवाटर प्रबंधन, सामुदायिक जुड़ाव, सूचना, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी/बीसीसी) पहल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज की गई थी। दूसरों के बीच में। राष्ट्रीय सुरक्षित जल संवाद, डिजिटल जल अवसंरचना, साक्ष्य कार्रवाई द्वारा जल कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकियां कुछ महत्वपूर्ण सत्र थे।

डायरिया रोकथाम अभियान का सारांश

गतिविधि का नाम	कुल संख्या
एफटीके परीक्षण	16,46,282
जागरूकता कार्यशालाएं	7,174
पाइप नेटवर्क निरीक्षण	56,329
जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण	22,446
ग्रामीणों की भागीदारी	1,56,826
स्कूलों में एफटीके परीक्षण का लाइव डेमो	32,897
घरेलू स्तर की सफाई गतिविधियाँ	3,45,703
गाँवों में अभियानों/गतिविधियों की कुल संख्या का उल्लेख करें	35,583
क्लोरीनीकरण संयंत्र/डब्ल्यूटीपी प्रणाली के कार्यकरण की जांच करना	3,466
अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण ड्राइव (निः शुल्क अवशिष्ट क्लोरीन–एफआरसी)	1,24,149
जल गुणवत्ता परीक्षण का अनिवार्य प्रदर्शन	63,991
सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण	2,82,029
पंचायत सदस्यों के साथ गांव की सैर/एक्सपोजर विजिट की सुविधा प्रदान करना	35,659
स्वास्थ्य सुविधाओं/अन्य परिसरों में पोस्टर/बैनर लगाना	21,712
सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता	5,515
आउटडोर मीडिया अभियान	8,293
भित्ती चित्र	8,53,296
जनता में जागरूकता सत्र	14,231

ख. जल उत्सव अभियान – नीति आयोग और डीडीडब्ल्यूएस द्वारा एक पहल

यह अभियान दिनांक **6 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक 20 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों** में चला। इसने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का अनुसरण किया, जिन्होंने माह दिसंबर 2023 में तृतीय मुख्य सचिव सम्मेलन में नदी उत्सव से प्रेरित होकर जल उत्सव का प्रस्ताव रखा था।

अभियान सक्रिय रूप से विभिन्न तरीकों से स्थानीय समुदायों को शामिल करता है। कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, ये नाटक जल संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक रचनात्मक माध्यम के रूप में काम करते हैं। प्रतिभागी स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे लोक गीत, नृत्य और सामुदायिक समारोहों ने स्थानीय परंपराओं में जल के सार का उत्सव मनाया।

अभियान छात्रों और युवाओं के सशक्तिकरण पर भी केंद्रित है। जल उत्सव छात्रों और युवाओं की क्षमता को चेंजमेकर के रूप में पहचानता है। हजारों छात्रों को एफटीके का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उन्हें वैज्ञानिक कौशल और जल सुरक्षा की समझ से लैस किया

गया था। कला, निबंध लेखन और वाद–विवाद प्रतियोगिताएं जल संरक्षण विषयों पर केंद्रित थीं, जो छात्रों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करती थीं।

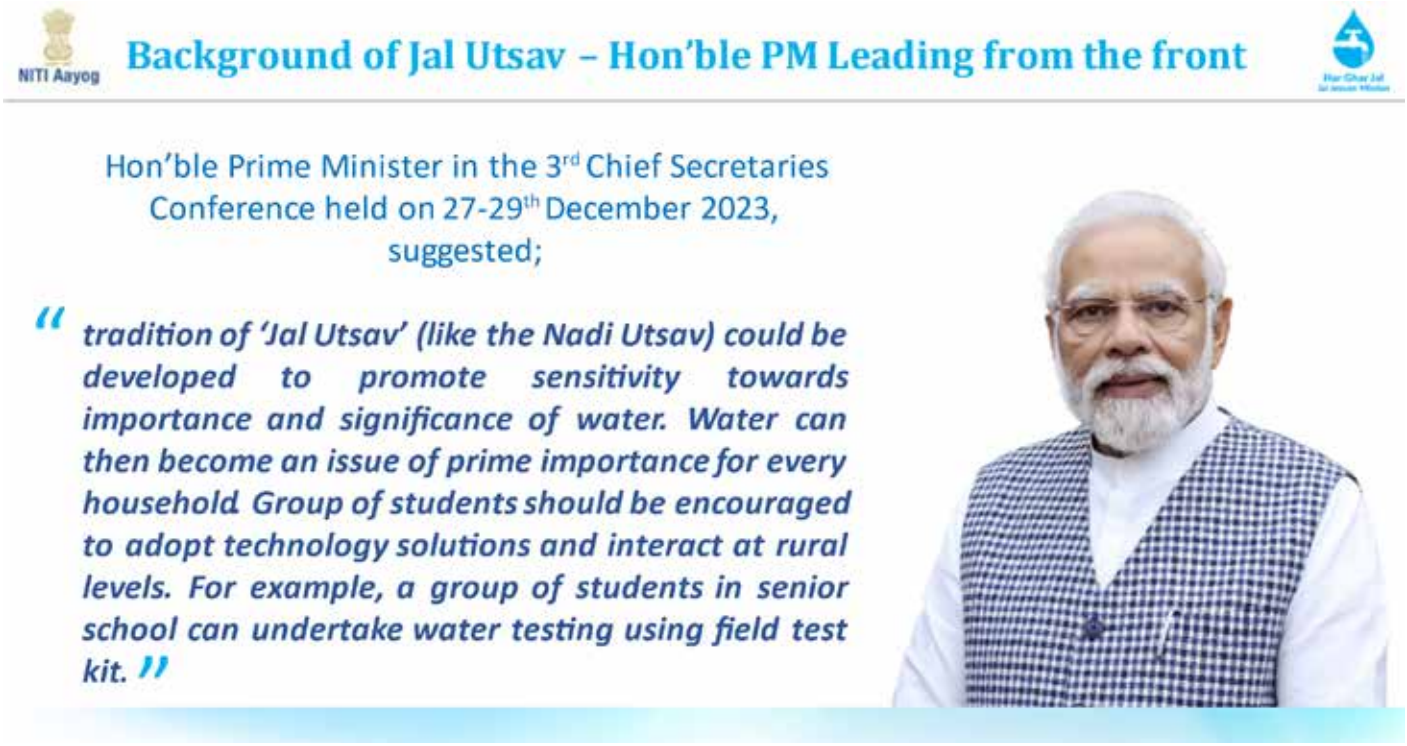

आशा कार्यकर्ताओं, नल जल मित्रों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे स्थानीय जल प्रबंधन पहलों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता बढ़ गई। **"एक पेड़ माँ के नाम"** (माँ के नाम पर एक पेड़) जैसे वृक्षारोपण अभियानों में व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें राज्यों में 8,000 से अधिक पेड़ लगाए गए। इन अभियानों ने पानी, हरियाली और जलवायु अनुकूलन के बीच अंतर्संबंध को का उल्लेख किया।

निगरानी और मूल्यांकन

अभियान की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया गया था। गूगल ड्राइव लिंक और प्रदर्शन संकेतक जिला प्रशासकों के साथ साझा किए गए, ताकि समय पर अपडेट और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। नीति आयोग और डीडीडब्ल्यूएस टीमों ने गतिविधियों की निगरानी की, जरूरत पड़ने पर जिलों को वास्तविक समय मार्गदर्शन प्रदान किया।

कुछ राज्यों की झलकियां

जल उत्सव की सुंदरता स्थानीय संदर्भों के अनुकूल होने में निहित है। भारत भर के राज्यों ने अभियान को अद्वितीय स्वादों से प्रभावित किया।

- **असमः** मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी ने असम के जीवंत उत्सव के लिए टोन सेट किया। स्वायत्त परिषद के सदस्यों सहित स्थानीय नेताओं ने अभियान के प्रभाव को बढ़ाते हुए समुदायों के साथ सहयोग किया।
- **बिहारः** बिहार की गतिविधियाँ उनके आध्यात्मिक और पर्यावरणीय जोर के लिए खड़ी थीं। गंगा नदी के तट पर पवित्र गंगा आरती ने पानी के लिए सांस्कृतिक श्रद्धा पर जोर दिया। राज्य ने सफाई मित्रों (सफाई कर्मचारियों) को शामिल करते हुए वृक्षारोपण अभियान और सफाई पहल भी की।
- **नागालैंडः** नागालैंड ने अपने आदिवासी समुदायों को शामिल करने के लिए अभिनव तरीकों को अपनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि अभियान उनके अद्वितीय सांस्कृतिक लोकाचार के साथ प्रतिध्वनित हो। राज्य ने जल उत्सव पर ब्रोशर जारी करके मंच को भुनाया।
- **ओडिशाः** ओडिशा में, टिटलागढ़ की विधान सभा के सदस्य ने अभियान में सक्रिय भाग लिया जो राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, ओडिशा राज्य ने 13 ब्लॉकों में कौशल के लिए नल जल मित्रों को नामांकित किया।
- **उत्तर प्रदेशः** नुक्कड़ नाटक को जल विषयों पर जागरूकता पैदा करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और जागरूकता पैदा करने और डिजिटल रूप से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'माई लाइफ' ऐप का व्यापक रूप से प्रसार किया।
- **मेघालयः** मेघालय में अभियान ने एसएचजी, गांव के नेताओं और विकास भागीदारों सहित 1,000 से अधिक हितधारकों को जुटाया।
- **त्रिपुराः** त्रिपुरा में जल संपदा (जल संसाधन) के व्यापक रखरखाव अभियान ने दीर्घकालिक स्थिरता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
- **जम्मू और कश्मीरः** कुपवाड़ा में, आशा कार्यकर्ताओं को जल परीक्षण कौशल के साथ सशक्त बनाया गया, जबकि छात्रों और शिक्षकों को जल सुरक्षा तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया।
- **गुजरातः** माननीय विधायक नर्मदा ने जल उत्सव का उद्घाटन किया और समुदाय के साथ शपथ ली।

लाथाओ जल शोधन संयंत्र, अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त कक्षा सत्र
स्रोतः पीएचईडी, अरुणाचल प्रदेश

Day-wise activity	
Day	**Activity**
6 November 2024	**Launching Day** - Jal Bandhan, Block Fact sheet on Jal Sampada (water assets), Taking Jal Utsav Oath
7 November 2024	**Cleaning of Jal Sampada** - of water supply assets, chlorination, leakage detection
8 November 2024	**Jal Sanchay Diwas** - Source sanitation survey, Identification and inventorying of rainwater harvesting structures in villages/schools/colleges, wastewater management
9 November 2024	**Involving School Teachers under Jal Utsav** - training of teachers on WQ (FTK), handwashing
10 November 2024	**Jal Utsav Run** - short distance run, half-marathon
11 November 2024	**Involving Students under Jal Utsav** (Drinking Water Sector) - Exposure Visit of students to Water supply scheme sites, laboratories, treatment plants
12 November 2024	**Involving Students under Jal Utsav** (Water Resources Sector - lectures on various storage structures, Screening of videos Water Budgeting Exercise at aspirational blocks/ districts
13 November 2024	**Drinking Water Supply Zero Leakage** - detection and fixation, Digital Engagement of Youth for leakage reporting and monitoring
14 November 2024	**Watershed Management** - Cleaning and maintaining of assets
15 November 2024	**Water and Skilling** - Enrolment under Nal Jal Mitra
16 November 2024	**Water & Self Help Groups** - Capacity building of SHGs for O&M of water assets, FTKs
17 November 2024	**Ek Ped Maa ka Naam** - Tree Plantation drive at Jal Sampada premises
18 November 2024	**Students Competition** - slogan writing/ painting / essay competitions in vernacular/ Hindi/ English
19 November 2024	**Water and Health** - Awareness generation camps
20 November 2024	Culmination of Campaign

प्रमुख परिणाम:

- **17,570** व्यक्तियों ने स्थायी जल व्यवहारों को अपनाने का संकल्प लिया।
- **996** वर्षा जल संचयन संरचनाओं का सूचीकरण।
- **16,810** छात्रों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से जल प्रबंधन व्यवहारों से अवगत कराया गया।
- **3,781** से अधिक पेड़ एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए गए।
- **338** लीकेज की पहचान की गई और पानी के वितरण में सुधार के लिए इनको ठीक किया गया।
- **1,315** जल संपदा की सफाई की गई।
- **3,109** महिलाओं को स्थानीय पेयजल योजनाओं के लिए एफटीके का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- **17,837** छात्रों ने प्रतियोगिताओं (लेखन/पेंटिंग/स्लोगन) में भाग लिया
- **6,383** लोगों ने नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) में नामांकन किया

ग. नारी शक्ति से जल शक्ति

नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दिनांक 9 मार्च 2024 को "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" कार्यक्रम के पांचवें संस्करण के दौरान जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए एक अभियान "नारी शक्ति से जल शक्ति" विषय पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत अभियान पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था।

3.7.6. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त 2024 को जल जीवन मिशन की सफलता का समारोह

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को जल जीवन मिशन की सफलता का उत्सव मनाया। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, उन्होंने जेजेएम के काम की सराहना करते हुए कहा, "जब जल जीवन मिशन के तहत नल का पानी 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचता है, तो यह उस नई चेतना का प्रतिबिंब है जो भारत में उजागर हुई है"।

यह बयान पूरे भारत में ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने में जल जीवन मिशन द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को उललिखित करता है।

पता सुनने के लिए लिंक: (20) PIB | Ministry of Jal Shakti on X: "When tap water reaches over 15 core rural households, under #JalJeevanMission, it is a reflection of the new consciousness that has dawned on India.-PM @narendramodi #IndependenceDay2024 https://t.co/XqAG7AAnnE" / X

3.7.7 प्रेस विज्ञप्ति

जेजेएम के तहत उपलब्धियों से संबंधित नियमित प्रेस विज्ञप्ति पीआईबी के माध्यम से जारी की गई, ऐसी जानकारी जो जनता तक पहुंचनी चाहिए जैसे नीतिगत निर्णय, अर्जित लक्ष्य/उपलब्धियां, जारी की गई निधियां, किए गए क्षेत्र दौरे और विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम/कार्यशालाएं।

यहां क्लिक करके इन प्रेस विज्ञप्तियों को देखें: All Press Release: Press Information Bureau

3.7.8 मीडिया इंटरैक्शन

क. लेख

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व एमओजेएस का एक लेख दिनांक **25 जनवरी 2024** को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। लेख जेजेएम के तहत लाभों के बारे में बताता है और यह भी कि मिशन पारदर्शिता और कार्य दक्षता कैसे कायम कर रहा है।

Providing clean water to all

Gajendra Singh Shekhawat

is Union Minister of Jal Shakti Mission

In the hilly village of Kyarkuli Bhatta in Uttarakhand, there is no mass migration anymore. The tribal hamlet of Kusumdih in Jharkhand has seen a reduction in human-animal conflicts. And in Chandpur village in Maharashtra, weddings are being celebrated with pomp and show again. This is because there is tap water in all these regions, provided by the Jal Jeevan Mission. Launched by Prime Minister Narendra Modi in 2019, the Jal Jeevan Mission has already provided tap water to 73% of rural households. This means that more than 14 crore rural households have tap connections compared to only 3.23 crore in August 2019. Through the Mission, guided by the principle of 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas aur Sabka Prayas', India is rapidly advancing towards the realisation of the United Nations' Sustainable Development Goal 6 (clean water and sanitation for all).

We embarked on this journey with the objective of providing piped water in adequate quantities and of prescribed quality on a regular and long-term basis to every rural household in India. We wanted to ensure that no one had to face water scarcity and its consequences on health, hygiene, and well-being. At the national level, we focused on strengthening infrastructure, which was a big challenge because of the diverse terrains and geographical differences in India. We brought together communities, development partners, and NGOs.

Benefits of the scheme

We realised that there cannot be a one-size-fits-all arrangement. Every region has different needs. But with the core theme of 'no one is left behind,' the Jal Jeevan Mission dealt with different kinds of challenges. Insulated pipes were used in hilly and cold regions. In villages with water quality issues, multi- village schemes through bulk water transfer were planned. Community water purification plants were provided to meet drinking and cooking water needs for the short term.

At the heart of the Jal Jeevan Mission lies a commitment to strengthening the socio-economic fabric of rural communities

The growth story of the Jal Jeevan Mission is not confined to data; changes can be seen on the ground. Its impact has extended beyond the provision of clean water; it encompasses a broader commitment to the safety, health, and environment of rural communities.

Various studies have been conducted on the Jal Jeevan Mission, its implementation, and impact. Nobel Laureate Dr. Michael Kremer's study states that providing safe water can reduce infant deaths by almost 30%, with the potential to prevent 25% of under-five deaths in India (1,36,000 child deaths annually). A study conducted in the financial year 2023-24 by the World Health Organization states that 4 lakh diarrhoeal deaths can be averted if tap water is provided in every household. The Jal Jeevan Mission can lead to economic savings of up to $101 billion or ₹8.37 lakh crore.

At the heart of the Jal Jeevan Mission lies a commitment to strengthening the socio-economic fabric of rural communities. It recognises the fact that true development is not just about infrastructure; it is about bringing in a sense of community. The active involvement of women in decision-making processes, the empowerment of the youth through skill development, and the creation of local water enterprises are not isolated initiatives but systematic steps strengthening communities. The Nal Jal Mitra initiative, for instance, is a specialised programme which equips villagers with a comprehensive set of skills so that they are able to carry out minor repairs and maintenance of the piped water supply scheme in their village. Over 5.29 lakh village water and sanitation committees/ Pani Samitis have been constituted under the Jal Jeevan Mission and 5.17 lakh village action plans have been developed. About 22.98 lakh women have been trained for testing water samples using field testing kits.

A recent study, 'Assessment of Employment Potential of Jal Jeevan Mission', states that the Mission's employment generation potential during the construction phase is on average 59.93 lakh person-years of direct employment and 2.22 crore person-years of indirect employment and 11.18 lakh person-years of additional direct employment annually during the operation and maintenance stage.

Transparency and efficiency

The Jal Jeevan Mission has a dashboard that gives real-time updates, progress reports, and so on, ensuring transparency and efficiency in water resource management. It also ensures continuous monitoring and surveillance of water quality parameters through advanced technologies. The Department of Drinking Water and Sanitation maintains a proactive Water Quality Management Information System. This helps detect contamination or deterioration in water quality, thereby enabling prompt corrective action and grievance redress.

As of now, there are 2,113 labs in India. Water quality testing labs of States/Union Territories are now open to the public for testing water samples at nominal rates. In 2023-24, more than 46.62 lakh water samples have been tested in laboratories which are digitised in the Water Quality Management Information System.

With the Jal Jeevan Mission, we have crossed new milestones and delivered water to millions across India. Our road map for the future is to create a situation where water scarcity is a thing of the past and no rural household suffers the lack of this elixir of life. We are also engaging our people to take care of the water assets that have been created. We are on the right track to achieve our drinking water targets. Resources are in place to implement our objectives. The outlook for the year is positive.

ख. एएस और एमडी का साक्षात्कार

इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर पत्रिका ने माह **अगस्त 2024** संस्करण में अपनी 26वीं वर्षगांठ में श्री चंद्र भूषण कुमार के एक साक्षात्कार को कवर किया। साक्षात्कार में जेजेएम के तहत कार्यनीति, उपलब्धियों आदि को शामिल किया गया।

Interview with Dr Chandra Bhushan Kumar

"The JJM has been a transformative initiative"

संस्करण पढ़ने के लिए लिंकः https://indianinfrastructure.com/2024/08/17/august-issue-2024-26th-anniversary-special/

ग. ऑल इंडिया रेडियो – टॉक शो

दिनांक 6 नवंबर 2024 को जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल उत्सव अभियान पर ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती द्वारा श्री युगल किशोर जोशी, नीति आयोग और श्री वाई के सिंह, निदेशक, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ एक विशेष टॉक शो का आयोजन किया गया

घ. आकाशवाणी समाचार – जेजेएम पर चर्चा

आकाशवाणी समाचार ने जल जीवन मिशनः महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने पर डीडीडब्ल्यूएस के आर्थिक सलाहकार श्री समीर कुमार के साथ एक चर्चा प्रसारित की। यह चर्चा दिनांक 12 दिसंबर 2024 को उनके कार्यक्रम कंट्रीवाइड पर प्रसारित की गई थी।

3.7.9. सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसार

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ने कार्यक्रम की सहायता के लिए पसंदीदा सोशल मीडिया साइटों पर सक्रिय रूप से जानकारी साझा की है, जैसे, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब, आदि।

इन साइटों पर जेजेएम हैंडल सत्यापित हैं और लक्षित दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं। एक समर्पित टीम भी है जो हर दिन महत्वपूर्ण जानकारी जैसे वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर अद्यतन स्थिति, जमीनी कहानियां, प्रमुख घटनाओं/वेबिनार, सेक्टर ज्ञान आदि का प्रसार करने के लिए काम कर रही है। पहले से ही हजारों फॉलोअर और प्रति दिन बढ़ती संख्या के साथ, यह देखा गया है कि राज्यों के नागरिक, क्षेत्र के चिकित्सक, विभाग के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, आदि, शिकायत निवारण के लिए अथवा सर्वोत्तम व्यवहारों/सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए जेजेएम से जुड़ रहे हैं।

विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर क्रिएटिव तैयार किए जाते हैं, अर्जित लक्ष्य, अध्ययन रिपोर्ट व्यापक प्रचार के लिए एमओजेएस कार्यालय के साथ साझा की जाती हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करना कुछ ही सेकंड के भीतर सभी स्तरों पर कई लोगों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी साधन रहा है जो नागरिक जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है।

क. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एसबीआई की हालिया रिपोर्ट के संबंध में किए गए पोस्ट का विस्तार

प्रधानमंत्री के इस पोस्ट का सहबद्ध मंत्रालयों और राज्यों की टीम तथा पीआर भागीदार द्वारा और अधिक विस्तार किया गया है। कई प्रतिष्ठित हस्तियों, विभागों, मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पोस्ट को उद्धृत करते हुए इसे दोबारा पोस्ट किया। यह पोस्ट सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की एक बड़े समूह तक पहुंच गई है, जिसे 1.1 मिलियन लोगों ने देखा, 23 हजार लोगों द्वारा लाइक किया गया, तथा इस पोस्ट को 5.3 हजार लोगों द्वारा पुनः ट्विट किया गया और 729 टिप्पणीयाँ भी की गईं।

प्रकाशनार्थ विज्ञप्तिः Press Release:Press Information Bureau

लेख लिंकः Jal Jeevan Mission spurs women's workforce participation

ख. 2 लाख से अधिक हर घर जल गांव – सोशल मीडिया पर उत्सव

#HarGharJal के साथ 2 लाख से अधिक गांवों में नल जल आपूर्ति का कार्य पूरा होने का उत्सव मनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन किया गया और एसएम संबंधी पोस्टों के लिए नमूना डिजाइन भी प्रदान किया गया तथा उन्हें उनकी क्षेत्रीय भाषा में इस उपलबधि को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया गया ताकि समुदाय के लोग उसके बारे में जान सके।

ग. 14 करोड़ और 15 करोड़ पारिवारिक नल कनेक्शनों की उल्लेखनीय उपलबधि का विस्तार

वर्ष के दौरान जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण उपलबधियों को #14CrHarGharJal & #15CrHarGharJal जैसी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उजागर किया गया।

ये हैशटैग (#)1,487,008 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गये और 29,161,665 बार देखे गए। इस हैशटैग (#) का उल्लेख 934 X (पहले ट्वीटर) हैंडलों और 875 विशिष्ट लेखकों द्वारा उललिखित किया गया। डिजीटल और प्रिंट मीडिया हाउस की एक विस्तृत श्रृंखला के बाद पीआईबी द्वारा इन उपलबधियों को प्रस्तुत किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति के लिए लिंक : #14CrHarGharJal Press Release:Press Information Bureau

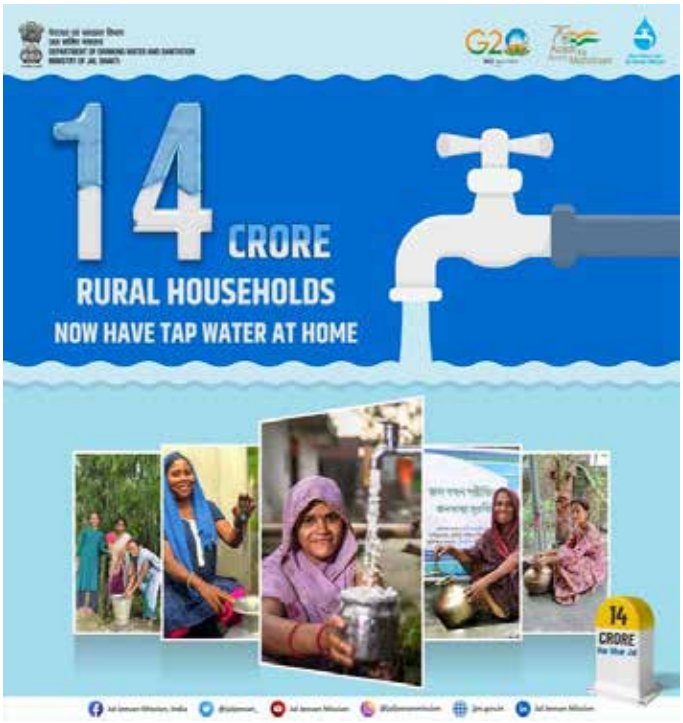

घ. #SwachhSujalGaon का विस्तार

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वच्छ सुजल गांव के विस्तार के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को #SwachhSujalGaon का उपयोग करके जेजेएम और एसबीएम–जी के तहत कार्यपरिपूर्ण गांव की छवि को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अब तक इस हैशटैग (#) के संबंध में X पर 758 ट्वीट किए गए हैं, जो 3,157,490 उपयोगकर्ताओं तक पहुंच चुके हैं और इसे 44,773,299 बार देखा गया है।

ङ. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का उत्सव

एनजेजेएम के सोशल मीडिया हैंडल से हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों का उत्सव उन्हें बधाई देकर मनाया गया। यह न केवल उनकी ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि इंटरनेट पर सक्रिय रहने वाले लोगों को जमीनी कार्यों की जानकारी भी प्रदान करता है।

3.7.10 जनवरी से मार्च 2025 तक की योजना

क. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम

विभाग लगभग 200 विशिष्ट अतिथियों को उनके जीवनसाथी के साथ आमंत्रित कर रहा है, जो मूल रूप से दिनांक 25 से 27 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वीडब्ल्यूएससी, ग्राम प्रधान/मुखिया और जल सहिया के सदस्य हैं। इन विशिष्ट अतिथियों को कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के दौरे पर भी ले जाने की योजना है। इन 3 दिनों के दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ दोपहर के भोजन के बाद आधे दिन के विचार–विमर्श सत्र की योजना बनाई गई है।

ख. प्रकाशन

जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही के दौरान तीन पुस्तकों को जारी करने की योजना है। सभी पुस्तकें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में हैं।

- परिवर्तन की कहानियां – यह पुस्तक पीवीटीजी से संबंधित केस कहानियों का संकलन है।
- परिवर्तनकारी कहानियां – यह पुस्तक कहानियों का संकलन है जिसमें यह दर्शाया गया है कि जेजेएम किस प्रकार लोगों के जीवन के सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
- विशिष्ट अतिथियों की कहानियां – यह पुस्तक गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित अतिथियों से संबंधित कहानियों का संकलन है।

तिमाही के दौरान मासिक ई–समाचार पत्र जेजेएम संवाद तीन अलग–अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ग. MyGov के माध्यम से रील मेकिंग प्रतियोगिता

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, MyGov के सहयोग से, ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) से संबंधित उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी रील–बनाने की प्रतियोगिता की योजना बना रहा है। यह प्रस्तावित पहल नागरिकों को इन प्रमुख कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करने वाली आकर्षक रील बनाने के लिए आमंत्रित करेगी, जिसका उद्देश्य "स्वच्छ सुजल गांव" – सुरक्षित स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाले गांव का निर्माण करना है। जल, स्वच्छता और साफ–सफाई (वॉश) क्षेत्र पर केंद्रित, प्रतियोगिता ग्रामीण स्वास्थ्य, आजीविका और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मिशन के योगदान को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगी।

प्रतिभागियों को "स्वच्छ सुजल गांवः विकसित भारत की ओर" और "स्वस्थ भारतः सुजल भारत" जैसे विषयों के अनुसार अपनी–अपनी प्रविष्टियां दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इस तथ्य पर जोर देना है कि इन मिशनों ने ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार लाते हुए सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को कैसे प्रेरित किया है। जन भागीदारी को बढ़ावा देकर, प्रतियोगिता एसबीएम और जेजेएम के प्रयासों के बारे में अधिक जागरूकता लाएगी, जो सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से एसडीजी 6 से संबंधित राष्ट्र की प्रगति में योगदान हेतु एक विकसित और सतत ग्रामीण भारत के विज़न को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी।

अनुबंध–I

जल जीवन मिशन : वित्तीय प्रगति

31.12.2024 की स्थिति के अनुसार

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अथ शेष (केंद्र + राज्य)	केंद्र द्वारा जारी	कुल उपलब्ध निधि (केंद्र + राज्य) #	कुल व्यय (केंद्र + राज्य)
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.18	ND	1.18	0.30
2.	आंध्र प्रदेश	93.10	ND	868.15	804.66
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	108.91	123.22	48.50
4.	असम	1,125.53	2,059.63	3,458.45	2,965.86
5.	बिहार	123.16	ND	266.64	96.87
6.	छत्तीसगढ़	814.43	191.59	2,443.14	2,336.03
7.	गोवा	1.17	0.65	7.66	5.70
8.	गुजरात	384.57	ND	2,097.10	2,057.61
9.	हरियाणा	6.32	ND	6.32	201.30
10.	हिमाचल प्रदेश	77.44	137.48	232.72	207.79
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1,035.51	633.86	1,784.24	1,349.00
12.	झारखंड	962.65	ND	1,130.42	405.64
13.	कर्नाटक	545.43	570.66	7,702.51	4,385.48
14.	केरल	91.82	974.68	2,018.44	1,660.34
15.	लद्दाख	57.62	93.72	151.34	104.63
16.	लक्षद्वीप	2.79	0.38	3.17	2.90
17.	मध्य प्रदेश	462.73	2,622.35	8,762.11	8,203.42
18.	महाराष्ट्र	2,805.80	1,605.88	5,980.08	4,892.82
19.	मणिपुर	26.97	ND	26.97	30.73
20.	मेघालय	313.7	291.08	670.45	522.46
21.	मिजोरम	18.63	13.52	39.13	19.60
22.	नागालैंड	39.75	11.92	57.41	50.79
23.	ओडिशा	772.93	368.39	1,501.11	1,488.47
24.	पुदुचेरी	0.29	1.89	2.39	0.01
25.	पंजाब	160.63	50.00	329.38	216.02
26.	राजस्थान	126.66	1,659.22	3,620.41	3,189.14
27.	सिक्किम	19.59	37.35	69.42	40.76
28.	तमिलनाडु	1,673.24	731.67	3,419.51	3,589.51
29.	तेलंगाना	0.46	ND	0.46	0.45
30.	त्रिपुरा	118.97	316.03	475.49	369.44
31.	उत्तर प्रदेश	640.73	6,310.98	16,243.36	15,719.28
32.	उत्तराखंड	193.99	508.40	1,060.20	588.02
33.	पश्चिम बंगाल	1,441.22	2,524.99	7,665.28	7,351.01
कुल		**14,139.02**	**21,825.23**	**72,217.86**	**62,904.56**

स्रोतः पीएफएमएस; एनडी आहरित नहीं एनआर सूचित नहीं डीएनएच और डीडी द्वारा जेजेएम के अंतर्गत निधि आहरित नहीं किया गया
#कुल उपलब्ध निधि = अथशेष + पिछले वर्षों की कमी + केंद्र द्वारा जारी + अनुरूप राज्यांश + राज्यांश अग्रिम, यदि कोई हो।

4. एनआईसी द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाएं/ कार्यक्रम/आईएमआईएस/गतिविधियां

4.1 जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सस्ती सेवा वितरण लागत पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के साथ पीने के पानी की विश्वसनीय और दीर्घकालिक आपूर्ति तक पहुंच हो, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। शुरू की गई प्रमुख आईसीटी पहलें निम्न हैं:

जेजेएम आईएमआईएस: यह पारिवारिक नल कनेक्शन, गांव, जिला और राज्य कार्य योजनाओं, ग्राम–स्तरीय जल तथा स्वच्छता समितियों के विवरण, योजना आयोजना और कार्यान्वयन, वास्तविक और वित्तीय प्रगति, पूर्णता की स्थिति, वित्त पोषण और वित्तपोषण जानकारी, सहायता गतिविधियों में प्रगति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास सहित सभी प्रासंगिक डेटा को समेकित करता है। नागरिकों और पंचायतों में सूचना प्रसार को बढ़ाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के साथ एकीकरण लागू किया जा रहा है।

फील्ड यूजर मोबाइल ऐप: प्रत्येक घर के लिए नल कनेक्शन के साथ गांव की कार्यपरिपूर्णता के बाद, जल आपूर्ति योजनाओं की सभी परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग और गांव को हर घर जल के रूप में प्रमाणित करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप डिजाइन और विकसित किया गया है।

The above process demonstrates regarding geotagging of a PWS Source, in the next sub-section we'll be learning how to geotag a Scheme Information Board.

Demo to Add/ Geo-tag Information Boards

Geotagging of a Scheme Information Board follows the same process as of a PWS Source. It is described using the info box given below.

1. User should click on the "Add/ Geotag Information Boards" button first.
2. There after select a concerned scheme for geotagging purposes.
3. There after click on the button named "Add Information Boards."
4. After then user should select name of a habitation.
5. After then enter name of source location/ landmark where information board is established. Further, the application captures geo coordinates automatically – the Latitude and Longitude.
6. In the next step, the user should capture photo of the "Scheme Information Board."
7. In the last step, save the recorded info using Save, or Save & sync button.

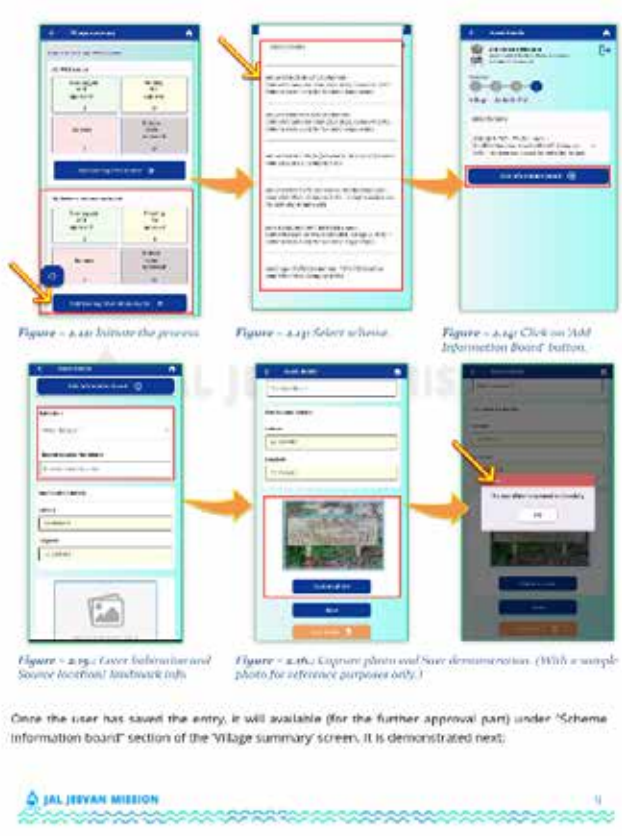

The above process is demonstrated using the screenshots ahead for user's reference.

JAL JEEVAN MISSION

जेजेएम डैशबोर्ड: जेजेएम डैशबोर्ड सभी प्रमुख निगरानी मापदंडों को ट्रैक करता है, जिसमें प्रदान किए गए कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की संख्या, मिशन के शुभारंभ के बाद से प्रगति, विस्तृत ग्राम–स्तरीय डेटा, शिकायत निवारण तंत्र, वास्तविक समय सेंसर–आधारित मापन और निगरानी, और धन की उपलब्धता शामिल है। इसमें आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कवरेज दिखाने वाला एक मानचित्र दृश्य भी है।

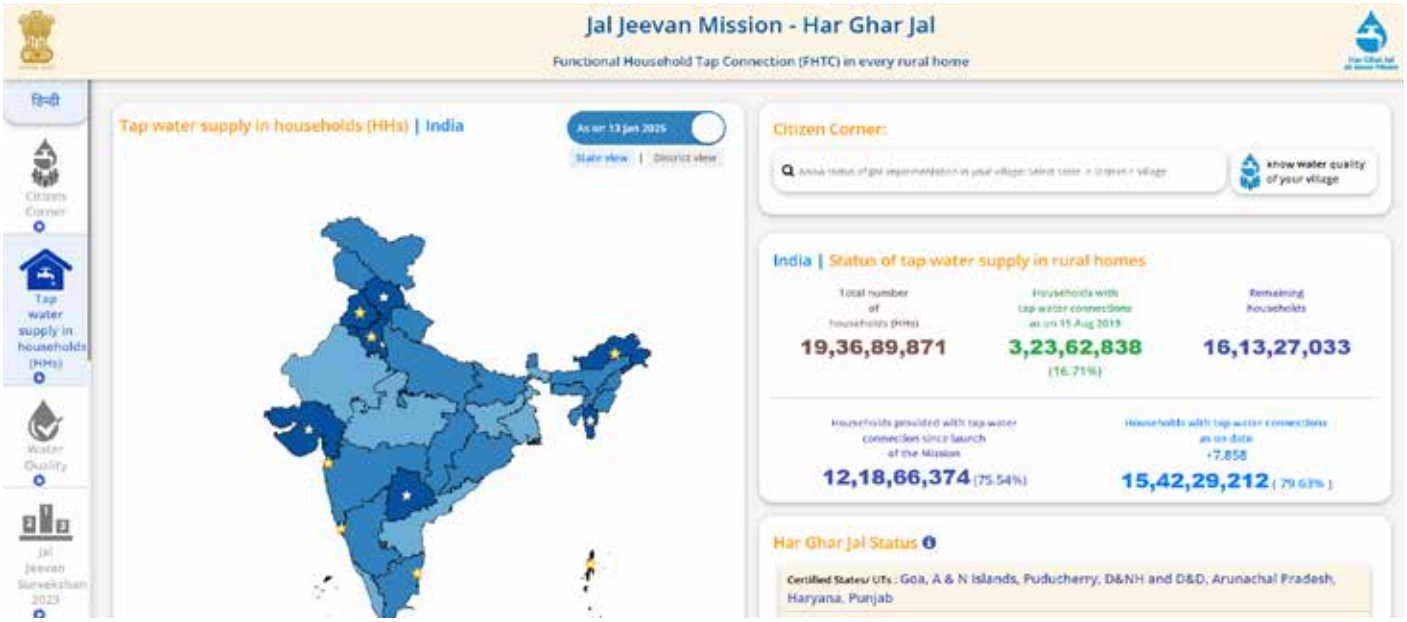

जेजेएम डब्ल्यूक्यूएमआईएस: जल जनित बीमारियों से निपटने के लिए, सरकार देश भर में पीने के पानी के व्यापक नमूना परीक्षण को प्राथमिकता दे रही है। इस लक्ष्य की सहायता करने के लिए, जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) का विस्तार किया गया है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड को प्रणाली में एकीकृत किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अमृत के तहत शहरी क्षेत्रों से जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को डब्ल्यूक्यूएमआईएस में शामिल करने के प्रयास भी चल रहे हैं।

नागरिक पोर्टल: 'सिटीजन कॉर्नर' उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ वन–स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो एक बटन के क्लिक पर गांवों में जल गुणवत्ता और अन्य जल आपूर्ति विवरण पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। यह पहल नागरिकों को पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने का अधिकार देती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 को लखनऊ में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जल जीवन मिशन के गतिशील डैशबोर्ड पर इस अभिनव सुविधा का शुभारंभ किया।

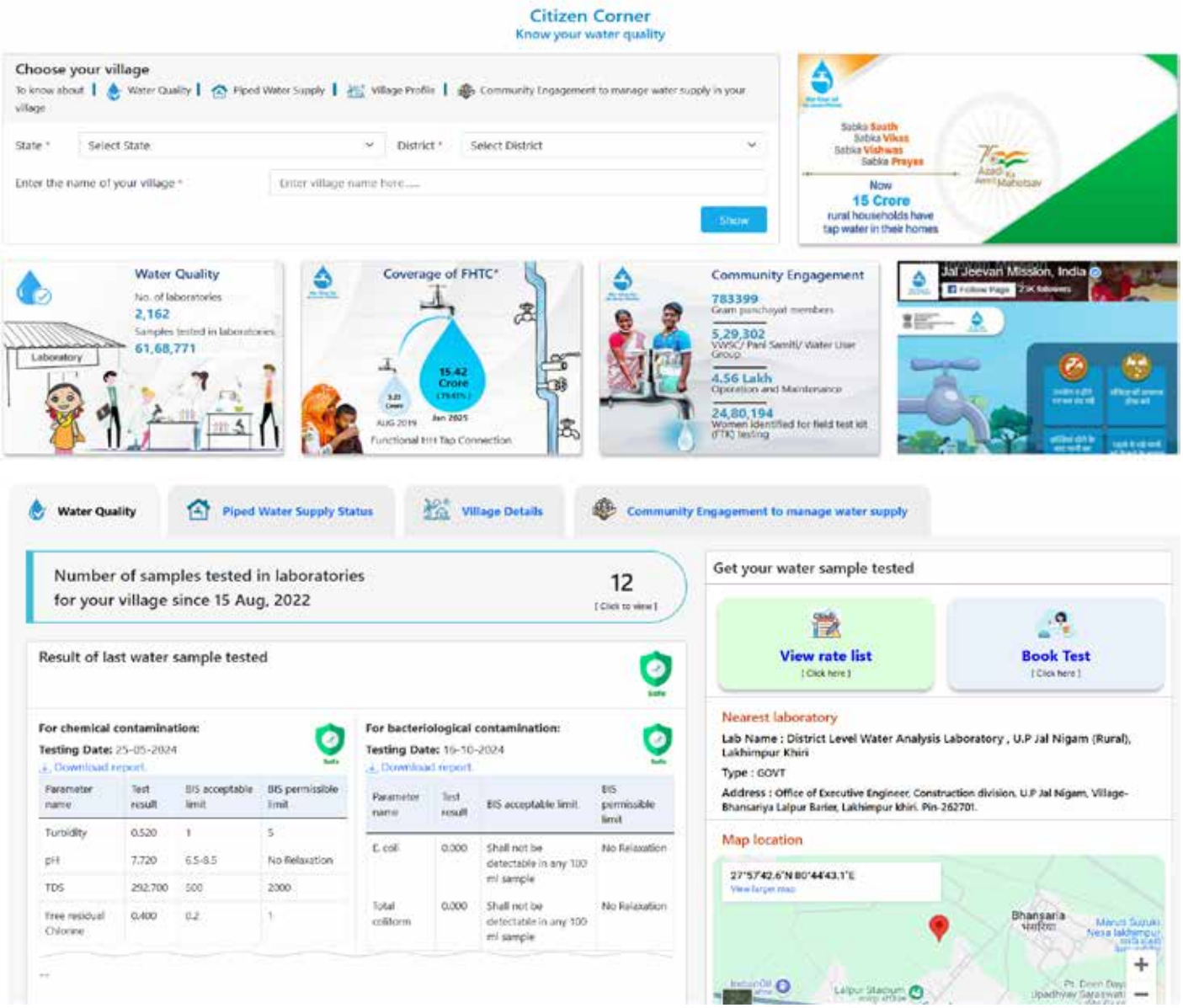

यह पहल जल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक प्रमुख कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत फॉर्म या राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए टोल–फ्री नंबर के माध्यम से पानी की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को उठाने में सक्षम बनाया जा सकता है। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर नागरिक–केंद्रित उपकरण व्यक्तियों को निकटतम जल परीक्षण प्रयोगशाला का पता लगाकर, रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण मापदंडों के लिए दर सूचियों की जानकारी प्राप्त करके और परीक्षणों की सुलभ बुकिंग करके जल गुणवत्ता का कार्य करने का अधिकार देता है।

नल जल सेवा: पीओसी जल आपूर्ति योजनाओं के ओ एंड एम के लिए एक पोर्टल है और पानी की बिलिंग का कार्य प्रगति पर है।

4.2 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी)

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण माह अक्टूबर 2019 के चरण–I के दौरान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) ग्रामीण देश संबंधी उद्देश्य को प्राप्त किया गया। इसके अलावा, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने अर्थात् ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ग्रामीण गांवों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था करने तथा सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलने के उद्देश्य से, दिनांक 1 अप्रैल 2020 को एसबीएम–चरण–II की शुरूआत की गई।

एसबीएम–जी डैशबोर्ड: ओडीएफ प्लस गांवों (उदीयमान, उज्ज्वल, उत्कृष्ट), ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं वाले गांवों, दृष्टिपरक प्रत्यक्ष स्वच्छता, रिपोर्ट की गई एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों (जैसे सामुदायिक खाद गड्ढे, सोख्ता गड्ढे, पृथक्करण शेड, एचएच परिसंपत्तियाँ पीडब्ल्यूएफएसएम आदि), ग्राम स्तर तक के सामुदायिक स्वच्छता परिसरों से संबंधित उपलब्धि और प्रगति के सभी निगरानी मापदंडों को प्रदर्शित करता है। यह प्रासंगिक मापदंडों की राज्य–वार/जिला–वार ब्लॉक पर प्रगति को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही, गांव की ओडीएफ प्लस स्थिति देखने के लिए गांव का रिपोर्ट कार्ड भी प्रदर्शित करता है।

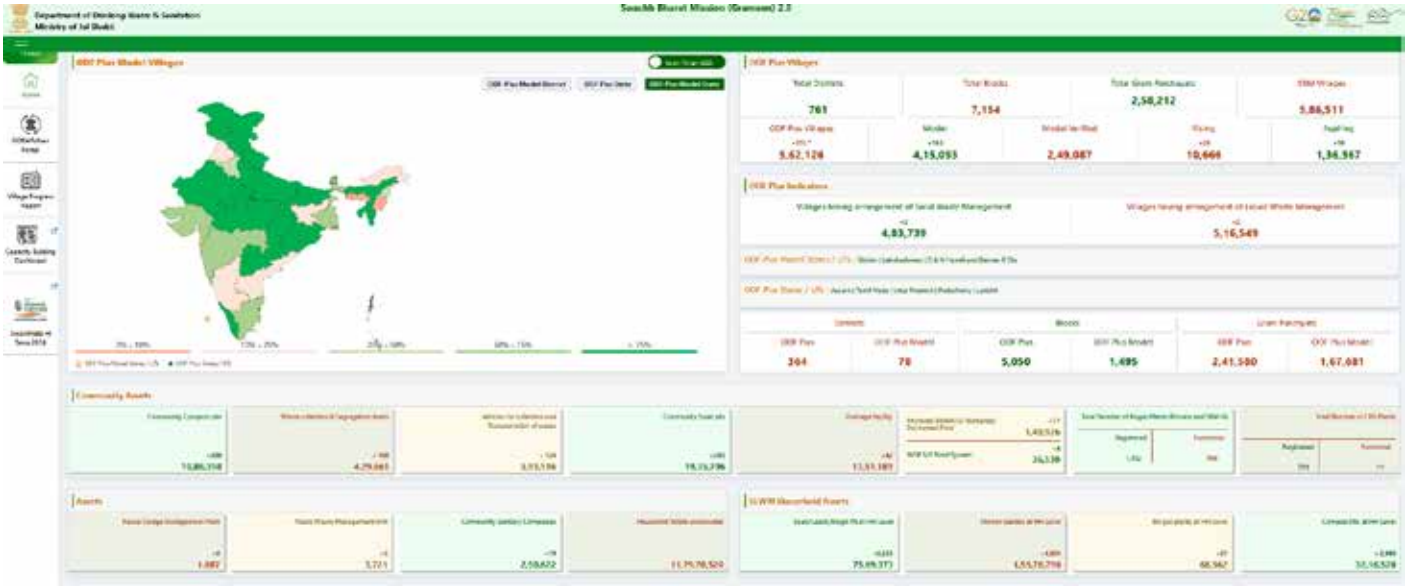

एसबीएम पोर्टल: पोर्टल को नियमित आधार पर एसबीएम ग्रामीण द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों और स्वच्छता समाचार के लिए अद्यतित किया जाता है। संबंधित दस्तावेजों/संसाधनों/वेबसाइटों के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

एसबीएम–जी एमआईएस: प्रासंगिक मॉड्यूल में डेटा प्रविष्टि (ओडीएफ प्लस गांवों की घोषणा, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था का अंकन) के लिए उपयोग किया जाता है और मोबाइल ऐप तथा वेब आधारित मॉड्यूल के माध्यम से एमआईएस में प्राप्त की गई जानकारी से संबंधित सभी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है:

- ओडीएफ प्लस संबंधित मॉड्यूल
- एसबीएम–जी राज्य तथ्य शीट
- ठोस और तरल कचरा प्रबंधन मॉड्यूल की घोषणा
- एफएसएम से संबंधित मॉड्यूल
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन मॉड्यूल
- कार्यशीलता सत्यापन मॉड्यूल

नागरिक पोर्टल: कोई भी ग्रामीण जन एसबीएम पोर्टल के माध्यम से आईएचएचएल के लिए आवेदन कर सकता है। स्मार्टफोन का उपयोग करके ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता से संबंधित जानकारी तक एकल खिड़की उपलब्धता की सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा पोर्टल का उपयोग करके की जाती है।

मोबाइल ऐप: एसबीएम 2.0 और एमएसबीएम मोबाइल ऐप आईएचएचएल के जियोटैग किए गए डेटा, गांव की बुनियादी जानकारी, संस्थागत विवरण, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था परिसंपत्तियों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, आईईसी वॉल पेंटिंग, एमएचएम को ग्राम स्तर पर सक्षम बनाता है।

स्वच्छता ही सेवा: राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान स्वच्छता के सभी पहलुओं में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाला का एक अभियान है। इसका उद्देश्य भारत में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

स्वच्छ भारत दिवस: स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम का वेबकास्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2024 में भाग लिया।

डब्ल्यूटीडी–2024: विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर डीडीडब्ल्यूएस द्वारा हमारा शौचालय, हमारा सम्मान से संबंधित एक अभियान आयोजित किया गया था।

जल स्वच्छता अध्ययन: राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रमुख हितधारकों के क्षमता सुदृढ़ीकरण के रूप में ग्रामीण पहलों की योजना और निगरानी के लिए क्षमता निर्माण डैशबोर्ड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रभावी कार्यक्रम नियोजन, कार्यान्वयन और सफलता की कुंजी है।

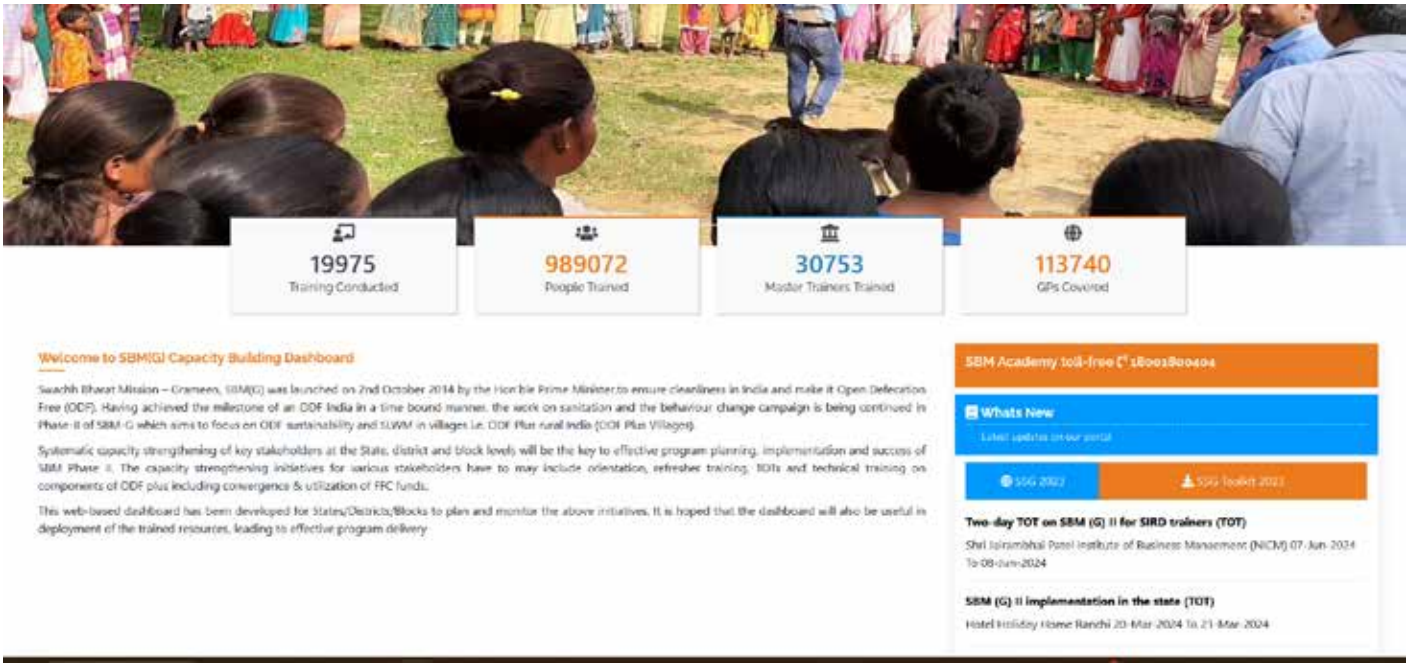

गोबरधन का एकीकृत पोर्टलः संपूर्ण भारत में गोबरधन संयंत्रों (बायोगैस और सीबीजी) के पंजीकरण और कार्यशीलता की स्थिति विभिन्न हितधारकों, एजेंसियों द्वारा प्रत्येक संयंत्र की कार्यशील स्थिति के साथ सूचित की गई है।

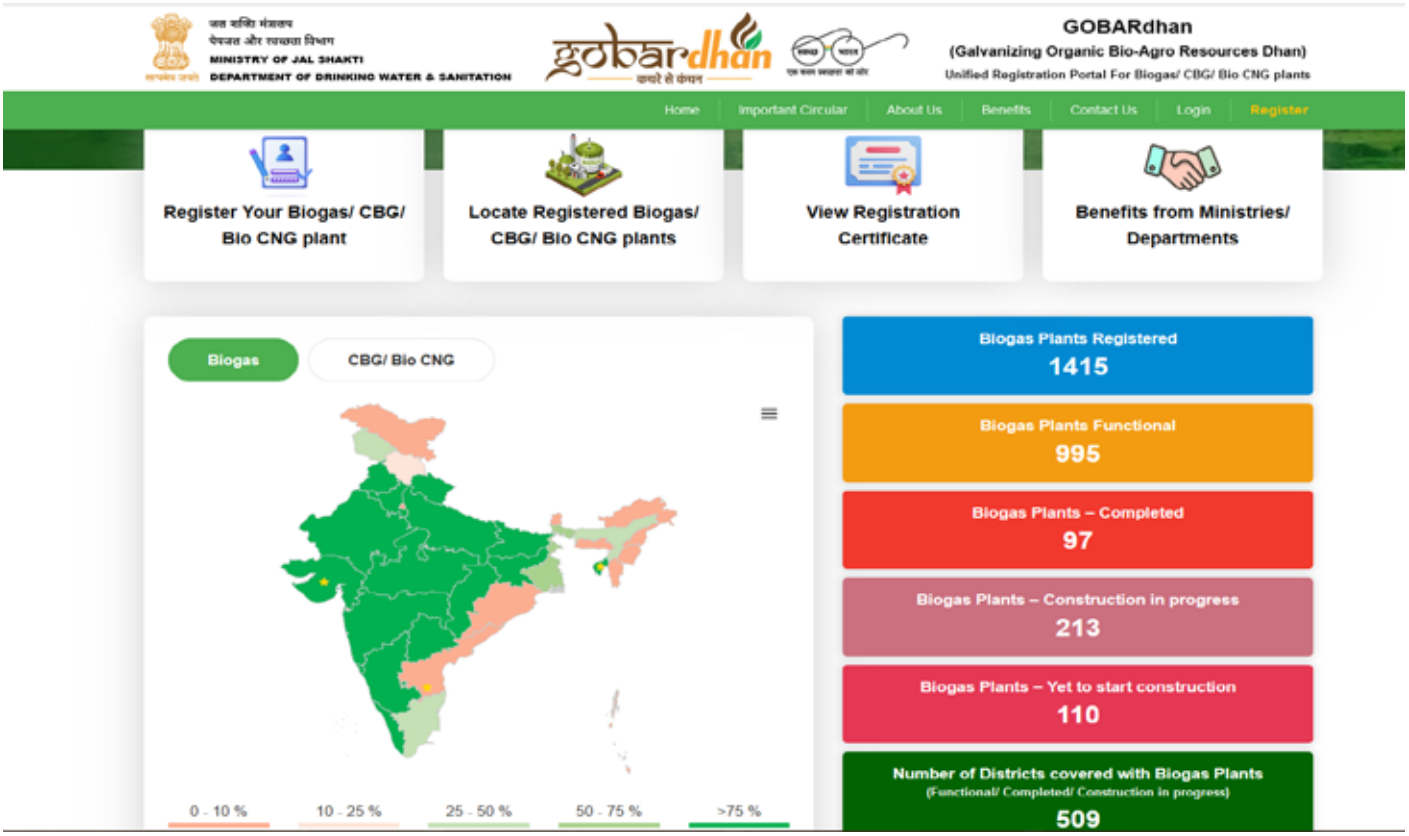

स्वच्छता कार्य योजनाः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नोडल विभाग होने के कारण सभी मंत्रालयोंविभागों के साथ उनकी स्वच्छता कार्य योजनाओं (एसएपी) को अंतिम रूप देने और मिलान करने के लिए समन्वय किया गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रः यह पोर्टल राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र से संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है।

ई–पंचायत मोबाइल ऐप के लिए एमओपीआर को डेटा साझा करना

ई–पंचायत और ईग्रामस्वराज डैशबोर्ड के लिए एमओपीआर को एपीआई के माध्यम से एसबीएम–जी डेटा साझा करना।

राज्यों के लिये जेनेरिक एपीआईः

राज्य सरकारों के लिए ओडीएफ प्लस प्रगति से संबंधित डेटा का प्राप्त करने और इसे प्रासंगिक प्लेटफार्मों (सीएम डैशबोर्ड आदि) में प्रदर्शित करने के लिए एक जेनरिक एपीआई विकसित किया गया है

एपीआई के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों (मनरेगा और एमओपीआर) के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से डेटा का एकीकरण। एकत्रित परिसंपत्ति डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

ओडीएफ प्लस से संबंधित आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के लिए प्रयास, डीबीटी, नीति आयोग को डेटा साझा करना, साथ ही, अन्य को गौरवमयी, संभव, नमामि गंगा के लिए डाटा साझा करना।

5. प्रशासन

5.1 संगठनात्मक संरचना

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पूर्व में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सहित दिनांक 14 जून, 2019 से नवगठित जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है। जल शक्ति मंत्रालय के इस विभाग की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है और अपर सचिव, संयुक्त सचिव, आर्थिक सलाहकार, और उप महानिदेशक (सांख्यिकी) आदि भी इस विभाग में कार्यरत है।

श्री सी आर पाटिल ने दिनांक 10.06.2024 को जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री वीरण्णा सोमण्णा ने दिनांक 12.06.2024 को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री अशोक कुमार के. मीणा, आईएएस (ओआरः1993) ने दिनांक 31.10.2024 (अपराह्न) से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के पद का कार्यभार संभाला।

श्री कमल किशोर सोन, आईएएस (जेएचः 1998) ने दिनांक 06.01.2025 से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (जेजेएम) के पद का कार्यभार संभाला।

दिनांक 10.01.2025 तक विभाग में नियमित पदों की स्वीकृत संख्या 157 (अनुबंध I) है।

5.2 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

सरकारी सेवाओं में अनु. जाति (एससी), अनु. जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और संबंधित मामलों के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का इस विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है। अनु. जाति, अनु. जनजाति और ओबीसी कार्मिकों की संख्या नीचे तालिका में दी गई हैः

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 10.01.2025 तक अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व और 01.01.2024 से 10.01.2025 की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

	अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (10.01.2025 तक)				01.01.2024 से 10.01.2025 की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या।									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
समूह क	44	05	03	04	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-
समूह ख	46	11	07	10	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-
समूह ग (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित)	24	04	01	06	03	-	01	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**114**	**20**	**11**	**20**	**04**	**-**	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**02**	**-**	**-**

ई–ऑफिस और बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

यह विभाग जनवरी, 2015 से ई–ऑफिस को पहले ही लागू कर चुका है। सभी फाइलों और दस्तावेजों को डिजिटाइज कर दिया गया है। कार्यालय के सभी काम डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं जिससे भौतिक फाइलें लगभग शून्य हो गई हैं। ई–ऑफिस उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इससे समय की बचत होती है। इसने कागज की बर्बादी को कम करने में भी मदद की है। वर्ष 2024 के दौरान कुल 1816 ई–फाइलें बनाई गई हैं।

इस कार्यालय ने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की है।

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 संबंधी आंतरिक शिकायत समिति

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार इस विभाग में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

वर्ष 2024–25 के दौरान, डीडीडब्ल्यूएस में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

5.3 सतर्कता और आरटीआई / शिकायत निवारण

5.3.1 सतर्कता और आरटीआई

- इस विभाग के सतर्कता संबंधी सभी मामले सतर्कता प्रभाग द्वारा देखे जाते हैं। संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है जो उन्हें सौंपे गए सामान्य कार्य के अतिरिक्त समस्त सतर्कता मामलों को देखते हैं।

- विभाग में सतर्कता अनुभाग सूचना का अधिकार (आरटीआई) मामलों के संबंध में नोडल अनुभाग भी है। डिजिटल रूप से आरटीआई पोर्टल पर और डाक द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त आरटीआई आवेदन को

अंतरित करने की कार्रवाई तत्परता से की जाती है। वर्ष के दौरान दिनांक 1/1/2024 से 31/12/2024 तक विभाग में प्राप्त 1778 आरटीआई आवेदनों और 76 अपीलों पर कार्रवाई की गई और उन्हें आवेदक को आवश्यक जानकारी/उत्तर प्रदान करने के लिए संबंधित प्रभाग/विभागों को अंतरित किया गया।

- जनवरी से मार्च, 2025 की अवधि के लिए परिलक्षित/अनुमानित

  आरटीआई आवेदनः 445

  आरटीआई के तहत अपीलः 20

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण के संबंध में वर्ष 2023–24 के लिए तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा नवंबर, 2024 में आईआईपीए, नई दिल्ली के माध्यम से आयोजित की गई थी।

5.3.2 ऑनलाइन लोक शिकायत निवारण प्रणाली

विभाग सीपीग्राम पोर्टल पर डिजिटल रूप से प्राप्त जनता के शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए अभिनव कदम उठा रहा है। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, सीपीग्राम पोर्टल पर कुल 13635 शिकायतें प्राप्त हुईं और 50 शिकायतें अग्रेषित की गईं, इसलिए दिनांक 01.01.2024 तक कुल शिकायतें 13685 (1363550) थीं। 13685 शिकायतों में से 13417 शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष के दौरान शिकायतों का निवारण 98.04% था, जिसमें पिछले वर्ष से अग्रेषित की गई लंबित शिकायतों की संख्या यानी 268 भी शामिल थी।

सीपीग्राम पर लोक शिकायतों के विरूद्ध 699 अपीलें प्राप्त हुईं, और कोई अपील अग्रेषित नहीं की गई, जिससे कुल 80 अपीलें विचाराधीन थीं, जिनमें से 88.55% अर्थात् 619 अपीलों का निवारण आवेदक को उपयुक्त उत्तर देकर किया गया था। डाक द्वारा हार्ड कॉपी में प्राप्त शिकायतों पर भी तत्परता से कार्रवाई की जाती है और आवेदकों को उपयुक्त उत्तर देकर उनका निवारण किया जाता है अथवा जहां आवश्यक हो, शिकायतों में उठाए गए विषय के साथ शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को अंतरित कर दिया जाता है।

शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार कदम उठाए जाते हैं।

जहां कहीं आवश्यक होता है, सीपीग्राम की शिकायतों को न केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विभागों को बल्कि संबंधित प्रभागों/अनुभागों को भी अंतरित किया जाता है।

* यह प्रणाली शिकायत निवारण के प्रभारी राज्य के अधिकारियों को एसएमएस और वेब–आधारित अनुस्मारक/अधिसूचनाएं भेजती है।

* यदि किसी विशेष शिकायत के संबंध में राज्य के अधिकारी द्वारा 21 दिनों से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इसे तत्काल कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

* शिकायत पोर्टल को सीपीग्राम 7.0 संस्करण में अपग्रेड किया गया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा सभी अधिकारियों को डीएआरपीजी दिशानिर्देशों के अनुसार मैप किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक शिकायतों के निवारण के लिए उत्तरदायी हैं।

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दौरों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों को शिकायतों पर तत्परता से ध्यान देने और उनका कुशलतापूर्वक निवारण करने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है।

* शिकायतों के निवारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बंद शिकायतों की श्रेणी में आने वाले शिकायतकर्ता को नियमित रूप से फोन कॉल किए जाते हैं।

इन सभी उपायों ने सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों की निवारण दर में सुधार करने में मदद की है।

विभाग भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ समन्वय कर रहा है जिसने डीडीडब्ल्यूएस की शिकायत निवारण प्रणाली पर एक विस्तृत अध्ययन किया था।

क्यूसीएल के सुझाव को ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है।

5.4 वर्ष 2024–25 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में की गई प्रगति

विभाग ने राजभाषा अनुभाग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु सकारात्मक रूप में प्रयास किए। वर्ष के दौरान विभाग के हिंदी प्रभाग के माध्यम से राजभाषा नीति के अनुपालन तथा अनुवाद संबंधी कार्यों का सफलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से निपटान किया गया।

अनुवाद कार्यः–

– वर्ष के दौरान संसदीय स्थायी समिति, संसदीय प्रश्नों, अनुपूरक नोट, संसदीय रिपोर्टों, कैबिनेट नोट, मासिक सार आदि से संबंधित सांविधिक दस्तावेजों के साथ–साथ विभाग के अलग–अलग अनुभागों से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा जल जीवन मिशन संबंधी सभी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य का समयबद्ध रूप से निपटान किया गया।

– इसके साथ–साथ वर्ष के दौरान मासिक समाचार पत्र 'जल जीवन संवाद' और 'स्वच्छता समाचार' के अनुवाद कार्य का नियमित रूप से निपटान किया गया।

कार्यान्वयन संबंधी कार्य–

– विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायजा लिए जाने हेतु प्रत्येक तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया।

– कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें व्याख्यान हेतु हिंदी के अलग–अलग विद्वानों को आमंत्रित किया गया।

– वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए हिंदी प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कृत किया गया।

– हिंदी दिवस के अवसर पर, 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2024 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं यथा हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी भाषा ज्ञान एवं अनुवाद, हिंदी टंकण, हिंदी सामान्य ज्ञान, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, एमटीएस के लिए हिंदी श्रुतलेख तथा हिंदीतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग

हिंदी पखवाड़ा 2024 का आयोजन

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

से प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

– हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेता घोषित किए गए कार्मिकों को सचिव, डीडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रशस्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति के संवर्धन हेतु राजभाषा के विभिन्न विषयों पर समयबद्ध रूप से, विभिन्न पत्राचार किए गए।

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का हिंदी पखवाड़ा 2024 के अवसर पर कार्मिकों को शपथ दिलाते हुए

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, हिंदी पखवाड़ा, 2024 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए

संगठनात्मक चार्ट (10.01.2025 की स्थिति के अनुसार)

O/o Minister (SH C R Patil)	O/o MoS (SH V. Somanna)	
	PS to MoS (SH SANTANU KUMAR AGRAHARI) ADD. PS to MoS (SH R. RENU KUMAR) STENO (SH RAVI KUMAR)	
	SERCRETARY (Shri Ashok Kumar K Meena)	
	SR. PPS (SH DINA NATH)	
	PPS (SH VISHAL)	
	STENO D (SH HRITHIK SHARMA) MTS (SH K R KRISHNAN)	

AS & MD (JJM) (Shri Kamal Kishore Soan)	JS & MD (SBM) (SH JITENDRA SRIVASTAVA)	EA (ESTT., GA, COORD & Parl) (SH SAMIR KUMAR)	DDG (SH VIKAS KUMAR DUBEY)		JS & FA (Ms. RICHA MISHRA)
PSO (MS SUMAN MAHI)	PPS (SH SANJAY KUMAR)	PS (SH SURESH KUMAR)	**HINDI**	**STAT.**	
SR. PPS (SH M. VAMSI KRISHNA)	**SBM-I**	**ESTABLISHMENT**	DIR (SH KAPIL CHOUDHARY)	SSO (SH SINGRAY MURMU)	**IFD**
JS (JJM) **(MS SWATI NAIK MEENA)**	DS (MS KRITIKA KULHARI)	DS (SH SUROJIT GHOSH)	STO (SH ANSHUL MOHANIIYA)	JSO (SH ASHISH KUMAR)	DS (SH ANANJAY KUMAR TIWARY)
PPS (SMT. S. SRIVIDYA	US (SH KRISHANU MUKHARJEE)	US (SH DHARMENDAR RAI)	STO (SH DEEPAK DAGAR)	JSO (MS ANJALI SINGH)	US (SH ASHWINI KUMAR MAURYA)
STENO D (SH ANURAG YADAV)	SO (SH DENSIL SAMTE)	STENO D (SH ABHIMANYU)	JTO (MS SONI JAISWAL)		SO (SH OM PRAKASH)
MTS (MS KHUSHBOO)	ASO (SH MANISH KUMAR MEENA)	SO (SH PRANAV TRIVID)	PA (SH ASHISH BOUNAL)		ASO (SH RAJAT KUMAR)
JJM-I	JSO (SH SOMVEER SINGH)	ASO (SH RAJESH SAHU)	PA (SH BHEEM SINGH MEENA)		
DIR (SH ARUNKUMAR KEMBHAVI)	**SBM-II**	ASO (SH HANNY GUPTA)			
US (SH AVINASH KUMAR SINHA)	DIR (SH KALIGOTLA SRINIVASU)	PS (MS SAKSHI BHARDWAJ) (UNDER POSTING)			
SO (SH JITENDER YADAV)	US (SH MAGAN LAL)	DEO (SH HARI CHAND) (R & I)			
SO (SH PANKAJ KUMAR MISHRA)	SO (SH NITIN VERMA)	MTS (SH KARAMBIR SINGH) (R & I)			
ASO (SH SAURABH CHAUHAN)	ASO (DEEPAK KUMAR GUATAM)	MTS (SH SUBHAM MISHRA) (R & I)			
MTS (SH AYUSH SRIVASTAVA)	MTS (SH RAM CHARAN)	MTS (MS KIRAN PANDEY)			
JJM-II	**SBM-III**	**CASH**			
DIR (SH. PRADEEP SINGH)	DIR (MS SWAPNA DEVIREDDY)	DS (SH SUROJIT GHOSH)			
PA (SH DILIP KUMAR)	STENO D (MS CHARULATA BAIRAGI)	DDO (SH SUMIT JHA)			
US (SH SUMIT JHA)	US (VIRENDRA KUMAR SHARMA)	SO (SH NITIN VERMA)			
STENO (MS AMISHA RAWAT)	ASO (SH SATENDER KUMAR)	ASO (SH SHUBHAM KUMAR)			
ASO (MS SONIA)	**SBM-IV**	ACCOUNTANT (SH DAYA NAND)			
JJM-III	DIR (SH SANJAY KUMAR SINHA)	SSA (SH PAWAN KUMAR SAHU)			
DIR (SH ARUNKUMAR KEMBHAVI)	PA (MS SHWETA MISHRA)	MTS (SH VIKRAM SINGH)			
US (SH BALAJI N.)	US (VIRENDRA KUMAR SHARMA)	**GENERAL ADMIN**			
SO (SH NAVEEN KUMAR)	AD (SH KEHARI SINGH MEENA)	DIR (SH AVNISH RASTOGI)			
SO (SH VIKASH KUMAR)	ASO (SH RAJEEV BHATIA)	PS (SMT SARITA TUTEJA)			
JJM-IV	MTS (SH VIKRAM SINGH)	US (SH DHARMENDAR RAI)			
DIR (SH. PRADEEP SINGH)	**SBM-V**	SO (SH VIDYASAGAR MALEMPATI)			
US (SH MANOJ KUMAR JHA)	DIR (SH KARANJIT SINGH)	ASO (SH GOURAV KASHYAP)			
SO (SH SUBODH MUDGIL)	STENO D (SH GAURAV DAGAR)	JSA (SH BHUWAN CHANDRA)			
ASO (SH MOHAN BHARTI)	US (SH RAMESH CHANDRA)	CARE TAKER (SH DAYAL SINGH)			
JJM-V	SO (SMT HARVINDER KAUR)	STAFF CAR DRIVER (SH ANAND RAM)			
DS (SH UMESH KUMAR BHARDWAJ)		**COORDINATION**			
US (SH SANTOSH KUMAR)	**SBM-VI**	DS (SH SHAMBU KUMAR SINGH) (COORD & PARL)			
SO (HITENDER KUMAR)	DIR (SH YOGENDRA KUMAR SINGH)	PS (SH G SREENIVASULU)			
JJM-VI	US (SH MAGAN LAL)	US (SH AVNISH AGGARWAL)			
DIR (SH YOGENDRA KUMAR SINGH)	SO (SH ASHWIN VERMA)	STENO D (ARUSHI ADHIKARI)			
US (SH ARUN KUMAR)		SO (SHRI NAVEEN KUMAR)			
SO (SH AJEET KUMAR)	**SBM**	ASO (SH HARISH KUMAR MEENA)			
ASO (SH RAVI GOSWAMI)	ASSTT. ADV. (SH ABHAS JAIN)	**PARLIAMENT**			
WATER QUALITY		DS (SH SHAMBU KUMAR SINGH) (COORD & PARL)			
DEPUTY ADVISER (SH SUMIT PRIYADARSHI)		US (SH AVNISH AGGARWAL)			
US (SH MANOJ KUMAR JHA) (JJM-IV-ADDL. CHARGE)		SO (SH NAVEEN KUMAR)			
SO (SH T. YANGMINTHANG HAOKIP)		DEO GR A (SH HARI CHAND)			
VIGILANCE					
DS (SH ANANJAY KUMAR TIWARY)					
US (RAMESH CHANDRA) (ADDL. CHARGE)					
JJM					
DY. ADV (SH. ASHISH PANDEY)					
STENO D (SH AJAY MEENA)					

6. अनुबंध – I से VIII

अनुबंध - I

'पेयजल और स्वच्छता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों (नियमित) की स्थिति'

10.01.2025 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या			टिप्पणी (यदि कोई हो)
		स्वीकृत	भरे पद	रिक्त	
1	सचिव	1	1	0	
2	अपर सचिव	1	1	0	
3	संयुक्त सचिव	2	2	0	
4	आर्थिक सलाहकार (आईईएस)	1	1	0	
5	उप महानिदेशक	1	1	0	
6	अपर सलाहकार (पीएचई)	1	0	1	
7	निदेशक (आईईएस)	1	1	0	
8	निदेशक/उप सचिव (केंद्रीय कर्मचारी योजना)	9	7	2	
9	उप सचिव/निदेशक (केंद्रीय सचिवालय सेवाएँ)	6	6	0	
10	संयुक्त निदेशक	1	0	1	
11	वरिष्ठ पीपीएस/पीएसओ	2	2	0	
12	उप सलाहकार (पीएचई)	3	2	1	
13	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	0	1	
14	सहायक सलाहकार (पीएचई)	4	1	3	
15	अवर सचिव	15	14	1	
16	पीपीएस	4	4	0	
17	सहायक निदेशक (आईईएस)	2	1	1	
18	सहायक निदेशक (रा.भा.)	1	0	1	
19	अनुभाग अधिकारी	18	16	2	
20	निजी सचिव	9	4	5	
21	लेखा अधिकारी	1	0	1	
22	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	
23	लेखाकार	2	1	1	
24	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	2	2	0	
25	सहायक अनुभाग अधिकारी	25	14	11	
26	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1	1	0	
27	निजी सहायक	7	4	3	
28	कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	5	3	2	
29	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	9	9	0	
30	एसएसए	2	1	1	
31	डीईओ (ग्रेड ए)	1	1	0	
32	जेएसए	2	1	1	
33	स्टाफ कार चालक	5	2	3	
34	एमटीएस	11	10	1	
कुल		**157**	**114**	**43**	

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस घोषित गांव

31.12.2024 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	ओडीएफ प्लस गांव–उदीयमान (*)	ओडीएफ प्लस गांव–उज्ज्वल (***)	ओडीएफ प्लस गांव–उत्कृष्ट (*****)	कुल ओडीएफ प्लस गांव
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	0	0	195	195
2	आंध्र प्रदेश	15,994	13,596	112	2,197	15,905
3	अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,223	884	830	4,937
4	असम	25,518	4,701	1,370	19,252	25,323
5	बिहार	36,872	3,484	716	30,222	34,422
6	छत्तीसगढ	19,643	2,192	83	16,411	18,686
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	96	0	0	94	94
8	गोवा	373	98	4	266	368
9	गुजरात	17,971	3,808	939	13,005	17,752
10	हरियाणा	6,618	3,852	193	2,373	6,418
11	हिमाचल प्रदेश	17,630	1,933	727	13,403	16,063
12	जम्मू और कश्मीर	6,216	17	19	5,911	5,947
13	झारखंड	29,322	19,116	527	6,779	26,422
14	कर्नाटक	26,484	20,952	513	4,833	26,298
15	केरल	1,433	7	6	1,368	1,381
16	लद्दाख	240	38	1	201	240
17	लक्षद्वीप	10	0	0	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	938	35	49,657	50,630
19	महाराष्ट्र	40,250	10,474	214	26,714	37,402
20	मणिपुर	2,549	41	1	26	68
21	मेघालय	6,465	4,712	317	392	5,421
22	मिजोरम	637	2	1	568	571
23	नागालैंड	1,425	339	40	435	814
24	ओडिशा	46,850	1,835	27	42,960	44,822
25	पुदुचेरी	91	54	0	37	91
26	पंजाब	11,977	10,349	52	1,375	11,776
27	राजस्थान	43,447	1,993	514	40,116	42,623
28	सिक्किम	400	0	0	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	2,574	718	7,983	11,275
30	तेलंगाना	9,871	599	2	8,391	8,992
31	त्रिपुरा	765	57	17	629	703
32	उत्तर प्रदेश	96,175	20,855	1,975	71,192	94,022
33	उत्तराखंड	14,968	52	3	14,830	14,885
34	पश्चिम बंगाल	38,186	9,790	1,304	25,631	36,725
कुल		**5,86,656**	**1,41,681**	**11,314**	**4,08,686**	**5,61,681**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

अनुबंध - III

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

एसबीएम(जी) के आईएमआईएस के अनुसार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के तहत कवर किए गए गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या

31.12.2024 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल गांव	एसडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या	एलडब्ल्यूएम से कवर किए गए गांवों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	265	201	201
2	आंध्र प्रदेश	15,994	15,905	2,719
3	अरुणाचल प्रदेश	5,133	3,310	3,739
4	असम	25,518	21,267	24,989
5	बिहार	36,872	31,880	34,225
6	छत्तीसगढ	19,643	16,972	18,689
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	96	94	94
8	गोवा	373	370	286
9	गुजरात	17,971	16,834	16,856
10	हरियाणा	6,618	4,194	5,072
11	हिमाचल प्रदेश	17,630	14,710	15,735
12	जम्मू और कश्मीर	6,216	5,942	5,949
13	झारखंड	29,322	8,611	26,339
14	कर्नाटक	26,484	26,309	5,628
15	केरल	1,433	1,381	1,376
16	लद्दाख	240	204	240
17	लक्षद्वीप	10	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	50,100	50,366
19	महाराष्ट्र	40,250	28,409	36,912
20	मणिपुर	2,549	29	112
21	मेघालय	6,465	843	5,373
22	मिजोरम	637	581	578
23	नागालैंड	1,425	553	760
24	ओडिशा	46,850	43,469	44,723
25	पुदुचेरी	91	90	37
26	पंजाब	11,977	3,431	9,917
27	राजस्थान	43,447	41,855	42,680
28	सिक्किम	400	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	11,270	8,993
30	तेलंगाना	9,871	8,993	8,456
31	त्रिपुरा	765	727	750
32	उत्तर प्रदेश	96,175	74,872	93,985
33	उत्तराखंड	14,968	14,882	14,848
34	पश्चिम बंगाल	38,186	30,843	34,217
कुल		**5,86,656**	**4,79,541**	**5,15,254**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2023–2024 के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	138	2
2	आंध्र प्रदेश	1,19,313	2,122
3	अरुणाचल प्रदेश	3,113	72
4	असम	30,339	127
5	बिहार	8,29,224	63
6	छत्तीसगढ	61,389	2,574
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0	0
8	गोवा	1,853	2
9	गुजरात	85,382	256
10	हरियाणा	17,955	56
11	हिमाचल प्रदेश	10,787	1,343
12	जम्मू और कश्मीर	37,892	888
13	झारखंड	29,882	46
14	कर्नाटक	65,092	453
15	केरल	2,669	252
16	लद्दाख	1,962	107
17	लक्षद्वीप	0	2
18	मध्य प्रदेश	2,15,203	1,131
19	महाराष्ट्र	1,21,559	3,121
20	मणिपुर	2,451	33
21	मेघालय	5,252	87
22	मिजोरम	2,286	31
23	नागालैंड	1,984	137
24	ओडिशा	81,132	523
25	पुदुचेरी	254	0
26	पंजाब	23,873	424
27	राजस्थान	1,19,305	1,708
28	सिक्किम	3,476	78
29	तमिलनाडु	64,930	201
30	तेलंगाना	0	9
31	त्रिपुरा	13,734	87
32	उत्तर प्रदेश	17,23,696	284
33	उत्तराखंड	9,252	370
34	पश्चिम बंगाल	2,14,366	1,093
कुल		**38,99,743**	**17,682**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
वर्ष 2024–25 के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (दिसंबर, 2024 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल)	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	136	0
2	आंध्र प्रदेश	7,895	463
3	अरुणाचल प्रदेश	1,331	17
4	असम	1,637	556
5	बिहार	5,13,836	62
6	छत्तीसगढ	30,890	522
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0	0
8	गोवा	0	0
9	गुजरात	30,975	306
10	हरियाणा	6,232	59
11	हिमाचल प्रदेश	4,104	1,153
12	जम्मू और कश्मीर	38,622	301
13	झारखंड	23,379	72
14	कर्नाटक	70,547	171
15	केरल	2,717	185
16	लद्दाख	171	5
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	1,45,307	371
19	महाराष्ट्र	60,862	1,819
20	मणिपुर	301	82
21	मेघालय	2,514	229
22	मिजोरम	54	2
23	नागालैंड	6	112
24	ओडिशा	84,596	489
25	पुदुचेरी	43	0
26	पंजाब	8,419	399
27	राजस्थान	97,935	1,002
28	सिक्किम	2,335	67
29	तमिलनाडु	1,22,203	1,330
30	तेलंगाना	121	301
31	त्रिपुरा	19,333	122
32	उत्तर प्रदेश	11,62,379	344
33	उत्तराखंड	13,611	530
34	पश्चिम बंगाल	1,35,174	1,493
कुल		**25,87,665**	**12,564**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

अनुबंध - VI

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2023–24 के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधि जारी करने की स्थिति

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी (करोड़ रूपये में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.75
2	आंध्र प्रदेश	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	15.81
4	असम	389.77
5	बिहार	700.00
6	छत्तीसगढ	83.98
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0.00
8	गोवा	19.61
9	गुजरात	109.61
10	हरियाणा	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	42.00
12	जम्मू और कश्मीर	241.33
13	झारखंड	50.00
14	कर्नाटक	42.34
15	केरल	0.00
16	लद्दाख	5.75
17	लक्षद्वीप	0.00
18	मध्य प्रदेश	113.39
19	महाराष्ट्र	110.45
20	मणिपुर	0.00
21	मेघालय	20.81
22	मिजोरम	5.00
23	नागालैंड	31.07
24	ओडिशा	46.52
25	पुदुचेरी	0.00
26	पंजाब	54.81
27	राजस्थान	69.43
28	सिक्किम	6.66
29	तमिलनाडु	239.74
30	तेलंगाना	14.18
31	त्रिपुरा	35.79
32	उत्तर प्रदेश	2506.78
33	उत्तराखंड	63.75
34	पश्चिम बंगाल	720.00
कुल		**5739.33**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2024–25 के दौरान एसबीएम(जी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधि जारी करने की स्थिति

31.12.2024 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी (करोड़ रूपये में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.60
2	आंध्र प्रदेश	0.04
3	अरुणाचल प्रदेश	3.71
4	असम	21.26
5	बिहार	118.93
6	छत्तीसगढ	0
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0
8	गोवा	0
9	गुजरात	150.00
10	हरियाणा	25.00
11	हिमाचल प्रदेश	22.09
12	जम्मू और कश्मीर	122.50
13	झारखंड	0
14	कर्नाटक	46.35
15	केरल	0
16	लद्दाख	0
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	121.05
19	महाराष्ट्र	115.82
20	मणिपुर	0
21	मेघालय	0
22	मिजोरम	4.42
23	नागालैंड	6.90
24	ओडिशा	64.99
25	पुदुचेरी	0
26	पंजाब	0
27	राजस्थान	54.24
28	सिक्किम	3.70
29	तमिलनाडु	75.00
30	तेलंगाना	0.96
31	त्रिपुरा	18.80
32	उत्तर प्रदेश	327.35
33	उत्तराखंड	0
34	पश्चिम बंगाल	0
कुल		**1304.70**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष 2024–25 के दौरान 31.12.2024 तक कुल और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आईएचएचएल उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2024–25 के दौरान आईएचएचएल की उपलब्धियां			कुल आईएचएचएल उपलब्धि में हिस्सा	
		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	% अनुसूचित जाति	% अनुसूचित जनजाति
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	136	0	0	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7,895	1,522	375	19.28	4.75
3	अरुणाचल प्रदेश	1,331	12	1,226	0.90	92.11
4	असम	1,637	114	340	6.96	20.77
5	बिहार	5,13,836	40,705	7,531	7.92	1.47
6	छत्तीसगढ	30,890	2,088	10,395	6.76	33.65
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण व दीव	0	0	0	0.00	0.00
8	गोवा	0	0	0	0.00	0.00
9	गुजरात	30,975	2,927	9,333	9.45	30.13
10	हरियाणा	6,232	2,417	67	38.78	1.08
11	हिमाचल प्रदेश	4,104	1,013	187	24.68	4.56
12	जम्मू और कश्मीर	38,622	2,571	8,692	6.66	22.51
13	झारखंड	23,379	1,772	3,612	7.58	15.45
14	कर्नाटक	70,547	13,867	6,840	19.66	9.70
15	केरल	2,717	690	33	25.40	1.21
16	लद्दाख	171	0	171	0.00	100.00
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	1,45,307	17,465	25,264	12.02	17.39
19	महाराष्ट्र	60,862	4,902	5,906	8.05	9.70
20	मणिपुर	301	0	73	0.00	24.25
21	मेघालय	2,514	11	2,490	0.44	99.05
22	मिजोरम	54	0	54	0.00	100.00
23	नागालैंड	6	0	3	0.00	50.00
24	ओडिशा	84,596	8,003	14,301	9.46	16.91
25	पुदुचेरी	43	6	0	13.95	0.00
26	पंजाब	8,419	6,911	302	82.09	3.59
27	राजस्थान	97,935	15,682	14,749	16.01	15.06
28	सिक्किम	2,335	175	985	7.49	42.18
29	तमिलनाडु	1,22,203	14,878	2,412	12.17	1.97
30	तेलंगाना	121	21	1	0.00	0.00
31	त्रिपुरा	19,333	1,565	11,131	8.09	57.58
32	उत्तर प्रदेश	11,62,379	1,78,610	13,001	15.37	1.12
33	उत्तराखंड	13,611	2,764	653	20.31	4.80
34	पश्चिम बंगाल	1,35,174	34,340	11,171	25.40	8.26
कुल		**25,87,665**	**3,55,031**	**1,51,298**	**13.72**	**5.85**

स्रोतः एसबीएम(जी) आईएमआईएस

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी

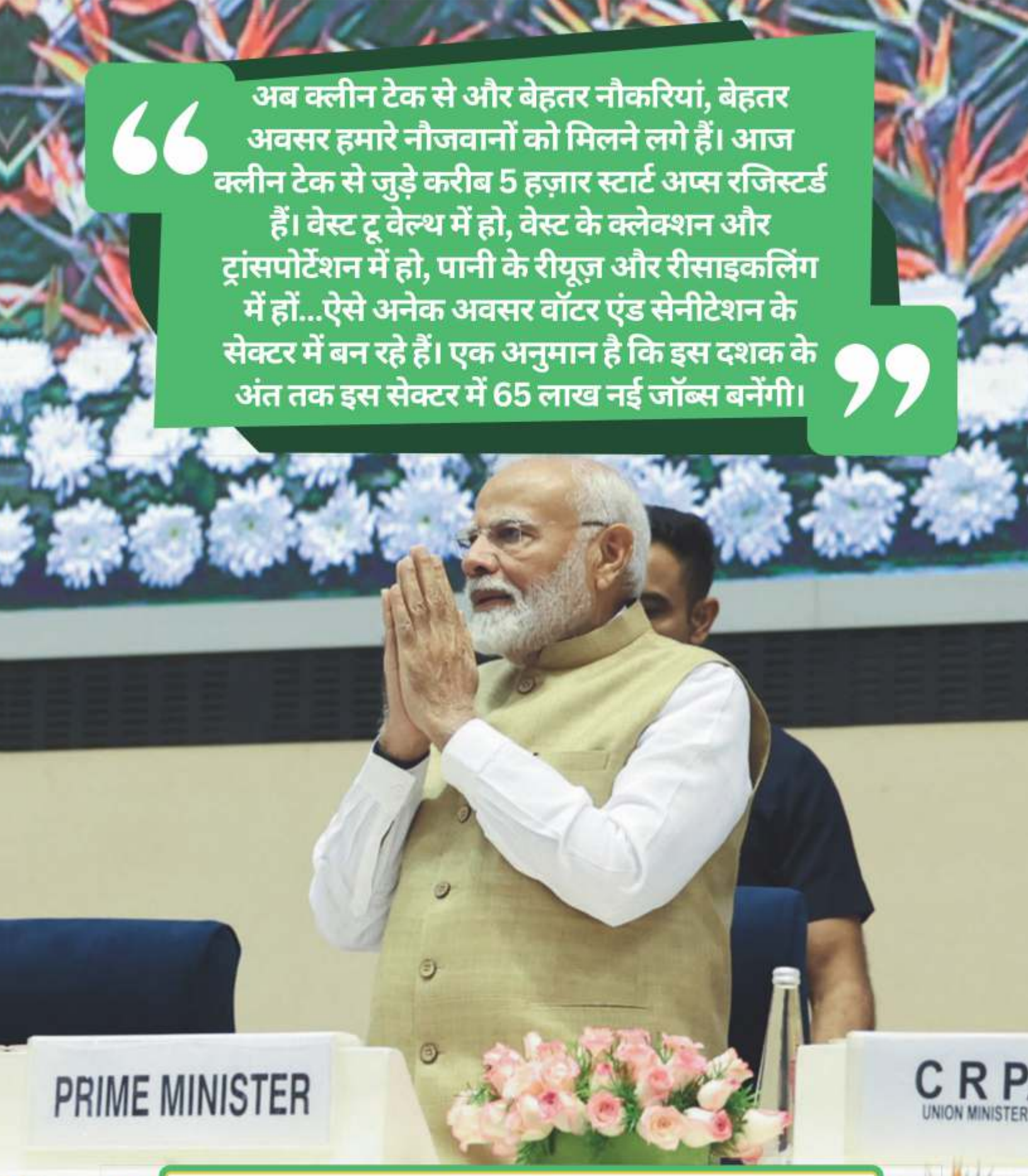

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर, 2024 को विज्ञान भवन, दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में अपने मुख्य भाषण के दौरान।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

www.jalshakti-ddws.gov.in